BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1299 of 2024

In the matter of:

Vinod Singh Rawat — Applicant

Versus

State of Uttarakhand — Respondent(s)

Index

S. No.	Particulars	Page no.
1.	**Report of the Joint Committee** in the matter of Original Application No. 1299/2024, Vinod Singh Rawat Versus State of Uttarakhand before Hon'ble National Green Tribunal.	1-6
2.	**Annexure–I** A copy of Hon'ble NGT order dated 26.11.2024.	8-9
3.	**Annexure-II & Annexure-II (a)** A copy of the allotment letter dated 18.12.2014 & CTE respectively.	10-15
4.	**Annexure-III** A copy of Consolidated Consent to Operate and Authorization (CCA) from UKPCB.	16-19
5.	**Annexure-IV** A copy of the consent of the Industrial Development (Mining) Deparment-1 vide letter VII-A- 1/2024/228-kha/2024 dated 06.09.2024.	20-21
6.	**Annexure-V** A copy of the royalty payment receipt of the Directorate of Geology and Mining, Uttarakhand.	22-23
7.	**Annexure-VI** A copy of report and maps.	24-29
8.	**Annexure-VII** A copy of the inspection report and notice.	30-36
9.	**Annexure-VIII** A copy of reply vide dated 17.11.2022 submitted by M/s Astitva Anantraj Enterprises against the notice dated 06.08.2022 issued by the mining department.	37-56
10.	**Annexure-VIII (a)** A copy of the river dragging letter.	57-60
11.	**Annexure-VIII (b)** A copy of CTO with wave-off letter.	61-65
12.	**Annexure-IX** A copy of LoI letter dated 22.07.2024 issued by Bhutatv ewam Khanikarm Nideshalay (mineral and mining directorate), Uttarkhand to the mining lease M/s Astitva Anantraj Enterprises.	66-6
13.	**Annexure-X** A copy of Environment Clearance (EC) dated 19.09.2024 from the SEIAA, Uttarakhand for the mining of minerals.	70-81
14.	**Annexure-XI** A copy of Notification issued by Mining Department regarding the mining activity in state of Uttarakhand.	82-163

Place: Delhi
Dated: 01.01.2025

Filed by Adv. Soni Singh
On behalf of Central Pollution Control Board
A-14, Nizamuddin East, New Delhi – 13, E:vga@vgalegal.com

Joint Committee Report on
OA No. 1299/2024 in the matter of Vinod Singh Rawat Vs State of Uttarakhand
Passed by Hon'ble NGT order dated 26.11.2024

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench vide its order dated 26.11.2024 constituted a Joint Committee comprising of District Magistrate, Uttarkashi; Uttarakhand State Pollution Control Board (UKSPCB) and Central Pollution Control Board (CPCB). The CPCB was to act as nodal Authority for coordination and compliance. The related para of said order is reproduced here as under:

"Complaint of illegal mining has been made by Vinod Singh Rawat r/o Barkot Ward No. 3, Uttarkashi by letter petition received by e-mail dated 21.05.2024 and this has been registered as Original Application (hereinafter referred to as ***'OA'****) under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as* ***'NGT Act, 2010')*** *in exercise of suo-moto jurisdiction in view of law laid down by Supreme Court in "Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors." reported in 2021 SCC Online SC 897.*

2. Complainant has said that one Vinod Dobhal is engaged in illegal mining on river bank of Yamuna and is also operating a stone crusher namely M/s Astitwa Anantraj Enterprises stone crusher, Proprietor Vinod Dobhal in utter violation of environmental laws.

3. Before proceeding further in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report, verify the facts and thus, constitute a joint Committee comprising Central Pollution Control Board (hereinafter referred to as ***"CPCB");*** *Uttarakhand State Pollution Control Board (hereinafter referred to as* ***"UKSPCB")*** *and District Magistrate, Uttarkashi.*

4. CPCB shall be the nodal authority for coordination and compliance.

5. The above Committee shall visit the site, collect relevant information, interact 'With stakeholders and submit a factual report within one month.

6. List on 02.01.2025

Copy of the reference NGT order is annexed as **Annexure-I**

In compliance with said Hon'ble NGT order, the following officials were nominated from the concerned departments for Joint Committee:

1. Shri Kamal Kumar, Sc. 'E', CPCB, RD- Lucknow
2. Shri Vrijesh Kumar Tiwari, SDM, Barkot, Uttarkashi
3. Shri Amit Pokhriyal, Regional Officer, UKSPCB, RO, Dehradun

30/12/24 30/12/2024

Joint inspection of the site was carried out on 20.12.2024 by the Joint Committee. During the site visit, the complainant Shri Vinod Singh Rawat, Mining Officer Shri Pardeep, Patwari Shri Vinod Prasad Jogudi and Shri Vinod Dhobal and the representative of M/s Astitva Anantraj Enterprises, Barkot, Uttarkashi were also present.

2. Field Observations:

Observations based on Joint Committee inspection and available records are as follows:

1. Joint Committee visited the alleged site of illegal mining on river bank of Yamuna near village Gailadi, tehsil Barkot, Uttarkashi and the alleged stone crusher namely M/s Astitva Anantraj Enterprises, located at Kotiyal Gaon, Naugaon, Tehsil Barkot, Uttarkashi of proprietor Shri Vinod Dobhal.

2. Stone crusher proprietor Shri Vinod Dobhal informed during the visit that the stone crusher M/s Astitva Anantraj Enterprises was established in FY-2015 (CTE no. 34809, dt.17.04,2015). Copy of the allotment letter& CTE is attached as **Annexure-II & Annexure-II(a)** respectively**.**

3. The stone crusher M/s Astitva Anantraj Enterprises has obtained Consolidated Consent to Operate and Authorization (CCA) from UKPCB which is valid from 01.10.2024 to 30.09.2027 to produce 40 TPH of Stone Grit & Dust. Copy of CCA is attached as **Annexure-III.**

4. The proprietor of stone crusher M/s Astitva Anantraj Enterprises, Proprietor Shri Vinod Dobhal has been renewed the consent of the Industrial Development (Mining) Deparment-1 vide letter VII-A- 1/2024/228-kha/2024 dated 06.09.2024 for operation of the stone crusher which is valid up to 22.04.2033. Copy of the consent is attached as **Annexure-IV.**

5. It was informed by the stone crusher M/s Astitva Anantraj Enterprises that stone crusher was not in operation from 22.04.2023 to 17.10.2024 and the same was verified by the records of Mining Officer. Copy of the royalty payment receipt of the Directorate of Geology and Mining, Uttarakhand is attached as **Annexure-V.**

6. During the visit the stone crusher M/s Astitva Anantraj Enterprises was found non-operational. The proprietor informed that stone crusher is non-operational due to non-availability of raw material.

30/12/24

30/12/24

7. It was observed that the installed dust suppression and encloser at some transfer points of material were partially broken in the stone crusher M/s Astitva Anantraj Enterprises.

8. Due to non-operational of stone crusher M/s Astitva Anantraj Enterprises, the joint committee could not verify noise pollution caused by the stone crusher.

9. Joint Committee observed that the distance of Rajkiya Inter Collage, Naugaon is situated about 780 meters and Community Health Centre, Naugaon is situated about 225 meters away from the stone crusher. The same was verified by the revenue department, Uttarkashi. Copy of report and maps are annexed as **Annexure-VI**

10. It was observed the stone crusher M/s Astitva Anantraj Enterprises has installed weight bridge and camera as per the notification ''Uttarakhand up-khanij (Parihar) Niyamavali -2023 & 2024". The stone crusher M/s Astitva Anantraj Enterprises has planted some plants near the Weight Bridge and boundary with Tin as per CCA.

11. It was observed that the finished material was stored in the premises of the stone crusher M/s Astitva Anantraj Enterprises.

12. Mining Officer informed that illegal mining was observed by a joint committee constituted by the DM Uttarkashi in the Committee inspection on 11.07.2022. Copy of the inspection report and notice is attached as **Annexure-VII.** Based on the joint committee report the mining department imposed a penalty of Rs. 1,04,42,748/- on the stone crusher M/s Astitva Anantraj Enterprises vide notice dated 06.08.2022. The stone crusher M/s Astitva Anantraj Enterprises submitted reply vide dated 17.11.2022 against the notice dated 06.08.2022 issued by the mining department with clarification regarding the illegal mining and penalty. Copy of the reply is attached as **Annexure-VIII**. Mining Officer informed that Smt. Varsha Devi w/o Praveen Singh Village Paletha got the permission for river dredging vide letter dated 07.01.2021, and the stone crusher M/s Astitva Anantraj Enterprises bought the raw material from Smt. Varsha Devi w/o Praveen Singh Village Paletha to operate stone crusher. The stone crusher M/s Astitva Anantraj Enterprises had consent which was valid during that period from 02.08.2021 to 31.03.2023. The Industrial Development (Mining) Deparment-1 accepted the reply and clarification of the stone crusher M/s Astitva Anantraj Enterprises the illegal mining and penalty and waved-off the penalty vide letter no. 805/VII-A-1/2023-10(22)/2022 dated 18.05.2023. Copy of the river dragging letter is attached as **Annexure-VIII(a)** and CTO with wave-off letter is attached as **Annexure-VIII(b)**.

30/12/24 30/12/24

13. Bhutatv ewam Khanikarm Nideshalay (mineral and mining directorate), Uttarkhand has issued the Letter of Intent (LoI) on dated 22.07.2024 to the mining lease M/s Astitva Anantraj Enterprises, proprietor Shri Vinod Dobhal for the mining of total area of 0.695 Hectare and Total Quantity of 32,130 MT/Year for the duration of 5 year. Copy of the LoI letter is attached as **Annexure-IX.**
14. The mining lease M/s Astitva Anantraj Enterprises, proprietor Shri Vinod Dobhal has obtained the Environment Clearance (EC) from the SEIAA, Uttarakhand for the mining of minerals vide dated 19.09.2024. Copy of the SEIAA, EC is attached as **Annexure-X.**
15. Mining department has issued notification regarding the mining activity in state of Uttarakhand ‘’Uttarakhand up- khanij (Parihar) Niyamavali - 2023 & 2024. Copy of the notification is attached as **Annexure-XI**.
16. During visit, the demarcation of the leased mining area with pillars was not observed. Mining officer informed that the demarcation of the leased mining area with pillars will be done after the issue of Government Notification for the mining lease M/s Astitva Anantraj Enterprises, proprietor Shri Vinod Dobhal. The mining lease M/s Astitva Anantraj Enterprises, proprietor Shri Vinod Dobhal has not started the mining activity till now in leased mining area issued vide LoI dated 22.07.2024.
17. During the visit of Joint Committee, no mining activity was observed in the river near the stone crusher of M/s Astitva Anantraj Enterprises and in mine lease area of M/s Astitva Anantraj Enterprises.

3.Recommendations:

Based upon the above field observations, Join Committee recommends as below:

1. The mining department and the mining lease M/s Astitva Anantraj Enterprises, Proprietor Shri Vinod Dobhal should ensure the compliance conditions of ‘’Uttarakhand up-khanij (Parihar) Niyamavali - 2023 & 2024, regarding the mining activity in the leased mining area i.e. mining by manual method, display board etc.
2. Mining Department should ensure demarcation / and fixing of geo-coordinates of the leased mining area with pillars as per Environmental Clearance before start of mining activity by the mining lease M/s Astitva Anantraj Enterprises, proprietor Shri Vinod Dobhal.

30/12/24 30/12/2024

3. UKPCB should ensure that the M/s Astitva Anantraj Enterprises, proprietor Shri Vinod Dobhal must comply conditions of the EC and Consolidated Consent to operate and Authorization (CCA) dated 01.10.2024.
4. Mining Department & Revenue Department should also periodically verify the compliance of the conditions of Mining Plan, mining limits specified in the EC and strict action may be taken if violation observed. Further, it should be ensured that production of stone crusher commensurate with the production in the mining lease.
5. The mining department should ensure that the stone crusher M/s Astitva Anantraj Enterprises must comply the conditions for stone crusher/screening plant under the "Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Pulveriser, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Hot Mix Plant, Ready mix Plant Anugya Niti -2021" i.e., green belt, boundary wall, constructed approach road, CCTV, temper proof electricity connection, etc.
6. UKPCB to ensure that the stone crusher M/s Astitva Anantraj Enterprises must install proper dust suppression and encloser at dust emission sources and transfer points to minimize dust emission and measures to minimise noise pollution before start of its operation.

30/12/24	30/12/2024	
(Kamal Kumar) Scientist "E" Central Pollution Control Board, Lucknow	(Amit Pokhriyal) Regional Officer UKPCB, Dehradun	(Vrijesh Kumar Tiwari) SDM Barkot, Uttarkashi

Pictures of site visit

Pic. (01) Joint committee interaction with Applicant

Pic. (02) Joint Committee Site visit

Pic. (03) Hopper of the Stone Crusher

Pic. (04) Non-operational Stone Crusher

Pic. (05) Transfer point of the Grit

Pic. (06) Finished Goods

Pic. (07) Water sprinkler

Pic. (08) Weight bridge & Camera

Pic. (09) Green Belt	Pic. (10) Lease mining area

Annexure -I

Item No. 03 Court No. 2

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1299/2024

Vinod Singh Rawat Applicant

Versus

State of Uttarakhand Respondent

Date of hearing: 26.11.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None

ORDER

1. Complaint of illegal mining has been made by Vinod Singh Rawat r/o Barkot Ward No. 3, Uttarkashi by letter petition received by e-mail dated 21.05.2024 and this has been registered as Original Application (hereinafter referred to as '**OA**') under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as '**NGT Act, 2010**') in exercise of *suo-moto* jurisdiction in view of law laid down by Supreme Court in *"Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors." reported in 2021 SCC Online SC 897.*

2. Complainant has said that one Vinod Dobhal is engaged in illegal mining on river bank of Yamuna and is also operating a stone crusher namely M/s Astitwa Anantraj Enterprises stone crusher, Proprietor Vinod Dobhal in utter violation of environmental laws.

3. Before proceeding further in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report, verify the facts and thus, constitute a joint Committee comprising Central Pollution Control Board (hereinafter

referred to as "**CPCB**"); Uttarakhand State Pollution Control Board (hereinafter referred to as "**UKSPCB**") and District Magistrate, Uttarkashi.

4. CPCB shall be the nodal authority for coordination and compliance.

5. The above Committee shall visit the site, collect relevant information, interact with stakeholders and submit a factual report within one month.

6. List on 02.01.2025.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

November 26, 2024
Original Application No. 1299/2024
SN

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्याः 1620 /VII-1/228–ख/2014
देहरादून : दिनांकः 18 दिसम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड के 'पर्वतीय क्षेत्र' हेतु स्टोन क्रेशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, 2011 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के प्रस्ताव पत्र संख्या 1325/खनन/उत्तरकाशी/भू0खनि0ई0/2013–14, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 के क्रम में श्री विनोद डोभाल पुत्र श्री नत्थीलाल, निवासी ग्राम चकगांव, तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी को ग्राम कोटियालगांव, तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 0.645 हैक्टेयर (1.61 एकड़) निजी नाप भूमि में उत्तराखण्ड के 'पर्वतीय क्षेत्र' हेतु स्टोन क्रेशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराइजर अनुज्ञा नीति, 2011 के अन्तर्गत 200 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर परिसर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिहवन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के अधीन करेगा।
2. स्टोन क्रेशर प्लान्ट परिसर की चार दिवारी के अंदर मध्य में स्थापित किया जायेगा।
3. स्टोनक्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर परिसर में न्यूनतम 15 फीट की ऊंचाई की चार दिवारी के अंदर 13 फीट से अधिक ऊंचाई तक कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण नहीं करेगा। यदि कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक (बिन्दु 8(ग) में वर्णित) से अधिक होती है तो उक्त भण्डारण को अवैध भण्डारण मानते हुए स्टोन क्रेशर स्वामी के विरूद्ध उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2005 के अनुसार जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी, खान अधिकारी/खान निरीक्षक (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जनपद) द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
4. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा धूल के कणों के उत्सर्जन को रोकने की विधि या धूलकणों को हवा में उड़ने से रोकने की विधि का प्रभाव स्टोन क्रेशर प्लांट की क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा।
5. स्टोन क्रेशर स्वामी ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु स्टोन क्रेशिंग संयत्र को बंद दो दिवारों वाले चैम्बर में स्थापित करेगा।
6. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर प्लांट के अंदर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
7. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर की सीमा के अंदर सम्पूर्ण क्षेत्र में धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव किये जाने की व्यवस्था करनी होंगी जिससे कि धूल के कण हवा में न उड़ सकें।
8. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई की चार दिवारी के अंदर कम से कम 07 से 10 मी0 चौड़ी तीन कतारों में चारों तरफ धूलवाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के

पेड़ो की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।

9. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा धूल व ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोग होने वाली विधियां एवं उपकरण अपने स्वंय के खर्च पर स्थापित करने होगें। धूल व ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण विधियों को स्टोन क्रेशर प्लान्ट में अनवरत कार्यरत रखने की जिम्मेदारी स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी की होगी।
10. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा कच्चे या तैयार माल भण्डार की सतह जो वायु प्रदूषण करती है, उनको पर्याप्त मात्रा में पानी के छिड़काव से गीला रखा जाना होगा जिससे वायु प्रदूषण कम हो।
11. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी प्रख्यापित आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः/620 (1)/**VII-1**/228–ख/2014, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
3. श्री विनोद डोभाल पुत्र श्री नत्थीलाल, निवासी ग्राम चकगांव, तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव।

Annexure - II (a)

मुख्यालय
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20, नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून

दिनांक

[illegible]

Registered/AD

PCB ID : 11573
CTE : Fresh
Outward No-

M/s Aditya Ajeetraj Enterprises,
Khata No-73 and 43,
Kotiyal Gaon Naugon,
Tehsil-Badkot, Distt-Uttarkashi.

विषय :- पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 17.04.2015 (INWARD : 58499) एवं तत्सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालय के निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति का बोर्ड मुख्यालय में परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ सशर्त [illegible] स्थापनार्थ सहमति पत्र निर्गत किया जाता है।

यह स्थापनार्थ सहमति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल :	Khata No-73 and 43, Kotiyal Gaon Naugon, Tehsil-Badkot, Dist-Uttarkashi.
(ख) उत्पादन :	Stone Grits & Dust-6000MT/Month.
(ग) मुख्य कच्चे माल :	River Bed Materials.
(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह :	Nil.
(ङ) प्रयुक्त ईंधन :	Diesel for D.G.Set.

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः स्थापनार्थ सहमति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्यक जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाये।

5. घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा 0.5 किलोली०/दिन से अधिक नहीं होगी। जनित घरेलू उत्प्रवाह को यथा प्रस्तावित सैप्टिक टैंक के माध्यम से सोकपिट में निस्तारित किया जाये

6. उद्योग [illegible] तक पर्यावरणीय वक्तव्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. यह स्थापनार्थ सहमति पत्र दिनांक 17.04.2015 से दिनांक 16.04.2016 तक की अवधि के लिए वैध होगा।

8. उद्योग का संचालन इस प्रकार से किया जाये, कि परिवेशीय वायु गुणवत्ता बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।

9. उद्योग से जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार निस्तारित किया जाये, कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की सम्भावना न रहे।

10. उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये, कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त न होवें। प्रदूषण सम्बन्धी जन-शिकायतें प्राप्त होने एवं पुष्टि होने पर स्थापनार्थ सहमति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

11. उद्योग परिसर के चारों तरफ [illegible] हरित पट्टिका विकसित की जाये। हरित पट्टिका हेतु [illegible] सघन वृक्षारोपण किया जाये। हरित पट्टिका हेतु निर्धारित भूमि पर निर्माण कार्य न किया जाये।

12- उद्योग परिसर में [illegible] की व्यवस्था की जाये।
13- उद्योग में [illegible] क्रेशर व [illegible] में [illegible] की स्थापना की जाये।
14- उद्योग से समस्त धूल जनित बिन्दुओं में जैसे क्रेशिंग, कन्वेयर बेल्ट आदि में धूल नियंत्रण हेतु उचित क्षमता के फव्वा[illegible] की स्थापना की जाये तथा परिसर में धूल नियंत्रण हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाये।
15- उद्योग द्वारा मुख्य मार्ग से उद्योग परिसर एवं रैम्प तक Metalled Road का निर्माण किया जाये।
16- उद्योग परिसर के चारों तरफ भू-तल से नियमानुसार 15 फीट ऊँची विण्ड ब्रेकिंगवाल का निर्माण किया जाये तथा धू[illegible] नियंत्रण हेतु उचित क्षमता के स्प्रिंकलर्स स्थापित किये जाये। किसी भी परिस्थिति में कन्वेयर एवं झरने की ऊंचाई भू-त[illegible] से 1.5 फीट से अधिक ऊँची न की जाये।
17- उद्योग में पर्यावरण (संरक्षण) नियम-1986 के अन्तर्गत स्टोन क्रेशिंग यूनिट हेतु निर्धारित मानकों की व्यवस्था सुनिश्चि[illegible] करें।
18. 250के.वी.ए.क्षमता का एक के जनरेटर सैट में इग्जास्ट स्टेक की ऊँचाई मानकों के अनुरूप स्थापित की जाये [illegible] ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इन्क्लोजर की स्थापना की जाये।
19. उद्योग में राज्य बोर्ड पूर्वानुमति के बिना अतिरिक्त प्लान्ट मशीनरी एवं डी.जी.सेट आदि की स्थापना कदापि न की जाये।
20. उद्योग उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराइज[illegible] अनुज्ञा नीति, 2011 तथा समय समय पर यथासंशोधित के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा स्टोन क्रेशर [illegible] स्थापना अनुज्ञा नीति के अनुसार ही की जाये।
21. यह स्थापनार्थ सहमति मात्र Stone Crushing प्रक्रिया हेतु मान्य है।
22. स्थापनार्थ सहमति जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। अन्य विभागों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। उद्योग में जल अधिनियम-1974, वायु अधिनियम-1981 एवं पर्यावरण (संरक्ष[illegible]) अधिनियम-1986 एवं उनके अन्तर्गत प्रख्यापित नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
23. इंगित स्थल के विधिक भूमि उपयोग एवं नियमानुसार अन्य विभाग से वांछित स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने [illegible] द्वारा निर्गत स्थापनार्थ सहमति (CoE) पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापनार्थ सहमति [illegible] sent to Establish) की शर्तो में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया दिया जाये।

उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 29.07.2015 तक प्र[illegible] पालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये, अन्यथा स्थापनार्थ सहमति पत्र निरस्त [illegible] जाएगा।

भवदीय

(विनोद सिंघल)
सदस्य सचिव

[illegible] एवं दिनांक:उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं उपरोक्त [illegible] अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

वैज्ञानिक अधिकारी

Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board
E-115 Nehru Colony
Haridwar Road , DEHRADUN
Tele : 0135-2668092,2668084

Provisional Consent Order (CTE)

Consent No. CTE-34809 Valid upto: 16/04/2016

Application : CtE:CTE-Fresh, No. 58499 Dt. 17/04/2015, Granted On: 06/06/2015 | PCB Id:11573

To,
M/s. astitva Anantraj Enterprises.,
khata no. 73 and 43, kotiyal gaon naugon uttarkashi.,
City : Kotiyal Gaon Naugon,
Dist : Uttarkashi, Tal : Badkot, SIDC : Not In Any SIDC
Phone : 9997726655

SUB: Consent to Establish (NOC) under Section 25 of
REF: Your Application No.(CtE:CTE-Fresh) 58499 and Dated 17/04/2015

Without prejudice to the powers of this Board under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act-1974, the Air Act-1981 and the Environment (Protection) Act-1986 and without reducing your responsibilities under the said Acts in any way, this is to inform you that this Board grants Consent to Establish for setting up of an industrial plant/activities at kotiyal gaon naugon uttarkashi. , Kotiyal Gaon Naugon, Badkot, Uttarkashi, Phone No. 9997726655 for the manufacturing of the items/products as mentioned in the detailed order ***.
The Validity period of the order will be Five Years from the date of issue of CTE (NOC) order.

1. CTE Order No: CTE-34809 Valid Upto: 16/04/2016

2. All Conditions under the shall be Applicable to you as mentioned in the detailed Consent Order ***

Approved CETP: Not Linked to any CETP
Approved TSDF: Bharat Oil & Waste Management Ltd.[11454]

3. GENERAL CONDITIONS :-

a) This order is provisional order and detailed order is considered as final.
b) All the conditions and provisions under the Water Act 1974, the Air Act 1981 and the Environment (Protection) Act – 1986 and the rules made there under shall be complied with*.
c) All the conditions and provisions under the Hazardous Waste (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules 2008 as amended shall be complied with*.
d) The concentration of Noise in ambient air within the premises of industrial unit shall not exceed following levels:
Between 6 A.M. and 10 P.M.: 75 dB (A)
Between 10 P.M. and 6 A.M.: 70 dB (A)
e) In case of change of ownership/management the name and address of the new owners / partners/ directors/ proprietor or equipment or working conditions as mentioned in the consents form/ order should immediately be intimated to the Board.
f) Industry shall have to display data outside the main factory gate with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being handled in the plant, including waste water and air emissions and solid hazardous wastes generated within the factory premises.
g) Adequate plantation shall be carried out all along the periphery of the industrial premises in such a way that the density of plantation is atleast 1000 trees per acre of land and a green belt of 5 meters width is developed.
h) The applicant shall have to submit the returns in prescribed form regarding water consumption and shall have to make payment of water cess to the Board under the Water Cess Act- 1977.
i) The applicant shall obtain membership of common infrastructure for disposal of effluent / Hazardous waste.
j) The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gaseous emission or sewage waste from the proposed industrial plant. The applicant is required to make applications to this Board for this purpose in the prescribed forms under the provisions of the Water Act-1974, the Air Act-1981 and the Environment (Protection) Act-1986.
k) If it is established by any competent authority that the damage is caused due to their industrial activities to any person or his property, in that case they are obliged to pay the compensation as determined by the competent authority.

***** Note : ACT-Specific, Industry-specific, Area-specific Conditions alongwith Product, Waste water effluent details shall be precisely mentioned in the DETAILED Consent Order**

***** Note : This is only provisional communication. The final Consent/Authorization in hard copy with duly signed by competent authority shall the final and valid Consent/Authorization.**

For and on behalf of
Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board

(Member Secretary)

Printed On : 06/06/2015 Computer generated Order thru XGN, does NOT require Physical Signature

N I C

Application For CTE-Fresh, No. 58499 Dt. 17/04/2015, Granted On: 06/06/2015 | PCB 14:115

NOC Pollution

To,
M/s. Aaditya Anantraj Enterprises,,
Khata no. 73 and 43, kotiyal gaon naugon uttarkashi.,
City : Kotiyal Gaon Naugon,
Dist : Uttarkashi, Tal : Badkot, SIDC : Not In Any SIDC
Phone : 9997726655

SUB: Consent to Establish (NOC) under Section 25 of

REF: Your Application No (Ctb CTE-Fresh) 58499 and Dated 17/04/2015

Without prejudice to the powers of this Board under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act-1974, the Air Act-1981 and the Environment (Protection) Act-1986 and without reducing your responsibilities under the said Acts in any way, this is to inform you that this Board grants Consent to Establish for setting up of an industrial plant/activities at kotiyal gaon naugon uttarkashi , Kotiyal Gaon Naugon, Badkot, Uttarkashi, Phone No 9997726655 for the manufacturing of the items/products as mentioned in the detailed order **
The Validity period of the order will be Five Years from the date of issue of CTE (NOC) order.

1. CTE Order No: CTE 34809 **Valid Upto:** 16/04/2016

2. All Conditions under the shall be Applicable to you as mentioned in the detailed Consent Order ***

Approved CETP: Not Linked to any CETP
Approved TSDF: Bharat Oil & Waste Management Ltd.[11454]

3. GENERAL CONDITIONS :-

a) This order is provisional order and detailed order is considered as final
b) All the conditions and provisions under the Water Act 1974, the Air Act 1981 and the Environment (Protection) Act - 1986 and the rules made there under shall complied with*
c) All the conditions and provisions under the Hazardous Waste (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules 2008 as amended shall be complied with*
d) The concentration of Noise in ambient air within the premises of industrial unit shall not exceed following levels
Between 6 A.M. and 10 P.M. : 75 dB (A)
Between 10 P.M. and 6 A.M. : 70 dB (A)
e) In case of change of ownership/management the name and address of the new owners / partners/ directors/ proprietor or equipment or working conditions as mentioned in the consents form/ order should immediately be intimated to the Board
f) Industry shall have to display data outside the main factory gate with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being handled in the plant, including waste water and air emissions and solid hazardous wastes generated within the factory premises
g) Adequate plantation shall be carried out all along the periphery of the industrial premises in such a way that the density of plantation is atleast 1000 trees per acre land and a green belt of 5 meters width is developed
h) The applicant shall have to submit the returns in prescribed form regarding water consumption and shall have to make payment of water cess to the Board under Water Cess Act- 1977
i) The applicant shall obtain membership of common infrastructure for disposal of effluent / Hazardous waste
j) The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gaseous emission, sewage waste from the proposed industrial plant. The applicant is required to make applications to this Board for this purpose in the prescribed forms under the provisions of the Water Act-1974, the Air Act-1981 and the Environment (Protection) Act-1986
k) If it is established by any competent authority that the damage is caused due to their industrial activities ... to pay the compensation as determined by the competent authority

*** Note : ACT-Specific, Industry-specific, Area-specific Conditions alongwith Product, Waste water effluent details shall be precisely mentioned in the DETAILED Consent Order**

***** Note : This is only provisional communication. The final Consent/Authorization in hard copy with duly signed by competent authority shall the final and valid Consent/Authorization.**

For and on behalf of
Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board

(Member Secretary)

Printed On : 06/06/2015 — Computer Generated Order from XGN, does NOT require Physical Signature

UEPPCB

UKPCB

LiFE Lifestyle For Environment

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehra Dun
E-mail : roueppcb@gmail.com,
Phone No.-0135-3593200

UEPPCB/ROD/U.K./C-27 **/2024-25/**2178-1138 **Date:** 01/10/2024
REGD. POST

To,

M/s Astitva Anantraj Enterprises
Khata No. 73 & 43
Kotiyal Gaon, Naugon,
Tehsil Badkot, Distt. Uttarkashi.

Consolidated Consent to Operate and Authorization hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6(2) of the "Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as **Water Act, Air Act** and **HW Rules** respectively).

Application No. 6476856	**Dated : 09.09.2024**

CCA is hereby granted to **M/s Astitva Anantraj Enterprises** located at **Khata No. 73 & 43, Kotiyal Gaon, Naugon, Tehsil Badkot, Distt. Uttarkashi** subject to the provisions of the **Water Act, Air Act** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is **granted up to 30.09.2027** and valid for manufacturing of following products with **Capital Investment / Net Assets Values ` 193 Lakhs:-**

S. No.	Last CCA		Present CCA (Renewal)	
	Product	Quantity (Per Month)	Product	Quantity (Per Month)
1	Stone Grits & Dust	6000.00 MT	Stone Grits & Dust	40 TPH

2. **Specific Conditions under Water Act:**
   (i) **The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-**

	Last CCA	Present CCA (Renewal)
Trade Effluent	Nil.	Nil.
Sewage	0.5 KLD	0.5 KLD

   (ii) **Trade effluent treatment and disposal - Nil.**

   (iii) **Sewage Treatment and Disposal:** The applicant shall provide comprehensive treatment and disposal facility for the treatment of domestic waste as per norms.

3. **Conditions under Air Act :-**
   (i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards :

S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity KLD/MTD	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1.	D.G. Set (250 KVA)	2.0	HSD	-	Acoustic Enclosure	-
			Ambient Air Quantity			
1.	Suspended Particulate Matter (SPM)		Not to Exceed		600μg/M^3	

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. **Conditions under HW Rules :-**
   (i) Number of authorization and date of issue : ----------------------------
   (ii) The **Factory Manager** of **M/s Astitva Anantraj Enterprises** is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.
   (iii) The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes.

S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
1	Schedule I – 5.1	0.0500 MT	Store in MS Drum, Recyclable

(iv) The authorization shall be in force for **30.09.2027.**
(v) The authorization is subject to the conditions stated below and the such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.

Terms and conditions of authorization:
(i) The authorization shall comply with the provisions of the **Environment (Protection) Act**, 1986, and the rules made thereunder.
(ii) The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.
(iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.
(iv) Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
(v) It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.
(vi) An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.
(vii) The unit shall comply with any other conditions specified in the guidelines issued by the MoEF or CPCB/SPCB from time to time.

5. This CCA is valid for **Crushing and Screening** Process only.
6. **Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit :-**
   (i) Annual return in **Form-4** and **Waste Disposal Manifest** in **Form-10** under **HW Rules** and **Third Party Audit Report.**
   (ii) Environment Statement in **Form-V** of **Environment (Protection) Rules, 1986.**
   (iii) Quarterly **compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.**
7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

UEPPCB

9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the **Water Act, Air Act** and **HW Rules** will results in legal action under the aforesaid **Acts and Rules.**

(Dr. R.K. Chaturvedi)
Regional Officer (I/c)

Copy to: Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for kind information please.

Regional Officer (I/c)

Annexure

Specific Conditions:

1. The applicant shall submit audited balance sheet of the unit at the end of each financial year so that fee submitted by the applicant could be assessed.
2. A Solid wastes generated from the industry has to be disposed in manner so that contamination of surface water bodies/ground water/soil etc. does not take place.
3. The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
4. The applicant shall develop green belt within the premises.
5. The industry shall strictly adhere with the specific and general conditions issued with CCA order. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of **Water Act, Air Act** and **Environment (Protection) Act and Rules** made thereunder.
6. The industry shall ensure **all safety measures** and shall undertake **periodical assessment** by the competent authority.
7. The industry situated nearby the River Ganga and its tributaries shall ensure the treatment facilities and disposal arrangement in such a way so that no waste water is discharged in water stream or water bodies.
8. **Unit shall strictly comply with the provisions of the The Public Liability Insurance Act, 1991 as amended and Rules made there under and shall submit copies of Insurance Policies (if any) to the Board Offices regularly.**
9. **There should be no effluent discharge outside the unit premises.**
10. **The stone crushing unit shall ensure all measures for pollution control as specified under the Environment (Protection) Act, 1986 and Rules made there under, so that ambient air quality not exceed to prescribed limit at any time.**
11. **The Stone Crushing Units/Screening Plants/Mobile Stone Crusher/Mobile Screening Plants/Hot Mix Plants/Ready Mix Plants shall strictly follow the Uttarakhand Stone Crushing Units/Screening Plants/Mobile Stone Crusher/Mobile Screening Plants/Hot Mix Plants/Ready Mix Plants Anugya Nitti- 2021 (as amended time to time), promulgated by the State Government.**
12. **This consent is valid for Crushing and Screening only. If any change in process, product, capacity, unit must be obtained fresh CTE/COP as per Act.**
13. **This CCA valid for crushing of raw material (River Bed Materials) obtained from legitimate sources only.**
14. **The unit shall not operate during night hours as defined under Noise Rules-2000.**
15. **The CCA is valid for domestic effluent only. Industrial effluent should not be generated.**
16. **The unit shall insure that no sand washing being carried out without prior consent of Board.**
17. **The unit shall ensure to submit compliance report along with ambient air quality report within three months from the date of issue of this order.**
18. **Unit shall ensure to control air quality followed by regular spray water in premises and link road.**
19. **Unit should comply as per the measures given in E(P) Rule-1986 as amended time to time.**
20. **Unit should have all the valid permissions from the State Government and the concerning departments.**
21. **This CCA issued in accordance with the license given by the District Magistrate, Uttarkashi vide no. 250(1)/VII-A-1/2024/228-kha/2014 dated 06-09-2024 at any stage, if the said permission is suspended/Cancelled, this CCA will be deemed cancelled.**

General Conditions:

UEPPCB

1. The applicant shall get analyse the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoE&F and shall report to the UEPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the **Board** bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the **Board**, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP's/ETP's inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures.
7. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
12. The **Board** reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
13. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permission of the **Board**.
14. Any unauthorized change in personnel, equipment as working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
15. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the **Board** to close down the facility.
16. The authorization is valid for temporary storage of Hazardous Waste within premises only.
17. The authorized agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on **Display Board** of size 6x4 feet outside the main factory gate within premises.
18. It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to close and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.
19. The applicant shall maintain record of hazardous waste in **Form-3** and shall submit annual return in **Form-4** on or before the 30th day of June following to the financial year to which that return relates.
20. In case of any accident, complete details in the light of **Form-14** of the Hazardous Rules shall be submitted to this Board at the earliest.
21. In no case any hazardous waste shall be disposed off on land, in any drain, or into any water stream. All spillage must also be safely collected and stored.
22. Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed physical and **chemical analysis of hazardous waste** sample and report to the Board.
23. Dried hazardous sludge from the process in the plant shall be **stored in double lined HDPE pit constructed with R.C.C. or such material which does not react with the waste contained in it.**
24. The storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and '**Hazardous**' shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.
25. The industry shall store non-ferrous metal waste, used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be sold **only to Registered Recyclers/Re-processors.**
26. In case of any transportation of hazardous waste, the details in **Form-10** of the Hazardous Rules shall be submitted to the **Board**.

(Dr. R.K. Chaturvedi)
Regional Officer (I/c)

Annexure-IV

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या: /VII-A-1/2024/228–ख/2014
देहरादून: दिनांक: 6 सितम्बर, 2024

– कार्यालय ज्ञाप –

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अन्तर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं० 5992/खनन/भू०खनि०नि०/स्टो०के०प्लां०नवी०/उत्तरकाशी/2023–24, दिनांक 08.02.2024 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में आवेदक श्री विनोद डोभाल पुत्र श्री नत्थी लाल, नि० ग्राम चक्रगांव, तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के पक्ष में ग्राम कोटियालगांव, तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के क्षेत्रान्तर्गत खसरासंख्या 2605, 2607, 2611, 2614 कुल रकबा 0.6550 है० भूमि में पूर्व से स्वीकृत/संचालित 40 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर प्लांट तथा प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण दिनांक 23 अप्रैल, 2023 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 210/2021 प्रेम सिंह रावत बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 14 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" मे उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 02 से 09 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 8 (1) के अनुसार प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
3. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर,मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 8 (2) के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–55 दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम, 1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा० न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता का निर्धारण किया जाना होगा।
5. स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 16 (3) के प्रावधानानुसार पर्वतीय क्षेत्रों मे 100 टन प्रति घंटा क्षमता तक के स्टोन क्रेशर अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क रू0 10,00,000/– (रूपये दस लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष शुल्क रू0 9,90,000/– (रूपये नौ लाख नब्बे हजार मात्र) प्लांट के नवीनीकरण स्वीकृति के उपरान्त, ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा किया जाना आवश्यक होगा।
6. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 38 के अनुसार स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट को प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालक को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

7. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 39 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्त्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

8. स्टोन क्रेशर नीति–2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 39 (3) के अनुसार स्थापित स्टोन क्रेशर प्लांट का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

9. प्लांट स्वामी के द्वारा वर्तमान मे प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2021 के प्रावधानानुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष अवशेष कच्चे माल की आपूर्ति तथा अवशेष अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध मे नोटराईज्ड शपथ पत्र जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी कार्यालय, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, देहरादून मे प्रस्तुत किया जाना होगा।

10. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार प्लांट मे भण्डारण की मात्रा का निर्धारण किया जायेगा।

11. भूमि के बन्धक होने की दशा मे अनुज्ञा जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर भूमि को बन्धकमुक्त कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा की दशा मे प्लांट स्वामी का ई–रवन्ना पोर्टल नही खोला जायेगा।

12. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

संख्या:– 250 (1)/VII-A-1/2024/228–ख/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
5. आवेदक श्री विनोद डोभाल पुत्र श्री नत्थी लाल, नि0 ग्राम चक्रगांव, तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

Directorate of Geology and Mining, Uttarakhand

Dealer Sale Report

From 22/04/2023 To 17/10/2024

Dealer Registration No: SC56000874
Dealer Name: VINOD DOBHAL
Dealer Type: Stone Crusher
Frim: M/S ASTITVA ANANT RAJ ENTERPRISES
GSTIN: 05AHYPD9184D1ZZ

District: Uttarkashi
Tehsil: Rajgarhi
Lease Location: Kotiyal Gaon
Moble No: 8126010197
Email: vdoval77@gmail.com

Sr.No.	Date	Form No	Valid Upto	Vehicle No	Purchaser	Purchaser GSTIN	Mineral	Weight (Quintal)	Rate/ Quintal	Sale Value w/o Tax (₹)	SGST (₹)	CGST (₹)	IGST (₹)	Payble Tax (₹)	Sale Value With Tax
689	22/04/2023 08:56 AM	IJ00874041255	22-04-2023 11:56:12	UK10CA1176	Unregistred	N/A	Sand	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
690	22/04/2023 08:58 AM	IJ00874041256	22-04-2023 20:58:23	UK07CB5684	Unregistred	N/A	Dust	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
691	22/04/2023 09:03 AM	IJ00874041257	22-04-2023 12:03:01	UK07CA6879	Unregistred	N/A	Sand	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
692	22/04/2023 09:04 AM	IJ00874041258	22-04-2023 12:04:05	UK07CB9174	Unregistred	N/A	Sand	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
693	22/04/2023 09:05 AM	IJ00874041259	22-04-2023 12:05:31	UK07CB7302	Unregistred	N/A	Dust	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
694	22/04/2023 09:06 AM	IJ00874041260	22-04-2023 14:06:49	UK07CB5310	Unregistred	N/A	Dust	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
695	22/04/2023 09:10 AM	IJ00874041261	22-04-2023 12:10:28	UK07CB6794	Unregistred	N/A	Sand	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
696	22/04/2023 09:55 AM	IJ00874041262	22-04-2023 11:55:14	UK07CB5356	Unregistred	N/A	Sand	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
697	22/04/2023 10:04 AM	IJ00874041263	22-04-2023 13:04:09	UK10CA0569	Unregistred	N/A	Grit	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
698	22/04/2023 11:28 AM	IJ00874041264	22-04-2023 13:28:12	UK14CA0814	Unregistred	N/A	Dust	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
699	22/04/2023 12:25 PM	IJ00874041265	22-04-2023 13:55:51	AF1111	Unregistred	N/A	Dust	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
700	22/04/2023 02:27 PM	IJ00874041266	22-04-2023 17:27:19	UK13CA0708	Unregistred	N/A	Grit	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
701	22/04/2023 03:54 PM	IJ00874041267	22-04-2023 17:54:34	UK07CB7104	Unregistred	N/A	Dust	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
702	22/04/2023 04:09 PM	IJ00874041268	22-04-2023 21:09:27	UK07CB6993	Unregistred	N/A	Grit	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
703	22/04/2023 04:54 PM	IJ00874041269	23-04-2023 04:54:48	UK07CB8749	Unregistred	N/A	Sand	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
704	22/04/2023 05:04 PM	IJ00874041270	22-04-2023 19:04:50	UK16CA0892	Unregistred	N/A	Grit	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00

Print Date and Time 20-Dec-2024 11:47:15 AM

Sr.No.	Date	Form No	Valid Upto	Vehicle No	Purchaser	Purchaser GSTIN	Mineral	Weight (Quintal)	Rate/ Quintal	Sale Value w/o Tax (₹)	SGST (₹)	CGST (₹)	IGST (₹)	Payble Tax (₹)	Sale Value With Tax
705	22/04/2023 05:06 PM	IJ00874041271	22-04-2023 19:06:56	UK07CD0795	Unregistred	N/A	Sand	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
706	22/04/2023 05:08 PM	IJ00874041272	22-04-2023 19:08:52	UK16CA1080	Unregistred	N/A	Sand	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
707	22/04/2023 05:27 PM	IJ00874041273	23-04-2023 03:27:34	UK07CB5432	Unregistred	N/A	Dust	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
708	22/04/2023 05:30 PM	IJ00874041274	23-04-2023 05:30:51	UK10CA1262	Unregistred	N/A	Sand	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
709	22/04/2023 06:53 PM	IJ00874041275	23-04-2023 06:53:37	UK07CB5517	Unregistred	N/A	Sand	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
710	22/04/2023 06:54 PM	IJ00874041276	23-04-2023 06:54:56	UK16CA5721	Unregistred	N/A	Dust	10.00	720.00	7200.00	180.00	180.00	0.00	360.00	7560.00
711	22/04/2023 07:04 PM	IJ00874041277	22-04-2023 21:04:56	UK07CB6466	Unregistred	N/A	Sand	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
712	17/10/2024 08:27 AM	IJ00874041278	17-10-2024 15:27:25	UK07CB2276	Unregistred	N/A	Bajri	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
713	17/10/2024 08:36 AM	IJ00874041279	17-10-2024 10:36:46	UK07CB5684	Unregistred	N/A	Grit	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
714	17/10/2024 08:39 AM	IJ00874041280	17-10-2024 10:39:14	UK07CB4370	Unregistred	N/A	Bajri	20.00	80.00	1600.00	40.00	40.00	0.00	80.00	1680.00
715	17/10/2024 09:16 AM	IJ00874041281	17-10-2024 11:46:49	UK16CA1080	Unregistred	N/A	Bajri	20.00	80.00	1600.00	40.00	40.00	0.00	80.00	1680.00
716	17/10/2024 01:31 PM	IJ00874041282	17-10-2024 17:31:19	UK12CA6868	Unregistred	N/A	Grit	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
717	17/10/2024 03:34 PM	IJ00874041283	17-10-2024 17:34:32	UK07CB4370	Unregistred	N/A	Grit	20.00	80.00	1600.00	40.00	40.00	0.00	80.00	1680.00
718	17/10/2024 03:36 PM	IJ00874041284	17-10-2024 17:36:46	UK07CD0795	Unregistred	N/A	Dust	10.00	80.00	800.00	20.00	20.00	0.00	40.00	840.00
719	17/10/2024 05:29 PM	IJ00874041285	17-10-2024 20:29:34	UK16CA1080	Unregistred	N/A	Bajri	20.00	80.00	1600.00	40.00	40.00	0.00	80.00	1680.00
720	17/10/2024 06:19 PM	IJ00874041286	18-10-2024 06:19:34	UK07CD2948	Unregistred	N/A	Bajri	20.00	80.00	1600.00	40.00	40.00	0.00	80.00	1680.00
721	17/10/2024 07:11 PM	IJ00874041287	17-10-2024 23:11:23	UK07CB8149	Unregistred	N/A	Grit	20.00	80.00	1600.00	40.00	40.00	0.00	80.00	1680.00
							Grand Total	**390.00**		**37600.00**	**940.00**	**940.00**	**0.00**	**1880.00**	**39480.00**

Print Date and Time 20-Dec-2024 11:47:15 AM

Annexure-VI

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्याः 6879 / 32– एम0बी0(2021–22) दिनांक 06 अगस्त, 2022

मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज,
प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव,
तहसील बडकोट जनपद उत्तरकाशी।

द्वारा–तहसीलदार बडकोट

—:: नोटिस ::—

एतदद्वारा सूचित करना है कि आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 18.05.2022 के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या–522 / 32–एम0बी0–अवैध खनन दिनांक 21 मई 2022 के द्वारा प्रकरण में पुनः जांच करवायी गई। उप जिलाधिकारी बडकोट द्वारा अपने पत्र संख्या–791 / पी0ए0–स्टोन क्रेशर पत्रा0 / 2021–22 दिनांक 15 जुलाई 2022 के संयुक्त निरीक्षण आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई, जिसमें उल्लेख किया गया कि आप बावजूद लिखित सूचना के संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित नहीं हुये, और न ही आपका कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। राजस्व विभाग, वन विभाग, सिंचाई खण्ड पुरोल एवं खनिकर्म इकाई उत्तरकाशी के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 11.07.2022 को ग्राम कोटियालगांव में यमुना नदी तल क्षेत्रान्तर्गत संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या में ग्राम कोटियालगांव में सरकार उत्तराखण्ड वर्ग–9(3) ड के खसरा संख्या–2820 रक्बा 0.372 है0 तथा उत्तराखण्ड सरकार के जलमग्न भूमि वर्ग–10(1) के खसरा संख्या–2958 रक्बा 0.845 है0, खसरा संख्या–2959म0 रक्बा 0.421 एवं खसरा संख्या–2960म0 रक्बा 0.095 है0 भूमि पर अवैध खनन करने, तथा उक्त खनन कार्य में बिना अनुमति के जे0सी0बी0 मशीन उपयोग किये जाने के संबंध में संयुक्त निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की गई है।

संयुक्त निरीक्षण जांच आख्या में उल्लेख किया गया कि आपके स्टोन क्रेशर प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम कोटियालगांव में सरकार उत्तराखण्ड भूमि नदी तल पर 78मी0 लम्बाई, 35मी0 चौडाई 3.86मी0 गहराई, में 10537.80 घनमीटर अर्थात 23183 टन तथा 70मी0 लम्बाई, 70मी0 चौडाई 3 मी0 गहराई में अवैध खनन कर 14700 घनमीटर कुल 19770 घनमीटर अर्थात 32340 टन उपखनिज उत्खनित किया गया है तथा उक्त कार्य हेतु बिना अनुमति के जे0सी0बी0 मशीन का उपयोग किया गया है। खनिज नियमावली 2021 के अध्याय 3 के नियम 14(5) (ख) तहत अवैध उत्खनित खनिज / परिवहन किये जा रहे खनिज / भण्डारित अवैध खनिज की मात्रा पर (25000 टन से 50000 टन तक रॉयल्टी का तीन गुना) के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। उपखनिज नदी तल से उत्सर्जित पर आरोपित अर्थदण्ड के अतिरिक्त बिना अनुमति के जे0सी0बी0 मशीन प्रयोग सहित कुल रूपये 1,06,42,748.00 (एक करोड़ छः लाख बयालीस हजार सात सौ अड़तालीस) की धनराशि वसूली करने हेतु आंकलित की गई है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अवैध खनन करने पर तथा बिना अनुमति के जे0सी0बी0 मशीन का उपयोग करने पर कुल 1,06,42,748.00 (एक करोड़ छः लाख बयालीस हजार सात सौ अड़तालीस) रूपये को निर्धारित लेखा शीर्षक 0853–00–102–01–0000 में नोटिस प्राप्ति के 15 दिन अन्दर जमा करें तथा कोष पत्र की एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करे। निर्धारित तिथि तक उक्त धनराशि जमा न करने पर आपके विरूद्व नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।
6/8/22

–:: संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या ::–

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी के पत्र सं0 5222/32–एम0बी0–अवैध खनन, दिनांक 21.05.2022 के क्रम में उपजिलाधिकारी, बड़कोट के पत्र सं0 697/पी0ए0–विविध पत्रा0/2022, दिनांक 23.05.2022 एवं पत्र सं0 752/पी0ए0–स्टोन क्रेशर पत्रा0/2021–22, दिनांक 28.06.2022 के अनुपालन के क्रम में जनपद उत्तरकाशी की तहसील बड़कोट के ग्राम कोटियालगांव में यमुना नदी तल में उपजिलाधिकारी, बड़कोट के नेतृत्व में राजस्व विभाग, वन विभाग, सिंचाई खण्ड पुरोला एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद उत्तरकाशी के प्रतिनिधियों के द्वारा दिनांक 11.07.2022 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कार्य सम्पन्न किया गया, जिसकी आख्या बिन्दुवार निम्नवत् प्रस्तुत है :–

1. प्रश्नगत स्थल का संयुक्त औचक निरीक्षण दिनांक 04.05.2022 को मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव, तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के पक्ष में अवैध खनन किये जाने पर जे0सी0बी0 मशीन सहित ₹ 93,33,740/– (तिरानबे लाख तैतीस हजार सात सौ चालीस) अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
2. उपजिलाधिकारी, बड़कोट के पत्र सं0 697/पी0ए0–विविध पत्रा0/2022, दिनांक 23.05.2022 के द्वारा दिनांक 25.05.2022 की तिथि संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्धारित की गई थी, जिसमें दिनांक 25.05.2022 को 21975 घन मी0 (48,345 टन) अवैध खनन किया जाना मापा गया था। मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव, तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के द्वारा पत्र दिनांक 18.05.2022 के द्वारा उपजिलाधिकारी, बड़कोट से अनुरोध किये जाने पर उपजिलाधिकारी, बड़कोट के पत्र सं0 717/पी0ए0–स्टोन क्रेशर पत्रा0/2021–22, दिनांक 25.06.2022 के द्वारा दिनांक 01.07.2022 की तिथि नियत की गई थी, उसके उपरान्त पुनः स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.06.2022 के द्वारा दिनांक 11.07.2022 की तिथि निर्धारित किये जाने का पुनः उपजिलाधिकारी, बड़कोट से अनुरोध किया गया, जिस पर उपजिलाधिकारी, बड़कोट के द्वारा पत्र सं0 752/पी0ए0–स्टोन क्रेशर पत्रा0/2021–22, दिनांक 28.06.2022 के द्वारा दिनांक 11.07.2022 की तिथि संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्धारित की गई, जिसमें भी स्टोन क्रेशर स्वामी स्वयं उपस्थित हुये और उनके द्वारा अपने किसी प्रतिनिधि को स्थलीय निरीक्षण के दौरान स्थल पर उपस्थित रहने हेतु नहीं भेजा गया।
3. कार्यालय जिलाधिकारी के पत्र सं0 5222/32–एम0बी0–अवैध खनन, दिनांक 21.05.2022 के साथ संलग्न स्टोन क्रेशर स्वामी के पत्र दिनांक 18.05.2022 में उल्लिखित बिन्दुओं को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के दौरान उचित एवं सत्य नही पाया गया। स्टोन क्रेशर परिसर के पिछले गेट (उत्तर–पूरब दिशा) से परिसर के अन्दर अवैध खनन स्थल तक वाहन पॅहुच मार्ग का निर्माण किये जाने की पुष्टि संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत अवैध खनन स्थल से स्टोन क्रेशर परिसर के पिछले गेट तक कच्चा वाहन मार्ग निर्मित किया जाना पाया गया है।
4. ग्राम कोटियालगांव में उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड. के खसरा सं0 2820 रक्बा 0.372 है0 तथा उत्तराखण्ड सरकार जलमग्न भूमि वर्ग 10(I) के खसरा सं0 2958 रक्बा 0.845 है0, खसरा सं0 2959म0 रक्बा 0.421 एवं खसरा सं0 2960म0 रक्बा 0.095 है0 भूमि पर अवैध खनन कार्य किया गया, प्रश्नगत स्थल पर मापन का विवरण निम्नवत् सारणी में प्रस्तुत है–

क्र0 सं0	लम्बाई (मी0)	चौड़ाई (मी0)	गहराई (मी0 में)	कुल मात्रा (घन मी0 में)	कुल मात्रा (टन में)	आगणित पैनाल्टी की धनराशि (₹ में)	मध्य भाग के कॉर्डिनेट्स	अभ्युक्ति
1.	78	35	3.86	10537.80	23183	36,51,348	30°47'53.8"N 78°08'55.0"E	कुल उत्खनित भूभाग में से 75% उपखनिज मात्रा की अवैध निकासी आंकलित
2.	70	70	3.00	14700	32340	67,91,400	30°47'52.98"N 78° 9'0.41"E	कुल उत्खनित भूभाग में से 100% उपखनिज मात्रा की अवैध निकासी आंकलित
कुल				31089.56	68397.03	1,04,42,748		

5. उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0 874/VII-1/2021/158–ख/04टी0सी0 देहरादून, दिनांक 10.11.2021 नियमावली–2021 के अध्याय–3 के नियम

11-07-2022
(Ambrish Rawat)
J.E.

1

14(5)(क) के तहत अवैध खनिज की मात्रा पर (25,000 टन से 50,000 टन तक रॉयल्टी का तीन गुना) के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी।

6. उक्त नियमावली–2021 के अध्याय–3 के नियम 14(5) (ख) के तहत अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध खननकर्ता से अधिनियम की धारा 21 की उपधारा–2 एवं उपधारा–5 के अनुसार अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किये जा रहे अवैध खनिज/भण्डारित अवैध खनिज की मात्रा पर उप नियम (5) (क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपखनिज नदी तल से उत्सर्जित 22603 घनमी0 अर्थात् 49727 टन (दिनांक 04.05.2022 एवं दिनाक 25.05.2022 को मापी गई अवैध खनन मात्रा एवं जे0सी0बी0 मशीन को शामिल करते हुए) पर जे0सी0बी0 मशीन सहित कुल आरोपित अर्थदण्ड ₹ 1,06,42,748/–(एक करोड़ छः लाख बयालीस हजार सात सौ अड़तालीस) मात्र मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव, तहसील बड़कोट, जनपद को उनके द्वारा पुनः अवैध खनन कार्य किये जाने पर उक्त आंगणित मात्रा पर आरोपित अर्थदण्ड की वसूली की संस्तुति की जाती है।

उपरोक्त आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

Ambrish
(Ambrish Rawat)
Junior Engg.

[signature]
रा0 उ0 नि0 (?)
कोटियालगांव

[signature] 11/7/22
(जयदेवसिंह राणा)
(वनदरोगा ओवरसीयर)

[signature]
11.07.2022
(उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक)
जनपद उत्तरकाशी

तत्व अनन्तराज इन्टरप्राइजेज द्वारा यमुना नदी तल (ग्राम कोटियाल गांव) तहसील बडकोट में अवैध खनन
निरीक्षण दिनाक 11.07.2022 उत्तराखण्ड सरकार (राजस्व भूमि क्षेत्रान्तर्गत) वर्ग 10 (i) एव 9 (3) ड भूमि पर ।

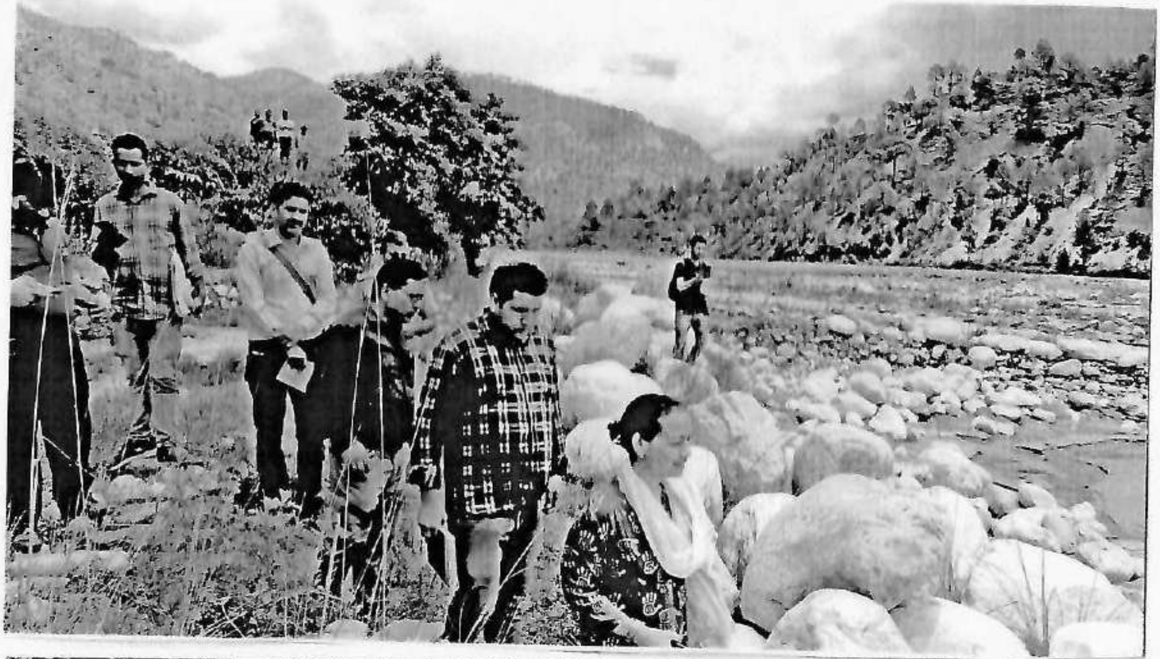

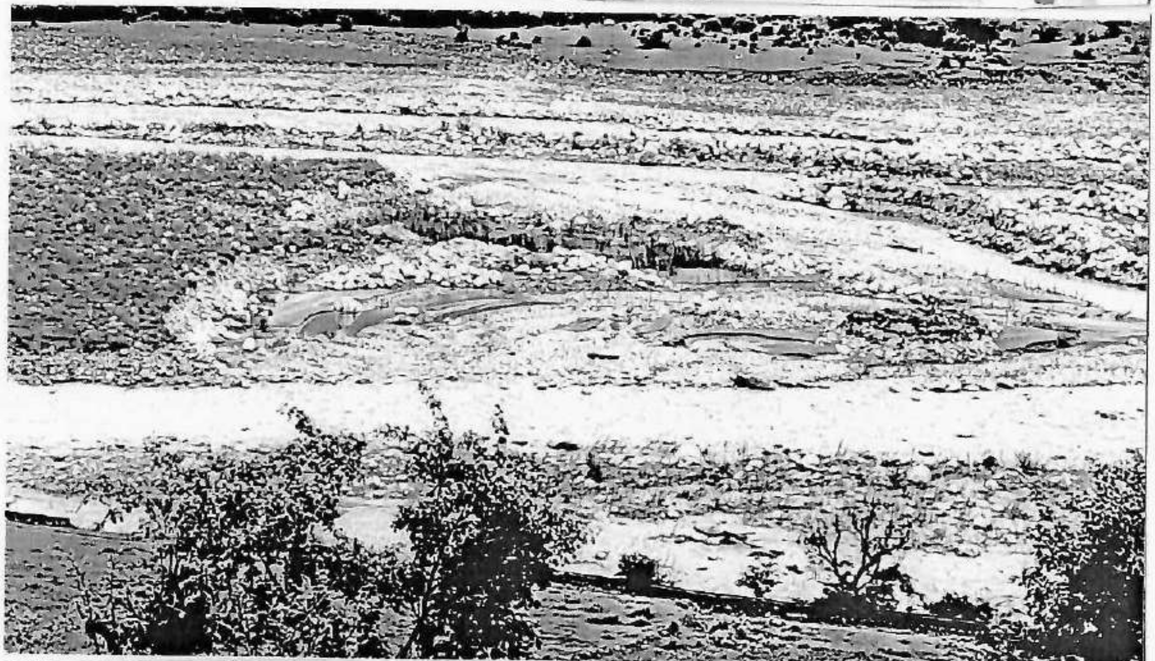

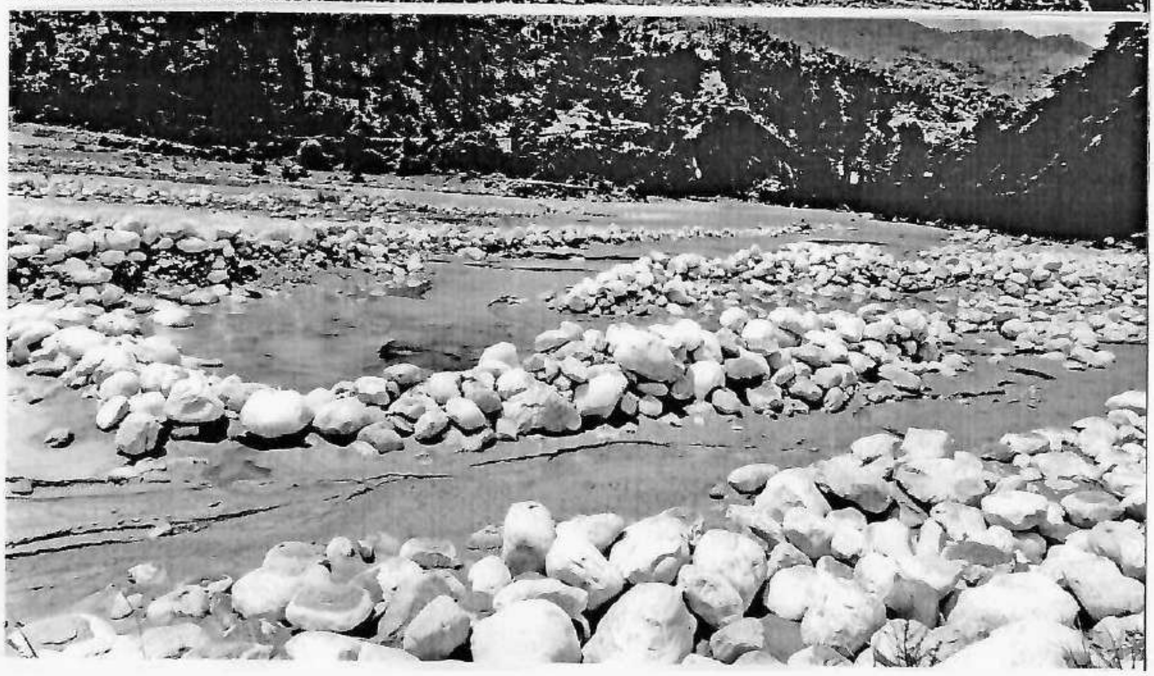

ात्व अनन्तराज इन्टरप्राइजेज द्वारा यमुना नदी तल (ग्राम कोटियाल गांव) तहसील बडकोट में अवैध खनन निरीक्षण दिनाक 11.07.2022 उत्तराखण्ड सरकार (राजस्व भूमि क्षेत्रान्तर्गत) वर्ग 10 (i) एव 9 (3) ड भूमि पर ।

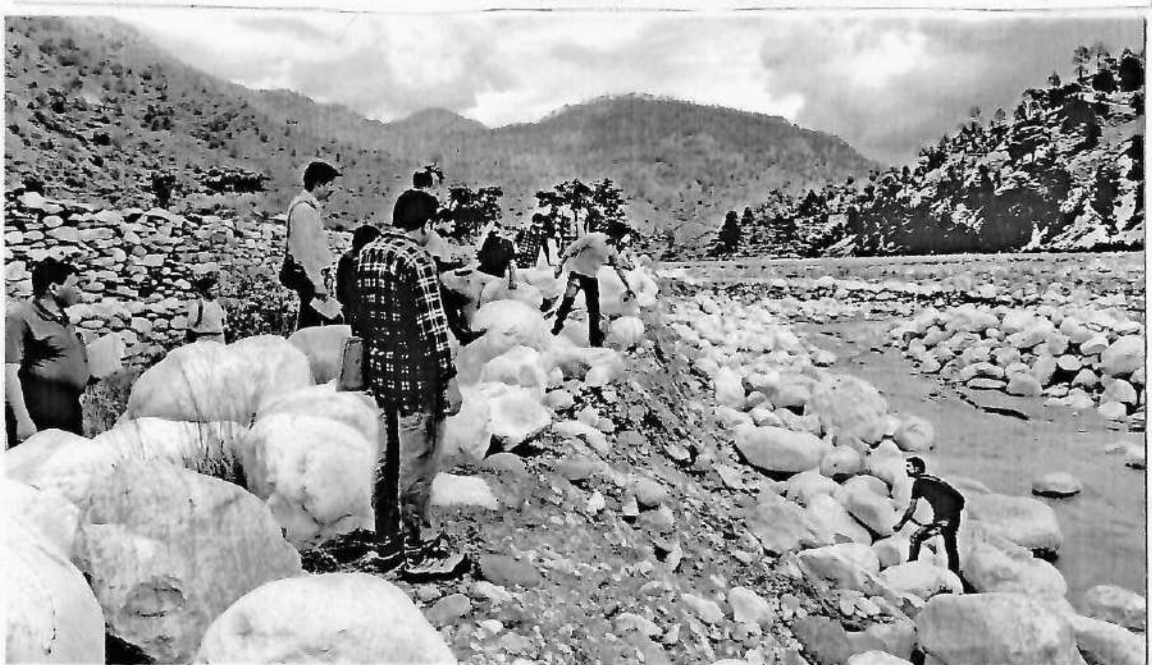

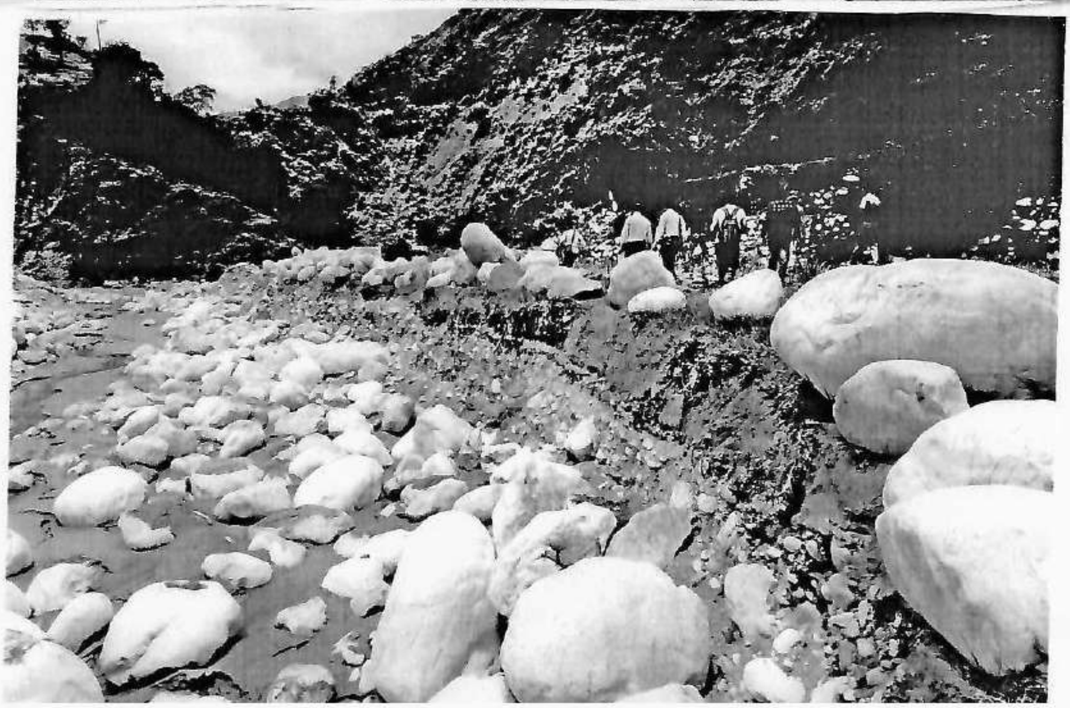

त्व अनन्तराज इन्टरप्राइजेज़ द्वारा यमुना नदी तल (ग्राम कोटियाल गांव) तहसील बडकोट में अवैध खनन निरीक्षण दिनाक 11.07.2022 उत्तराखण्ड सरकार (राजस्व भूमि क्षेत्रान्तर्गत) वर्ग 10 (i) एव 9 (3) ड भूमि पर ।

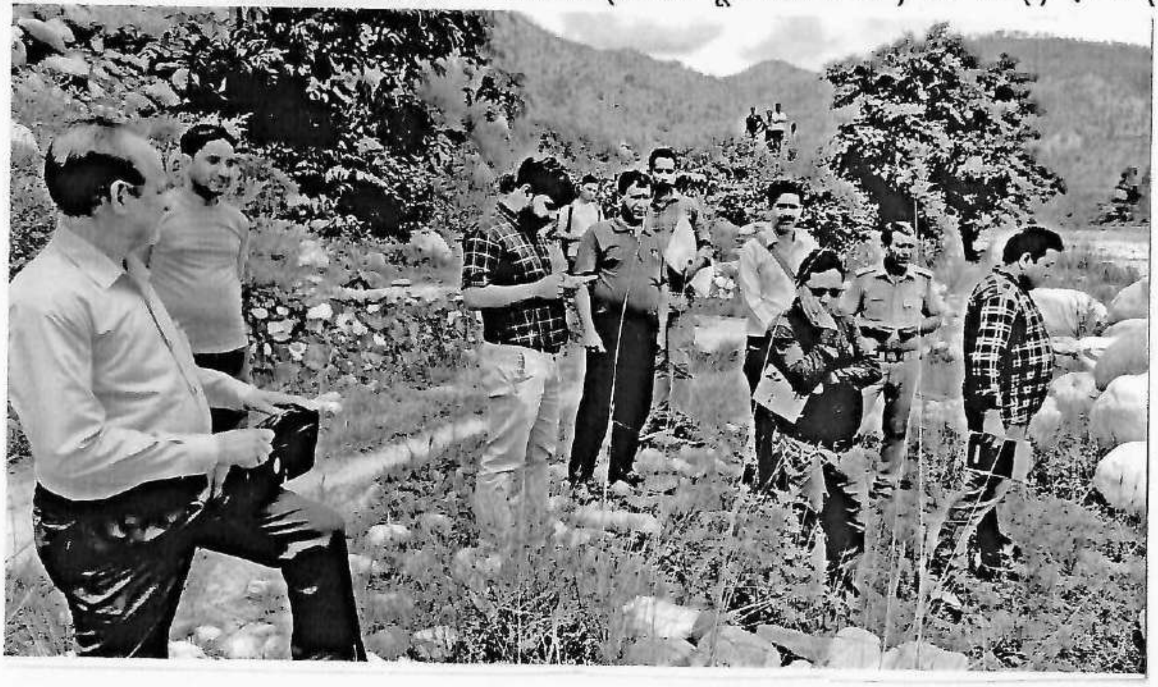

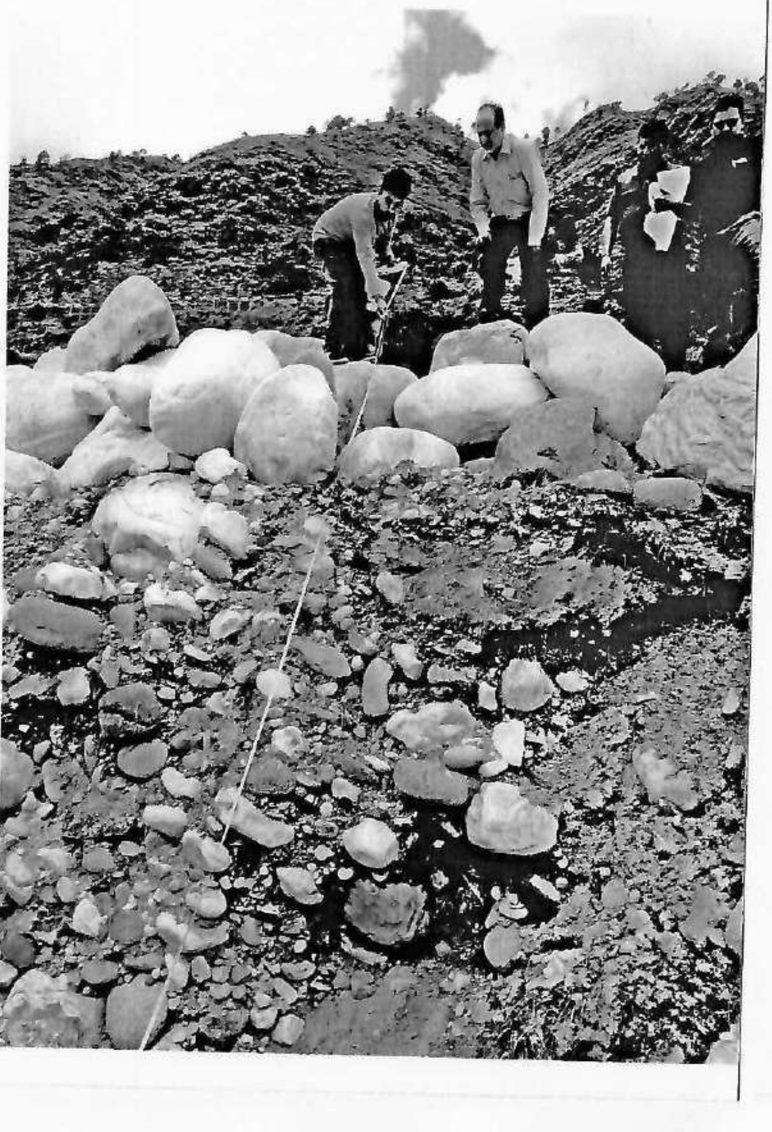

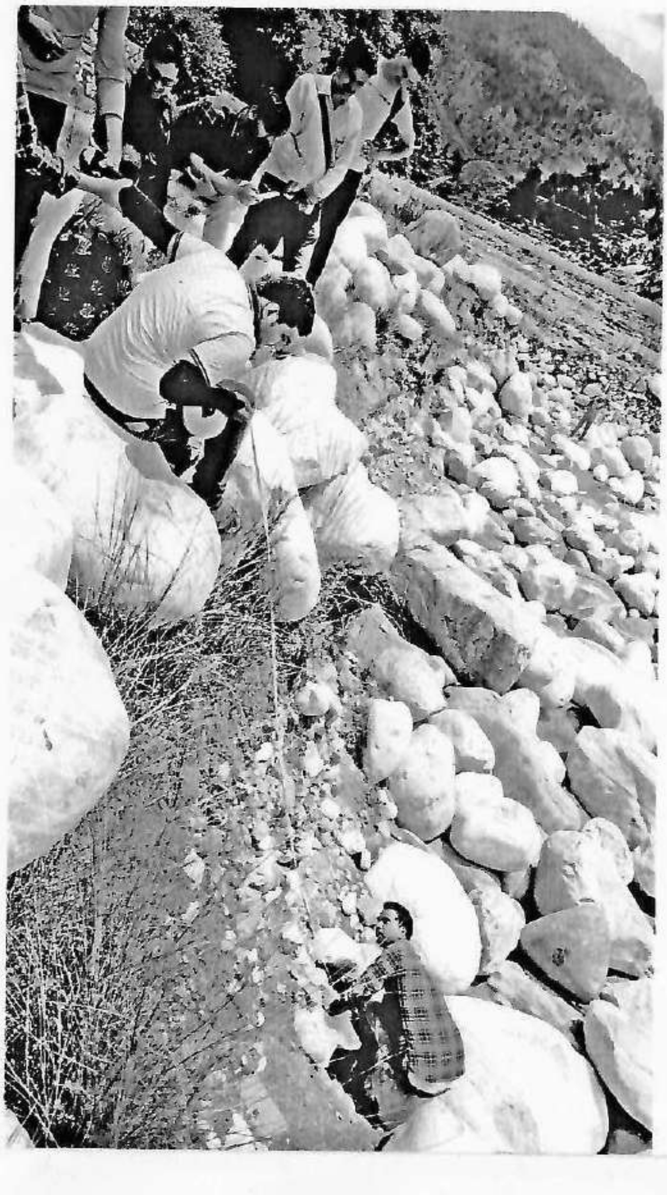

Annexure-VII

(खान अधिकारी उत्तरकाशी)

Dm 18/11/22

प्राप्ति संख्या 302
दिनांक 01-12-22
पत्रावली सं० ...
जिला टास्क फोर्स उत्तरकाशी

दिनांक – 17.11.2022

1-12-22

सेवामें,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद उत्तरकाशी।

विषय– **दिनांक 15 नवम्बर 2022 को प्राप्त अन्तिम नोटिस के सम्बन्ध में पुनः प्रत्यावेदन।**

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं0 266/32–एम0बी0(2021–22) दिनांक 13 अक्टूबर 2022 अन्तिम नोटिस जो अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 15 नवम्बर 2022 को प्राप्त हुआ है के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई जनपद उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 04.05.2022 एवं दिनांक 11.07.2022 को यमुना नदी में किए गये अवैध खनन की संयुक्त जाँच में पाये गये कुल 22603.00 घनमी0 उपखनिज की कार्यवाही के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को कुछ नहीं कहना है न ही वह अधोहस्ताक्षरी का अधिकार क्षेत्र है किन्तु संयुक्त जाँच दल द्वारा उपरोक्त अवैध खनन करने का आरोप अधोहस्ताक्षरी फर्म पर लगाये जाने का पूर्ण रूप से विरोध करता हुँ। संयुक्त जाँच दल का यह आरोप विधि संगत नहीं है और बिना ठोस साक्ष्यों के लगाये गये आरोप को मैं अस्वीकार करता हुँ।

1. यह कि संयुक्त जाँच दल द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा मौके पर 01 जे0सी0बी0 एंव 02 ट्रक खडे पाये गये, जिनके आधार पर ही मुख्यतः जांच दल द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अवैध खननकर्ता के रूप में चिन्हित करने का आधार बनाया जा रहा है। महोदय, संयुक्त जांच दल द्वारा अवैध खनन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही द्वेषपूर्ण (सम्भवतः राजनैतिक) प्रतीत होती है। महोदय, उत्तराखण्ड अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण नियमावली – 2021 के नियम 14(1) में अवैध खनन में लिप्त वाहनों पर रू0 30,000.00 का अर्थदण्ड एवं जे0सी0बी0 पर रू0 2,00,000.00 का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का स्पष्ट प्राविधान है। संयुक्त जांच दल की आख्या में उपरोक्त वर्णित वाहनों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने का कहीं कोई वर्णन नही है। जिससे स्वतः स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वाहन अवैध खनन में लिप्त नहीं थे एवं न ही संयुक्त जांच दल में उक्त वाहनों को अवैध खनन में प्रयुक्त होना पाया गया।

2. महोदय, संयुक्त जांच दल यमुना नदी में पाये गये उपरोक्त वर्णित अवैध खनन की जांच एवं पैमाइश करने के उपरान्त लगभग 01 किमी0 दूरी पर स्थित अधोहस्ताक्षरी के स्टोन क्रेशर (अस्तित्व अनन्तराज एण्टरप्राईजेज स्टोन क्रेशर) परिसर में पधारते हैं एवं वहां पर सम्पूर्ण परिसर की जांच एंव ई–रवन्ना पोर्टल की गहनतापूर्वक जांच के उपरान्त उन्हें अवैध खनन किया गया उपखनिज बरामद नहीं होता है और वे संयुक्त निरीक्षण आख्या में स्पष्ट रूप से वर्णित करते है कि "स्टोन क्रेशर परिसर में भण्डारित कच्चे एवं पक्के माल में पोर्टल के अनुसार कोई भिन्नता नही पायी गयी है"। स्टोन

(1)

क्रेशर की जांच में संयुक्त जांच दल को अवैध खनन किए गये उपखनिज की बरामदगी अथवा कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिले हैं तो फिर किस आधार पर प्रश्नगत अवैध उपखनिज खनन का आरोप अधोहस्ताक्षरी पर अधिरोपित किया गया है, यह साक्ष्य संगत नहीं है।

3. महोदय, संयुक्त जांच दल को अधोहस्ताक्षरी के स्टोन क्रेशर परिसर में जब अवैध खनन किये गये उपखनिज के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो जांच दल द्वारा अन्य समीप स्थित सम्भावित स्थलों यथा स्टोन क्रेशर अथवा अन्या प्लाण्ट आदि स्थलों पर जांच नहीं की गयी जैसा कि संयुक्त जांच आख्या से पता चलता है। महोदय, अवैध खनन उपखनिज जो 49,727.00 टन होना बताया गया है जो स्वंय में एक बहुत अधिक मात्रा है जिसे कहीं न कहीं तो आस–पास ही उपयोग में लाया ही गया होगा, क्योंकि इतनी बडी मात्रा में उपखनिज जनपद से बाहर तो नहीं जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि अधूरी जांच के आधार पर ही बिना किसी ठोस साक्ष्य के अधोहस्ताक्षरी को दण्डारोपित करना न्यायोचित नहीं है एवं स्पष्ट रूप से स्वतः ही द्वेषपूर्ण कार्यवाही परिलक्षित हो रही है।

महोदय, यहां स्पष्ट रूप से निवेदित है कि संयुक्त जांच निरीक्षण आख्या में कार्यवाही अधिनियम के नियम 21 के उपनियम 5 के प्राविधान वर्णित किये गये हैं जो निम्नानुसार अभिलिखित है:–

"Whenever any person raises, without any lawful authority, any mineral from any land, the State Government may recover from such person the mineral so raised, or when such mineral has already been disposed of, the price there of, and may also recover from such person, rent royalty or tax, as the case may be, for the period during which the land was occupied by such person without any lawful authority.

अधिनियम के नियम 21 के उपनियम 4 के प्राविधान वर्णित है कि "Whenever any person raises, transported or causes to be raised or transported, without any lawful authority, any mineral from any land, and for that per pose, uses any tool, equipment, vehicle or any other thing, such mineral tool, equipment, vehicle or any other thing shall be liable to be seized by an officer or authority specially empowered in this behalf.

प्रश्नगत प्रकरण में जांच दल द्वारा स्वंय ही अधिनियम की धारा 21 के उपनियम 5 एवं उपनियम 4 का अनुपालन नहीं किया गया है। उपनियम 5 के अन्तर्गत संयुक्त जांच दल द्वारा अवैध रूप से किए गये उपखनिज की आंकलित मात्रा 49,727 टन को आरोपित व्यक्ति से अपहत किया जाना था अथवा ऐसे आरोपित व्यक्ति से जिसने अवैध खनिज का **disposed of** किया हो उसको ज्ञात कर दण्ड अधिरोपित करना चाहिये था। संयुक्त जांच

दल द्वारा अधोहस्ताक्षरी के क्रेशर में सभी कुछ सही पाया अर्थात Clean Chit भी दी है। इसप्रकार न तो मेरे क्रेशर परिसर से उपखनिज बरामद हुआ और न ही मेरे द्वारा उपखनिज के disposed of की जानकारी संयुक्त निरीक्षण आख्या में वर्णित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संयुक्त जांच दल द्वारा अधिनियम की धारा 21 के उपनियम "5" के अन्तर्गत वर्णित प्राविधान के अनुसार कार्यवाही नहीं की है। अतः संयुक्त जांच आख्या स्वीकार करने योग्य नहीं है।

4. दिनांक 04.05.2022 को राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्रतिनिधियों द्वारा मै0 अस्तित्व अनन्त राज एण्टरप्राईजेज स्टोन क्रेशर में संयुक्त निरीक्षण आख्या आपके कार्यालय को प्रेषित की गई है जिसमें कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी महोदय के पत्र सं0 5062/32–एम0बी0 2021–22 दिनांक 13 मई 2022 द्वारा अस्तित्व अनन्तराज एण्टरप्राइजेज स्टोन क्रेशर पर अवैध खनन का कुल 93,33740.00 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया था। महोदय, उपरोक्त संयुक्त औचक निरीक्षण एवं अर्थदण्ड के सम्बन्ध में अनभिज्ञ होने पर प्रार्थी द्वारा जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पत्र लिखकर अपना पक्ष अवगत कराया गया था एवं उपरोक्त सम्बन्ध में प्रार्थी अथवा प्रार्थी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पुनः निरीक्षण कराने हेतु अनुरोध किया गया था।

5. महोदय दिनांक 04.05.2022 को किए गये संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या के बिन्दु 2, 4 ,5 एवं 6 के अनुसार मै0 अस्तित्व अनन्तराज एण्टरप्राइजेज स्टोन क्रेशर के प्रतिनिधियों द्वारा रिवर ट्रेनिंग अनुज्ञा स्थल पर अवैध खनन किया जाना पाया गया एवं चैनेलाइजेशन कार्य को क्षति पहुंचाई गई है दर्शाया गया है।

महोदय, उक्त सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि अस्तित्व अनन्तराज एण्टरप्राइजेज के प्रतिनिधियों द्वारा यमुना नदी तट पर कोई अवैध खनन नहीं किया गया है। महोदय, जैसा कि 04.05.2022 को किए गये संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या में कहा गया है कि रिवर ट्रेनिंग अनुज्ञा स्थल पर अवैध खनन किया गया है तथा चैनेलाइजेशन कार्य को क्षति पहुचाई गई है उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 01.02.2021 से 30.05.2021 तक यमुना नदी तट पर रिवर ट्रेनिंग लॉट स्वीकृत हुआ था व कुल 82500 घनमी0(181500 टन) उपखनिज का निस्तारण किया गया। संयुक्त औचक निरीक्षण में रिवर ट्रेनिंग नीति के अन्तर्गत यमुना नदी के चैनेलाइजेशन हेतु जिस स्थान से उपखनिज निस्तारित किया गया था, राजस्व विभाग एवं भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई जनपद उत्तरकाशी के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त औचक निरीक्षण में उसी स्थान पर अवैध खनन दर्शाकर मै0 अस्तित्व अनन्तराज एण्टरप्राईजेज पर अर्थदण्ड लगाया गया है।

महोदय, दिनांक 01.02.2021 से 30.05.2021 तक यमुना नदी तट पर रिवर ट्रेनिंग लॉट स्वीकृत हुआ था व कुल 82500 घनमी0(181500 टन) उपखनिज यमुना नदी को चैनेलाइज करने हेतु निस्तारित किया गया था, महोदय उपरोक्त चैनेलाइजेशन कार्य को लगभग 01 ही वर्ष पूर्ण हुआ है। यमुना नदी को चैनेलाइज करने हेतु जो

उपखनिज निस्तारित किया गया था उतना उपखनिज इतने कम समय में नदी तट पर एकत्रित होना संभव नही है। जिससे वहाँ पुनः खनन किया जा सके। महोदय, मौके पर नदी के चैनेलाईजेशन कार्य को भी कोई क्षति नहीं पहुँची है। जो मौके पर देखने पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है

महोदय, 04.05.2022 को राजस्व विभाग एवं भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई जनपद उत्तरकाशी के प्रतिनिधियों द्वारा यमुना नदी में संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया तो अस्तित्व अनन्तराज एण्टरप्राइजेज का कोई प्रतिनिधि वहाँ मौजूद नहीं था।

महोदय दिनांक 04.05.2022 को ही राजस्व विभाग एवं भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई जनपद उत्तरकाशी के प्रतिनिधियों द्वारा स्टोन क्रेशर परिसर में भी निरीक्षण किया गया महोदय, निरीक्षण करने पर स्टोन क्रेशर परिसर में अवैध खनन का कोई भी कच्चा एवं पक्का माल नहीं पाया गया। स्टोन क्रेशर परिसर में भण्डारण, पोर्टल के अनुसार पाया गया। महोदय, यदि हमारे द्वारा अवैध खनन किया गया होता तो स्टोन क्रेशर परिसर में अवैध खनन किया गया उपखनिज भण्डारित होना पाया जाता। महोदय हमारे द्वारा कोई भी अवैध खनन नहीं किया गया है यदि हमारे द्वारा अवैध खनन किया जाता तो स्टोन क्रेशर परिसर में भी अवैध खनन का कच्चा माल भण्डारित होता।

6. महोदय, दिनांक 04.05.2022 को किए गये संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या के बिन्दु 3 एवं 7 के अनुसार मौके पर जे०सी०बी० सं० UK10CA 1212 व ट्रक सं० UK10CA0956 एवं UK10CA0911 को कार्य करते हुए पाया गया है।

*महोदय, अवगत कराना है कि ट्रक सं0 **UK10CA0956** प्रार्थी के स्वामित्व में नहीं है। महोदय, आख्या में स्पष्ट नहीं है कि उपरोक्त वाहनों में अवैध खनन का कितना माल था तथा न ही मौके पर अवैध खनन का कोई चालान राजस्व विभाग एवं भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। महोदय, संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या में मशीन चालक एवं ट्रक चालक के हस्ताक्षर भी नहीं है जिससे ज्ञांत हो सके उपरोक्त वाहनों द्वारा अवैध खनन किया गया हो।*

7. महोदय, दिनांक 04.05.2022 की संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या पर राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उपनिरीक्षक के हस्ताक्षर है। *महोदय कार्यालय जिलाधिकारी महोदय का नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक कोटियालगांव से सम्पर्क करने पर सूचना ली गई कि दिनांक 04.05.2022 को आपके द्वारा यमुना नदी तट पर कोई संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया है तो उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हे मै0 अस्तित्व अनन्त राज एण्टरप्राईजेज स्टोन क्रेशर में उक्त संयुक्त औचक निरीक्षण के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है, तथा उनके द्वारा उक्त संयुक्त औचक निरीक्षण में प्रतिभाग नहीं किया गया है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि राजस्व निरीक्षक नौगांव के द्वारा उनको उपरोक्त आख्या में हस्ताक्षर करने हेतु निर्देशित किया गया था।* महोदय, यह भी अवगत कराना है कि संयुक्त औचक

निरीक्षण आख्या में उपजिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर भी नहीं है। महोदय, दिनांक 04.05.2022 को किए गये संयुक्त औचक निरीक्षण में, भू–वैज्ञानिक/उपनिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई जनपद उत्तरकाशी द्वारा स्टोन क्रेशर परिसर में भी भण्डारित उपखनिज की जॉच की गई थी। स्टोन क्रेशर परिसर में अवैध खनन का कोई उपखनिज भण्डारित नहीं पाया गया था।

8. महोदय, दिनांक 11.07.2022 की संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या के बिन्दु 2 के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि प्रार्थी को संयुक्त निरीक्षण की कोई भी लिखित सूचना प्रदान नहीं की गयी न ही प्रार्थी के किसी प्रतिनिधि को संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में लिखित सूचना दी गई। महोदय, प्रार्थी सुबह 9.00 बजे से 10.30 बजे तक स्टोन क्रेशर प्लाण्ट पर ही उपस्थित था तथा लगभग 11.00 बजे स्टोन क्रेशर परिसर से अन्य कार्य हेतु अन्यत्र चला गया। महोदय, तहसीलदार महोदय, बडकोट द्वारा लगभग 11.30 बजे फोन कॉल पर संयुक्त निरीक्षण हेतु मौजुद रहने को कहा गया, प्रार्थी द्वारा अन्य कार्य में व्यस्थता के कारण तहसीलदार महोदय को 4.00 बजे संयुक्त निरीक्षण करने हेतु अनुरोध किया गया। प्रार्थी 4.00 बजे से 7.00 बजे तक स्टोन क्रेशर परिसर में उपस्थित था जाँच कमेटी के सदस्यों से फोन पर सम्पर्क करने पर कोई उत्तर प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ। जाँच कमेटी के सदस्यों द्वारा दिनांक 11.07.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया या नहीं प्रार्थी उससे अनभिज्ञ है।

9. महोदय, दिनांक 04.05.2022 को यमुना नदी तट पर किये गये संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या के बिन्दु 6 के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) के खसरा सं0 2820 रकबा 0.372 हे0 तथा उत्तराखण्ड सरकार जलमग्न भूमि वर्ग 10(I) के खसरा सं0 2958 रकबा 0.845 हे0 भूमि पर 19770 घन मी0 (43494 टन) अवैध खनन किया जाना दर्शाया गया है एवं 11.07.2022 को किए गये संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या के बिन्दु 4 के अनुसार ग्राम कोटियालगांव के उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड के खसरा सं0 2820 रकबा 0.372 हे0 तथा उत्तराखण्ड सरकार जलमग्न भूमि वर्ग 10(I) के खसरा सं0 2958 रकबा 0.845 हे0, खसरा सं0 2959म0 रकबा 0.421 एवं खसरा नं0 2960 रकबा 0.095 हे0 भूमि पर 31089 घन मी0 (68397.03 टन) अवैध खनन किया जाना दर्शाया गया है।

महोदय, उपरोक्त के सबन्ध मे आपको अवगत कराना है कि दिनांक 04.05.2022 को किये गये संयुक्त औचक निरीक्षण आख्यानुसार राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्रतिनिधियों द्वारा मौके पर कार्य बन्द करा दिया गया था तो 11.07.2022 को किए गये संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या में खसरा सं0 2959म0 रकबा 0.421 एवं खसरा नं0 2960 रकबा 0.095 हे0 भूमि पर अवैध खनन किया जाना क्यों दर्शाया गया है एवं खनन की गई मात्रा में भी अन्तर क्यों पाया गया है। महोदय, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त दोनो संयुक्त निरीक्षण निजी द्वेष के कारण किए गये हैं।

10. महोदय, दिनांक 11.07.2022 की संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या के बिन्दु 3 के अनुसार स्टोन क्रेशर परिसर के पिछले गेट (उत्तर–पूरब दिशा) से परिसर के अन्दर अवैध खनन स्थल तक वाहन पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाना दर्शाया गया है। महोदय उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको यह अवगत कराना है कि उपरोक्त कच्चे मार्ग का उपयोग कोटियालगांव के ग्रामवासियों द्वारा यमुना नदी तट पर अपने खेतों तक पंहुचने हेतु किया जाता है। *महोदय यह भी अवगत कराना है कि ग्राम कोटियालगांव के यमुना नदी तट पर खसरा न0 2958म0, 3176म0, 3177म0 कुल रकबा 3.00 है0 भूमि पर रिवर ट्रेनिंग लॉट के अन्तर्गत नदी के चैनेलाइजेशन कार्य हेतु उपखनिज की निकासी के लिए उपरोक्त मार्ग का निर्माण कराया गया था, जिसकी अनुमति हेतु प्राथी द्वारा शुल्क भी निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया गया है (प्रति संलग्न)।* प्रार्थी द्वारा उपरोक्त मार्ग से कोई अवैध खनन नहीं किया जाता है।

महोदय यदि प्रार्थी द्वारा उक्त मार्ग से अवैध खनन किया गया होता तो दिनांक 04.05.2022 को संयुक्त औचक निरीक्षण के दौरान स्टोन क्रेशर परिसर में अवैध उपखनिज पाया जाता किन्तु दिनांक 04.05.2022 को संयुक्त औचक निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्रतिनिधियों को स्टोन क्रेशर परिसर में कोई अवैध खनन उपखनिज नहीं पाया गया। स्टोन क्रेशर परिसर में भण्डारित उपखनिज ऑनलाईन पोर्टल के अनुसार ही पाया गया।

महोदय, जो भी तथ्य संयुक्त निरीक्षण आख्या में दिए गये हैं उनमे कहीं यह स्पष्ट नहीं है कि अवैध खनन हमारे द्वारा किया गया है। स्टोन क्रेशर की जांच में संयुक्त जांच दल को अवैध खनन किए गये उपखनिज की बरामदगी अथवा कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिले है। संयुक्त जांच दल द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत नहीं है। संयुक्त जांच आख्या स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण की पुनः जाँच करवाने की कृपा करें तथा जिनके द्वारा अवैध खनन किया गया हो उन पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने का कष्ट करें।

संलग्नः

1. **दिनांक 15.11.2022 को प्राप्त अन्तिम नोटिस।**

प्रतिलिपिः

1. **अपर जिलाधिकारी महोदय, जनपद उत्तरकाशी।**
2. **उप जिलाधिकारी महोदय, जनपद उत्तरकाशी।**

प्रार्थी

Vinod Dobhal

विनोद डोभाल

प्रो0 अस्तित्व अनन्त राज एण्टरप्राईजेज

ग्राम कोटियालगांव, नौगांव

जनपद उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या २८८ /32–एम0वी0(2021–22) दिनांक 13 अक्टूबर 2022

मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज,
प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव,
तहसील बड़कोट जनपद उत्तरकाशी।

द्वारा–तहसीलदार बड़कोट

—:: अन्तिम नोटिस ::—

एतद्द्वारा सूचित करना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या–6879/32–एम0वी0 (2021–22) दिनांक 06 अगस्त 2022 के द्वारा आपको अवैध खनन करने तथा बिना अनुमति के जे0सी0बी0 मशीन का उपयोग करने पर कुल 1,06,42,,748.00 (एक करोड छः लाख बयालीस हजार सात सौ अडतालीस) रूपये को निर्धारित लेखा शीर्षक 0853–00–102–01–0000 में नोटिस प्राप्ति के 15 दिन अन्दर जमा करने तथा कोष पत्र की एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का नोटिस प्रेषित किया गया है। आपके द्वारा नोटिस में उल्लिखित धनराशि को जमा नहीं किया गया, और आपके द्वारा उक्त नोटिस के विरूद्ध दिनांक 21.09.2022 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संयुक्त निरीक्षण आख्या तथा आरोपित अर्थदण्ड को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। आपका उक्त प्रार्थना पत्र बलहीन होने से जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 11.10.2022 को खारीज किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से पुनः अंतिम बार सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त अवैध खनन करने तथा बिना अनुमति के जे0सी0बी0 मशीन का उपयोग करने पर आरोपित कुल 1,06,42,748.00 (एक करोड छः लाख बयालीस हजार सात सौ अडतालीस) रूपये को निर्धारित लेखा शीर्षक 0853–00–102–01–0000 में नोटिस प्राप्ति के 15 दिन अन्दर जमा करें तथा कोष पत्र की एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करे। निर्धारित तिथि तक उक्त धनराशि जमा न करने पर उक्त धनराशि को बतौर भूराजस्व मालगुजारी के वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

प्रतिलिपि–उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तरकाशी ।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

Scanned with CamScanner

Annexure-VIII

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः805/VII-A-1/2023–10(22)/2022
देहरादून,दिनांकः 18 मई, 2023

कार्यालय ज्ञाप

अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या–5062/32–एम0बी0(2021–22), दिनाक 13.05.2022 दिनांक 06.08.2022 द्वारा मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के स्टोन केशर में दिनांक 04.05.2022 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के आधार पर कुल 19770 घ0मी0 अर्थात 43494 टन उपखनिज अवैध खनन करने पर रॉयल्टी का तीन गुना रू0 91,33,740.00 तथा बिना अनुमति के जे0सी0बी0 मशीन का उपयोग करने पर रू0 2.00 लाख कुल रू0 93,33,740/– जुमाना आरोपित करते हुए उक्त धनराशि को 07 दिन के भीतर जमा किये जाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, जिसके सन्दर्भ में मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र दिनांक 18.05.2022 के कम में पुनः दिनांक 11.07.2022 को किये गये संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या–6879/32–एम0बी0 (2021–22), दिनांक 06.08.2022 एवं पत्र संख्या–266/32 एम0बी0(2021–22), दिनांक 13.10.2022 द्वारा मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज पर उपखनिज नदी तल से उत्सर्जित 22603 घ0मी0 अर्थात 49727 टन (दिनांक 04.05.2022 एवं दिनांक 25.05.2022 को मापी गई अवैध खनन मात्रा एव जे0सी0बी0 मशीन को शामिल करते हुए) पर कुल रू0 1,06,42,748/–जुमाना आरोपित करते हुए उक्त धनराशि को 15 दिन के भीतर जमा किये जाने हेतु नोटिस एवं अन्तिम नोटिस निर्गत किया गया।

2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा निर्गत उक्त नोटिसों के सम्बन्ध में मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 03.12.2022 को शासन स्तर पर अपील/पुनरीक्षण योजित की गई, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 23.01.2023 को सुनवाई निर्धारित की गई। उक्त सुनवाई में निम्न द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री हनुमान प्रसाद तिवारी, उप सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री देवानन्द, उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. श्री जी0डी0 प्रसाद, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद उत्तरकाशी।
4. श्री दीपक जोशी, अनुभाग अधिकारी, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासनं
5. श्री विनोद डोभाल, पुनरीक्षणकर्ता।

3. बैठक में उपस्थित उप निदेशक/भूवैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद उत्तरकाशी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 26.12.2022 के सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार मौके पर जे0सी0बी0 मशीन कार्य करते हुये देखी गयी, संयुक्त औचक निरीक्षण दल को देखकर जे0सी0बी0 मशीन संख्या UK10 CA 1212, ट्रक संख्या UK10 CA 0936 एवं ट्रक संख्या UK10 CA 0911 के ड्राईवरों द्वारा मौके पर कार्य बन्द कर दिया गया है। संयुक्त औचक निरीक्षण दिनांक 04.05.2022 में मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज स्टोन केशर की जांच किया जाना परिलक्षित हुआ है, अन्यत्र किसी स्थान के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है तथा वाहन सीज/चालान किये जाने का भी कोई उल्लेख नहीं है तथा अभिलेखानुसार किसी भी वाहन को सीज किया जाना नहीं पाया गया। उक्त वाहनों का स्वामित्व मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज का होने के कारण अवैध खनन का आरोप उक्त फर्म पर किया गया है।

4. सुनवाई बैठक में पुनरीक्षणकर्ता श्री विनोद डोभाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.12.2022 के सन्दर्भ में अवगत कराया गया है कि संयुक्त जांच दल द्वारा अवैध खनन स्थल पर 02 ट्रक व जे0सी0बी0 के खड़े होने मात्र के आधार पर ही मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के स्टोन केशर पर जुर्माना धनराशि आरोपित की गयी है जबकि उक्त वाहनों पर नियमानुसार कोई भी अर्थ दण्ड अधिरोपित किये जाने का कोई वर्णन जांच रिपोर्ट में नहीं है तथा उक्त स्टोन केशर में अवैध खनन का कोई उपखनिज बरामद नहीं हुआ है तथा स्टोन केशर परिसर में भण्डारित कच्चे एवं पक्के माल में पोर्टल के अनुसार कोई भिन्नता नहीं पायी गयी है। इसके अतिरिक्त जांच दल द्वारा अन्य समीप स्थित सम्भावित स्थलों यथा स्थोन केशर अथवा अन्य प्लान्ट आदि की कोई जांच नहीं की गयी है। जबकि अवैध उपखनिज, जो 49727 टन होना बताया गया है, की मात्रा को कहीं न कहीं तो उपयोग में लाया गया होगा, इसका कोई साक्ष्य व बरामदगी रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा एम0एम0डी0आर एक्ट के नियम 21 के उपनियम 4 व 5 का हवाला देते हुये अवगत कराया गया कि जांच दल द्वारा उक्त अधिनियम के संगत नियमों का पालन नहीं किया गया है, जबकि संयुक्त जांच दल द्वारा अवैध उपखनिज की आंकलित मात्रा 49727 टन को आरोपित व्यक्ति से अपहृत किया जाना था अथवा ऐसे आरोपित व्यक्ति, जिसने अवैध खनिज को Disposed Off किया हो, को ज्ञात कर दण्ड आरोपित करना चाहिये था जोकि जांच दल द्वारा नहीं किया गया। जांच दल द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के केशर में सभी कुछ सही पाया गया तथा केशर परिसर से अवैध उपखनिज की कोई बरामदगी नहीं पायी गयी तथा न ही केशर परिसर में अवैध खनन के कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य ही मिले हैं, जिस कारण संयुक्त जांच रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य न होने के कारण आरोपित जुर्माना धनराशि को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5. सुनवाई में विभागीय अधिकारियों एवं उपलब्ध अभिलेखों की विवेचना करने के दौरान पाया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र के आस-पास कई अन्य स्टोन केशर भी स्थापित हैं तथा मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के स्टोन केशर द्वारा ही अवैध खनन किया गया है, इसके पुष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये है। निरीक्षण के दौरान पायी गयी जे0सी0बी0 मशीन तथा ट्रक पर भी अर्थदण्ड न होने से यह स्पष्ट नहीं है कि अवैध खनन करते पाये गये वाहन उक्त स्टोन केशर से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में सुनवाई बैठक में विभागीय अधिकारियों से चाही गई पुष्ट जानकारी का कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा न ही इसके कोई साक्ष्य व प्रमाण ही उपलब्ध हो सके।

उक्त सुनवाई में विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत तथ्य, अपीलकर्ता के कथन एवं सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन/विवेचना करने के उपरान्त निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:-

आदेश

प्रकरण में अवैध खनन स्थल के निरीक्षण से सम्बन्धित रिर्पोट व उपलब्ध आख्या तथा संगत अभिलेखों के अवलोकन से यह पाया गया कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान मौके पर पाये गये ट्रक व जे0सी0बी0 पर नियमानुसार कोई अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी जबकि पकड़े गये वाहनों को सीज/चालान किये जाने की कार्यवाही भी मौके पर नियमानुसार की जानी चाहिये थी, मात्र अवैध खनन स्थल पर खड़े वाहनों के स्वामित्व का आधार लेते हुये अवैध खनन किये जाने हेतु पुनरीक्षणकर्ता मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज को ही आरोपी बनाया जाना तर्कसंगत नहीं पाया गया। प्रकरण में संयुक्त जांच दल द्वारा अवैध खनन से सम्बन्धित उपखनिज की बरामदगी मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज के स्टोन केशर अथवा समीपस्थ अन्य किसी स्थान/स्टोन केशर से होने का कोई अभिलेखीय साक्ष्य अपनी रिपोर्ट में उपलब्ध/अंकित नहीं कराया जा सका है। इसके अतिरिक्त मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज के स्टोन केशर से सम्बन्धित पोर्टल पर भी उक्त

अवैध उपखनिज की मात्रा का कोई अपडेट/उपलब्धता नहीं दर्शायी गयी है तथा न ही अवैध खनन स्थल से उपखनिज के सम्बन्धित केशर पर अवैध आवागमप के कोई फोटोग्राफस ही उपलब्ध हैं। प्रकरण में मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज द्वारा ही अवैध खनन किये जाने के कोई स्पष्ट व पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है तथा न ही सुनवाई बैठक में कोई समुचित आधार व साक्ष्य ही उपलब्ध कराये गये। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा ही अवैध खनन किये जाने के कोई पुख्ता साक्ष्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं है, जिस कारण पर्याप्त साक्ष्यों की पुष्टि के अभाव में मात्र काल्पनिक रूप से पुनरीक्षणकर्ता को अवैध खनन का दोषी मान लिया जाना न्याय संगत नहीं पाया गया। अतः पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अवैध खनन किये जाने के पुष्ट साक्ष्यों व अभिलेखों के अभाव में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या–6879/32–एम0बी0(2021–22), दिनांक 06.08.2022 एवं पत्र संख्या–266/32 एम0बी0 (2021–22), दिनांक 13.10.2022 द्वारा निर्गत नोटिसों को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए तद्नुसार पुनरीक्षण/अपील निर्णित एवं निस्तारित की जाती है।

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

संख्याः /VII-A-1/2023–10(22)/2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी।
4. गार्ड फाईल।

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या /VII-A-1/2023–10(22)/2022
देहरादून: दिनांक: 18 जनवरी, 2023

श्री विनोद डोभाल,
प्रो0 अस्तित्व अनन्त राज एण्टरप्राईजेज,
ग्राम कोटियालगांव, नौगांव,
जनपद उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा पारित नोटिस सं0 5062/32–एम0बी0(2021–22) दिनांक 13.05.2022 एवं आदेश सं0 6879/32–एम0बी0(2021–22) दिनांक 06.08.2022 के विरूद्ध उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम–15 एवं 16 के अन्तर्गत आप द्वारा शासन में प्रस्तुत अपील/पुनरीक्षण याचिका पर अपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष उनके सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में दिनांक 23.01.2023 को अपरान्ह 4.00 बजे पुनः सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गयी है।

कृपया उक्त सुनवाई में अपना पक्ष रखे जाने हेतु यथास्थान/यथासमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें, आप द्वारा उपस्थित न रहने की दशा में प्रकरण पर उपलब्ध अभिलेखों/तथ्यों के आधार पर निर्णय ले लिया जाएगा।

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

संख्या 95/VII-A-1/2023–10(22)/2022 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सुनवाई में निर्धारित समयानुसार समस्त सम्बन्धित अभिलेखों सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सुनवाई में प्रतिभाग किये जाने हेतु नामित अधिकारी को उक्त बैठक में यथासमय/यथास्थान प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. सहायक भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई/जिला खान अधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्धारित सुनवाई में निर्धारित समयानुसार समस्त सम्बन्धित अभिलेखों सहित प्रतिभाग करने तथा उक्त सुनवाई के सम्बन्ध में अपने स्तर से सम्बन्धित प्रतिभागियों को सूचित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

प्राप्ति संख्या 412
दिनांक 01-02-23
पत्रावली सं०

जिला टास्क फोर्स उत्तरकाशी

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्याः 2337 / 32–एम0बी0–अवै0ख0 / 2021–22 दिनांक 20 जनवरी, 2023

सेवामें,

उप जिलाधिकारी,
बडकोट ।

विषय– श्री विनोद डोभाल, प्रो0 अस्तित्व अनन्त राज इण्टरप्राईजेज ग्राम कोटियालगांव नौगांव जनपद उत्तरकाशी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–1900 / 32–एम0बी0–अवैध ख0 / 2021–22 दिनांक 28 दिसम्बर 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री विनोद डोभाल द्वारा शासन में प्रस्तुत अपील / पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि 30 दिसम्बर 2022 को अपराह्न 4.00 बजे जिलाधिकारी महोदय की ओर से पक्ष रखने हेतु आपको नामित किया गया था।

शासन द्वारा उक्त अपील / पुनरीक्षण याचिका पर अपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में दिनांक 23.01.2023 को अपरान्ह 4.00 बजे पुनः सनुवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई है।

अतः शासनप में उक्त अपील / पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई हेतु नियत तिथि / समय पर सम्पूर्ण अभिलेखों / दस्तावेजो सहित जिलाधिकारी महोदय की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

प्रतिलिपि–उप निदेशक / भूवैज्ञानिक उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत तिथि को शासन में सम्पूर्ण अभिलेखों / दस्तावेजों सहित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित ।

प्रभारी अधिकारी
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

सेवामें,

अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1,
देहरादून।

संख्याः 1900 /32–एम0बी0–अवै0ख0/2021–22 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022

विषय– श्री विनोद डोभाल, प्रो0 अस्तित्व अनन्त राज इण्टरप्राईजेज ग्राम कोटियालगांव नौगांव जनपद उत्तरकाशी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1934(1)/VII-A/ 2022/10(22)/2022 दिनांक 21 दिसम्बर 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री विनोद डोभाल द्वारा शासन में प्रस्तुत अपील/पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि 30 दिसम्बर 2022 को अपराह्न 4.00 बजे में जिलाधिकारी महोदय/प्रतिनिधि को अभिलेखों सहित उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये है।

अतः शासन के उपरोक्त पत्र के क्रम में सम्पूर्ण अभिलेखों/दस्तावेजों सहित जिलाधिकारी महोदय की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री देवानन्द शर्मा, उप जिलाधिकारी बडकोट को नामित किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अभिषेक रूहेला)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रतिलिपि–श्री देवानन्द शर्मा उप जिलाधिकारी बडकोट को इस आशय से प्रेषित कि नियत तिथि/समय पर शासन में उपस्थित होकर अद्योहस्ताक्षरी की ओर से अभिलेखों/दस्तावेजों सहित पक्ष प्रस्तुत करें ।

2– उप निदेशक/भूवैज्ञानिक उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत तिथि को शासन में सम्पूर्ण अभिलेखों/दस्तावेजों सहित पक्ष प्रस्तुत करें।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड,
जिला टॉस्क फोर्स, कार्यालय– उत्तरकाशी।

संख्याः 352 /भू0खनि0ई0–उ0का0/अवैध ख.प.भ./2022–23 दिनांकः 26/12/2022

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जनपद उत्तरकाशी।

विषयः **दिनांक 15 नवम्बर 2022 को अवैध खनन के सम्बन्ध में प्राप्त नोटिस के सम्बन्ध में बिन्दुवार जॉच कराने हेतु अपील।**

सन्दर्भः–

1. श्री विनोद डोभाल प्रो0 अस्तित्व अनन्त राज एण्टरप्राजेज स्टोन क्रेशर ग्राम कोटियालगांव, नौगांव जनपद उत्तरकाशी के पत्र दिनांक 17.12.2022 पर आपके आदेश दिनांक 18.11.2022
2. अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 1918/VII-A-I/2022/03(16)2019, दिनांक 06.12.2022।
3. कार्यालय जिलाधिकारी के पत्र संख्या 1744/32–एम0बी0–अवैध खनन (2021–22), दिनांक 22.12.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रकरण पर उक्त सन्दर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0 2470/VII-A-1/2022/198ख/07, दिनांक 30.01.2022 एवं कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र सं0 1340/30–एम0बी0–(अ0ख0अकुश), दिनाक 13.12.2021 एवं पत्र सं0 1161/30–एम0बी0–(अ0ख0अंकुश), दिनांक 01.12.2021 के अनुपालन में जनपद उत्तरकाशी की तहसील बडकोट के ग्राम कोटियालगांव में यमुना नदी तल क्षेत्रान्तर्गत मै0 अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव, तहसील बडकोट के प्रतिनिधियों के द्वारा यमुना नदी तल में अवैध खनन करते हुये पाया गया जिसका संयुक्त औचक निरीक्षण राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई जनपद उत्तरकाशी के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 04.05.2022 को किया गया जिसके क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के नोटिस सं0 5062/32–एम0बी0(2021–22), दिनांके 13.05.2022 के द्वारा मै0 अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज , प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव, तहसील बडकोट को अर्थदण्ड ₹ 93,33,740.00 मात्र की धनराशि जमा कराये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया।

उपरोक्त के क्रम में मै0 अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज , प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव, तहसील बडकोट के अनुरोध पत्र दिनांक 18.05.2022 के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या 5222/32–एम0बी0–अवैध खनन, दिनांक 21.05.2022 एवं

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बडकोट के पत्र संख्या 752/पी0ए0–स्टोन क्रेशर पत्रा0/2021–22, दिनांक 28.06.2022 के द्वारा प्रश्नगत स्थल के पुनः संयुक्त निरीक्षण की तिथि दिनांक 11.07.2022, समय प्रातः 10.00 बजे निर्धारित की गयी। दिनांक 11.07.2022 को उपजिलाधिकारी बडकोट के नेतृत्व मे

राजस्व विभा, वन विभाग, सिंचाई खण्ड पुरोला एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद उत्तरकाशी के कार्मिकों की संयुक्त दल द्वारा मौके का स्थलीय निरीक्षण सम्पन्न किया गया तथा मौके पर अवैध खनन की पुष्टि की गयी एवं अवैध खनन की पैमाईश कर कुल अवैध उत्खनित उपखनिज की मात्रा का आंगणन कर अर्थदण्ड आंगणित करते हुये संयुक्त निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी को उपजिलाधिकारी बडकोट द्वारा अपने पत्र सं0 791/पीए–स्टोन–पत्रा0/2021–22, दिनांक 15.07.2022 के द्वारा प्रेषित की गयी। संयुक्त निरीक्षण के आख्या के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के नोटिस सं0 6879/32–एम0बी0 (2021–22), दिनांके 06.08.2022 के द्वारा मै0 अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज , प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव, तहसील बडकोट को अर्थदण्ड ₹ 1,06,42,748.00 मात्र की धनराशि जमा कराये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया।

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी के अन्तिम नोटिस सं0 266/32–एम0बी0(2021–22), दिनोंक 13.10.2022 के अन्तर्गत मै0 अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 21.09.2022 को अस्वीकार करते हुये धनराशि जमा कराये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है।

वर्तमान में अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 1918/VII-A-1/2022/03(16)2019, दिनांक 06.12.2022 के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी के पत्र संख्या 1744/32–एम0बी0–अवैध खनन (2021–22), दिनांक 22.12.2022 के साथ संलग्न मै0 अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल के प्रत्यावेदन दिनांक 25.11.2022 जो इस कार्यालय को विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है के सम्बन्ध में निम्नवत बिन्दुवार अवगत कराना है :–

1. बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या दिनांक 04.05.2022 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार "मौके पर जे0सी0बी0 मशीन कार्य करते हुये देखी गई है, संयुक्त औचक निरीक्षण दल को देखकर जे.सी.बी. मशीन संख्या UK10 CA 1212 व ट्रक संख्या UK10 CA 0936 एवं ट्रक संख्या UK10 CA 0911 ड्राईवरों द्वारा मौके पर कार्य बन्द कर दिया गया, जिनका स्वामीत्व आस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज का होना पाया गया है" एवं नियमावली अनुसार बिना अनुमति के जे.सी.बी. का उपयोग किये जाने पर 2.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। वर्णित है।
2. बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या दिनांक 04.05.2022 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार " मौके पर जे0सी0बी0 मशीन कार्य करते हुये देखी गई है, संयुक्त औचक निरीक्षण दल को देखकर जे.सी.बी. मशीन संख्या UK10 CA 1212 व ट्रक संख्या UK10 CA 0936 एवं ट्रक संख्या UK10 CA 0911 ड्राईवरों द्वारा मौके पर कार्य बन्द कर दिया गया, जिनका स्वामीत्व आस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज का होना पाया गया है"।, के आधार पर प्रश्नगत अवैध उपखनिज खनन का आरोप में अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज पर अधिरोपित किया गया है।
3. बिन्दु संख्या 3 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संयुक्त औचक निरीक्षण दिनांक 04.05.2022 में आस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज स्टोन क्रेशर की जॉच किया जाना परिलक्षित होता है अन्यत्र किसी स्थान के सम्बन्ध मे उक्त संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या में उल्लेख नही किया गया है।

वाहन सीज/चालान किये जाने का कोई उल्लेख नही किया गया है एवं अभिलेखानुसार किसी भी वाहन को सीज किया जाना नही पाया गया है।

श्री विनोद डोभाल के पत्र दिनांक 17.11.2022 के बिन्दु सं0 3 के अन्तिम पैरा के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या दिनांक 04.05.2022 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार " मौके पर जे0सी0बी0 मशीन कार्य करते हुये देखी गई है, संयुक्त औचक निरीक्षण दल को देखकर जे.सी.बी. मशीन संख्या UK10 CA 1212 व ट्रक संख्या UK10 CA 0936 एवं ट्रक संख्या UK10 CA 0911 ड्राईवरों द्वारा मौके पर कार्य बन्द कर दिया गया, जिनका स्वामीत्व आस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज का होना पाया गया है"।

4. बिन्दु संख्या 4 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय मे उपलब्ध अभिलेखानुसार श्री विनोद डोभाल प्रो0 अस्तित्व अनन्त राज एण्टरप्र्राजेज स्टोन क्रेशर ग्राम कोटियालगांव के पत्र दिनांक 18.05.2022 के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या 5222/32–एम0बी0–अवैध खनन, दिनांक 21.05.2022, कार्यालय उप जिलाधिकारी, बडकोट के पत्र संख्या 679/पी0ए0–विविध पत्रा0/2022, दिनांक 23.05.2022, कार्यालय उप जिलाधिकारी, बडकोट के पत्र संख्या 717/पी0ए0–स्टोन क्रेशर पत्रा0/2021–22, दिनांक 25.06.2022 द्वारा प्रश्नगत स्थल के संयुक्त निरीक्षण की तिथि दिनांक 01.07.2022, समय प्रातः 10.00 बजे निर्धारित की गयी परन्तु श्री विनोद डोभाल प्रो0 अस्तित्व अनन्त राज एण्टरप्र्राजेज स्टोन क्रेशर ग्राम कोटियालगांव के पत्र दिनांक 27.06.2022 द्वारा संयुक्त निरीक्षण जॉच हेतु दिनांक 01.07.2022 की नियत तिथि को रद्द करने व दिनांक 10.07.2022 से 15.07.2022 के मध्य की तिथि निर्धारित किये जाने हेतु निवेदन किया गया जिसके क्रम में कार्यालय उप जिलाधिकारी, बडकोट के पत्र संख्या 752/पी0ए0–स्टोन क्रेशर पत्रा0/2021–22, दिनांक 28.06.2022 के द्वारा पुनः प्रश्नगत स्थल के संयुक्त निरीक्षण की तिथि दिनांक 11.07.2022, समय प्रातः 10.00 बजे निर्धारित की गयी जो अन्य के साथ श्री विनोद डोभाल प्रो0 अस्तित्व अनन्त राज एण्टरप्र्राजेज स्टोन क्रेशर ग्राम कोटियालगांव को पृष्ठाकिंत है।

5. बिन्दु संख्या 5 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रिवर ट्रेनिंग के उपरान्त वर्षाकाल माह जुलाई 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक, के दौरान पुनः उपखनिज का जमा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे इन्कार नही किया जा सकता हैं अति विशिष्ट परिस्थितियों में ही वर्षाकाल के उपरान्त उपखनिज का जमा नही होना सम्भव है और ऐसी कोई परिस्थिति वर्ष 2021 के वर्षाकाल में परिलक्षित नही होती है।

ग्राम कोटियालगांव के खसरा सं0 2958 म0, 3176 म0, 3177 म0 कुल रक्वा 3.00 है0 पर रिवर ट्रेनिंग के तहत दिनांक 01.02.2021 से 30.05.2021 तक कुल 1,81,500 टन आर0बी0एम0 के निस्तारण हेतु एवं नदी को चैनेलाईजेशन किया जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या दिनांक 04.05.2022 के अन्तर्गत ग्राम कोटियालगांव के खसरा सं0 2820 रक्वा 0.372है0 एवं 2958 रक्वा 0.845है0 पर कुल 43,494 टन उपखनिज के अवैध खनन किया जाना वर्णित है जो रिवर ट्रेनिंग की अवधि के उपरान्त वर्ष 2021 में वर्षाकाल में पुनः एकत्रित होने से इन्कार नही किया जा सकता है।

श्री विनोद डोभाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.11.2022 में अवगत कराया गया है कि "यमुना नदी में संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया तो अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज का कोई प्रतिनिधि मौजूद नही था", के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम कोटियालगांव के यमुना नदी में औचक निरीक्षण किया गया था वह श्री विनोद डोभाल प्रो0 अस्तित्व अनन्त राज एण्टरप्र्राजेज स्टोन क्रेशर ग्राम कोटियालगांव का अनुज्ञा/अधिकार क्षेत्र नही था जिस कारण संयुक्त औचक निरीक्षण के दौरान अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य नही थी तथापि पुनः निरीक्षण

की तिथि तदनांक 11.07.2022 के द्वारा श्री विनोद डोभाल प्रो0 अस्तित्व अनन्त राज एण्टरप्राईजेज बडकोट को ससमय सूचित किया गय है जैसा कि उपरोक्ता पैरा संख्या 4 में वर्णित है।

6. बिन्दु संख्या 6 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संयुक्त औचक निरीक्षक आख्या दिनांक 04.05.2022 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार " मौके पर जे0सी0बी0 मशीन कार्य करते हुये देखी गई है, संयुक्त औचक निरीक्षण दल को देखकर जे.सी.बी. मशीन संख्या UK10 CA 1212 व ट्रक संख्या UK10 CA 0936 एवं ट्रक संख्या UK10 CA 0911 ड्राईवरों द्वारा मौके पर कार्य बन्द कर दिया गया, जिनका स्वामीत्व आस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज का होना पाया गया है"।

वाहन सीज/चालान किये जाने का कोई उल्लेख नही किया गया है एवं अभिलेखानुसार किसी भी वाहन को सीज किया जाना नही पाया गया है।

संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या में संलग्न निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल के लिये गये फोटो से स्पष्ट है कि जॉच स्थल पर उक्त ट्रक एवं जे0सी0बी0 का नदी मौजूद होना अवैध खनन में संलिप्तता को दर्शाता है।

7. बिन्दु संख्या 7 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपजिलाधिकारी बडकोट की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2022 को प्रश्नगत अवैध खनन के पुनः संयुक्त औचक निरीक्षण में अवैध खनन की पुष्टि होती है जिसमें समिति के सभी सदस्य मौजूद थे।

8. बिन्दु संख्या 8 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यह कथन विरोधाभाषी है कि श्री विनोद डोभाल प्रो0 अस्तित्व अनन्तराज एण्टरप्राजिज स्टोन क्रेशर दिनांक 11.07.2022 को संयुक्त निरीक्षण से अनभिज्ञ थे। जैसा कि उपरोक्त पैरा में पूर्व में ही वर्णित किया जा चुका है।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बडकोट के पत्र संख्या 752/पी0ए0–स्टोन क्रेशर पत्रा0/2021–22, दिनांक 28.06.2022 के द्वारा पुनः प्रश्नगत स्थल के संयुक्त निरीक्षण की तिथि दिनांक 11.07.2022, समय प्रातः 10.00 बजे निर्धारित की गयी जो अन्य के साथ श्री विनोद डोभाल प्रो0 अस्तित्व अनन्तराज एण्टरप्राजिज स्टोन क्रेशर ग्राम कोटियालगांव को पृष्ठिाकिंत है।

श्री विनोद डोभाल द्वारा स्वयं अपने पत्र में उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार महोदय, बडकोट द्वारा लगभग 11.30 बजे दूरभाष के माध्यम से संयुक्त निरीक्षण हेतु मौजुद रहने का कहा गया।

श्री विनोद डोभाल स्वयं व्यस्त होने पर अपने किसी प्रतिनिधि को संयुक्त निरीक्षण स्थल पर उपस्थित होने को भेज सकते थे। परन्तु उनके द्वारा ऐसा नही किया गया।

9. बिन्दु संख्या 9 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या दिनांक 04.05.2022 के बिन्दु सं0 6 में वर्णित है कि "स्टोन क्रेशर स्वामी के प्रतिनिधियों के द्वारा ग्राम कोटियालगांव में उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड के खसरा सं0 2820 रक्वा 0.372 है0. तथा उत्तराखण्ड सरकार जलमग्न भूमि वर्ग 10(प) के खसरा सं0 2958 रक्वा 08.45 है0 कुल रक्वा 1.217 है0 क्षेत्रफल पर 43,949 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है"।

संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 11.07.2022 के बिन्दु सं0 4 में वर्णित है कि "ग्राम कोटियालगावं में उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड के खसरा सं0 2820 रक्वा 0.372 है0. तथा उत्तराखण्ड सरकार जलमग्न भूमि वर्ग 10(प) के खसरा सं0 2958 रक्वा 08.45 है0, खसरा सं0 2959 म0 रक्वा 0.421 एवं खसरा सं0 2960 म0 रक्वा 0.095 है0 कुल रक्वा 1.733 है0 क्षेत्रफल पर 68,397. 03 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है"।

संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 11.07.2022 के बिन्दु सं0 3 में वर्णित है कि कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्र सं0 5222/32–एम0बी0–अवैध खनन, दिनांक 21.05.2022 के साथ

संलग्न स्टोन क्रेशर स्वामी के पत्र दिनांक 18.05.2022 में उल्लिखित बिन्दुओं को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के दौरान उचित एवं सत्य नही पाया गया। स्टोन क्रेशर परिसर के पिछले गेट (उत्तर–पूरब दिशा) से परिसर के उन्दर अवैध खनन स्थल तक वाहन पहुँच मार्ग का निर्माण किये जाने की पुष्टि संयुक्त निरीक्षण में की गयी है। उल्लेखानीय है कि प्रश्नगत अवैध खनन स्थल से स्टोन क्रेशर परिसर के पिछले गेट तक कच्चा वाहन मार्ग निर्मित किया जाना पाया गया है"।

उपरोक्तानुसार तत्समय कार्य बन्द कराया गया था परन्तु पुनः संयुक्त निरीक्षण जॉच दिनांक 11.07.2022 से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत स्थल पर अवैध खनन किया गया है।

10. बिन्दु संख्या 10 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संयुक्त निरीक्षण जॉच दिनांक 11.07.2022 में पूर्व में रिवर ट्रेनिंग हेतु निर्मित मार्ग को खण्डित होना नही दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि पुर्व निर्मित रास्ता संयुक्त निरीक्षण के दौरान सुचारू रूप से उपयोग में लाया जा रहा था।

बिन्दु सं0 10 के अन्य पैरा के सम्बन्ध में इस आख्या के उपरोक्त पैरा में पूर्व में ही स्पष्ट किया गया है कि संयुक्त औचक निरीक्षक आख्या दिनांक 04.05.2022 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार " मौके पर जे0सी0बी0 मशीन कार्य करते हुये देखी गई है, संयुक्त औचक निरीक्षण दल को देखकर जे. सी.बी. मशीन संख्या UK10 CA 1212 व ट्रक संख्या UK10 CA 0936 एवं ट्रक संख्या UK10 CA 0911 ड्राईवरों द्वारा मौके पर कार्य बन्द कर दिया गया, जिनका स्वामीत्व आस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज का होना पाया गया है"।, के आधार पर प्रश्नगत अवैध उपखनिज खनन का आरोप अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज पर अधिरोपित किया गया है।

अतः आख्या महोदय की सेवामें सादर प्रस्तुत है।

भवदीय
26/12/22
(जी0डी0 प्रसाद)
उपनिदेशक / भूवैज्ञानिक।

प्राप्ति संख्या 354
दिनांक 24-12-22
पत्रावली सं०

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्याः 1744 /32– एम0बी0–अवैध खनन (2021–22) दिनांक 22 दिसम्बर, 2022

उप निदेशक/भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तरकाशी।

अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादून ने पत्र संख्या–1918/VII-A/2022/03 (16) 2019 दिनांक 06 दिसम्बर 2022 के द्वारा श्री विनोद डोभाल, प्रो0 अस्तिव अनन्त राज इण्टरप्राईजेज, ग्राम कोटियालगांव नौगांव उत्तरकाशी के पत्र 25.11.2022 में उल्लिखित बिन्दुओं पर विस्तृत आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है।

अतः शासन के उक्त तथा श्री विनोद डोभाल, प्रो0 अस्तिव अनन्त राज इण्टरप्राईजेज, ग्राम कोटियालगांव नौगांव उत्तरकाशी के पत्र 25.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त के संबंध में विस्तृत आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें, ताकि तद्नुसार आख्या शासन को प्रेषित की जा सकें ।

संलग्न–उपरोक्त।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

14/12

संख्या–1918 /VII-A-1/2022/03(16) 2019

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 06 दिसम्बर, 2022

विषयः दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अवैध खनन के सम्बन्ध में प्राप्त नोटिस के सम्बन्ध में बिन्दुवार जॉच कराने हेतु अपील।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री विनोद डोभाल, प्रो0 अस्तित्व अनन्त राज एण्टरप्राईजेज, ग्राम कोटियालगांव, नौगांव, जनपद उत्तरकाशी का पत्र दिनांक 25.11.2022 की छायाप्रति प्रेषित कर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया श्री विनोद डोभाल, प्रो0 अस्तित्व अनन्त राज एण्टरप्राईजेज, ग्राम कोटियालगांव, नौगांव, जनपद उत्तरकाशी के उक्त पत्र में उल्लिखत बिन्दुओं पर विस्तृत आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,
(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

अपर सचिव, खनन
for N.A. ph.
28/11/22

(9314)

दिनांक – 25.11.2022

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव
औद्योगिक विकास, औ०वि० (खनन)
सू०प्रौ०म०उ०, आयुष एवं आयुष शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

सेवामें,

सचिव महोदय,
औद्योगिक विकास (खनन)
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय– **<u>दिनांक 15 नवम्बर 2022 को अवैध खनन के सम्बन्ध में प्राप्त नोटिस के सम्बन्ध बिन्दुवार जाँच कराने हेतु अपील।</u>**

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं0 266/32–एम0बी0(2021–22) दिनांक 13 अक्टूबर 2022 अन्तिम नोटिस जो अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 15 नवम्बर 2022 को प्राप्त हुआ है के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई जनपद उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 04.05.2022 एवं दिनांक 11.07.2022 को यमुना नदी में किए गये अवैध खनन की संयुक्त जाँच में पाये गये कुल 22603.00 घनमी0 उपखनिज की कार्यवाही के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को कुछ नहीं कहना है न ही वह अधोहस्ताक्षरी का अधिकार क्षेत्र है किन्तु संयुक्त जाँच दल द्वारा उपरोक्त अवैध खनन करने का आरोप अधोहस्ताक्षरी फर्म पर लगाये जाने का पूर्ण रूप से विरोध करता हुँ। संयुक्त जाँच दल का यह आरोप विधि संगत नहीं है और बिना ठोस साक्ष्यों के लगाये गये आरोप को मैं अस्वीकार करता हुँ।

1. यह कि संयुक्त जाँच दल द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा मौके पर 01 जे0सी0बी0 एंव 02 ट्रक खडे पाये गये, जिनके आधार पर ही मुख्यतः जांच दल द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अवैध खननकर्ता के रूप में चिन्हित करने का आधार बनाया जा रहा है। महोदय, संयुक्त जांच दल द्वारा अवैध खनन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही द्वेषपूर्ण (सम्भवतः राजनैतिक) प्रतीत होती है। महोदय, उत्तराखण्ड अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण नियमावली – 2021 के नियम 14(1) में अवैध खनन में लिप्त वाहनों पर रू0 30,000.00 का अर्थदण्ड एवं जे0सी0बी0 पर रू0 2,00,000.00 का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का स्पष्ट प्राविधान है। संयुक्त जांच दल की आख्या में उपरोक्त वर्णित वाहनों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने का कहीं कोई वर्णन नही है। जिससे स्वतः स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वाहन अवैध खनन में लिप्त नहीं थे एवं न ही संयुक्त जांच दल में उक्त वाहनों को अवैध खनन में प्रयुक्त होना पाया गया।

2. महोदय, संयुक्त जांच दल यमुना नदी में पाये गये उपरोक्त वर्णित अवैध खनन की जांच एवं पैमाइश करने के उपरान्त लगभग 01 किमी0 दूरी पर स्थित अधोहस्ताक्षरी के स्टोन क्रेशर (अस्तित्व अनन्तराज एण्टरप्राईजेज स्टोन क्रेशर) परिसर में पधारते हैं एवं वहां पर सम्पूर्ण परिसर की जांच एंव ई–रवन्ना पोर्टल की गहनतापूर्वक जांच के उपरान्त उन्हें अवैध खनन किया गया उपखनिज बरामद नहीं होता है और वे संयुक्त निरीक्षण आख्या में स्पष्ट रूप से वर्णित करते है कि "स्टोन क्रेशर परिसर में भण्डारित

(625)
30/11/22

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव
औद्योगिक विकास (खनन)
उत्तराखण्ड शासन

30/11/2022

कच्चे एवं पक्के माल में पोर्टल के अनुसार कोई भिन्नता नही पायी गयी है"। स्टोन क्रेशर की जांच में संयुक्त जांच दल को अवैध खनन किए गये उपखनिज की बरामदगी अथवा कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिले हैं तो फिर किस आधार पर प्रश्नगत अवैध उपखनिज खनन का आरोप अधोहस्ताक्षरी पर अधिरोपित किया गया है, यह साक्ष्य संगत नहीं है।

3. महोदय, संयुक्त जांच दल को अधोहस्ताक्षरी के स्टोन क्रेशर परिसर में जब अवैध खनन किये गये उपखनिज के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो जांच दल द्वारा अन्य समीप स्थित सम्भावित स्थलों यथा स्टोन क्रेशर अथवा अन्या प्लाण्ट आदि स्थलों पर जांच नहीं की गयी जैसा कि संयुक्त जांच आख्या से पता चलता है। महोदय, अवैध खनन उपखनिज जो 49,727.00 टन होना बताया गया है जो स्वंय में एक बहुत अधिक मात्रा है जिसे कहीं न कहीं तो आस–पास ही उपयोग में लाया ही गया होगा, क्योंकि इतनी बडी मात्रा में उपखनिज जनपद से बाहर तो नहीं जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि अधूरी जांच के आधार पर ही बिना किसी ठोस साक्ष्य के अधोहस्ताक्षरी को दण्डारोपित करना न्यायोचित नहीं है एवं स्पष्ट रूप से स्वतः ही द्वेषपूर्ण कार्यवाही परिलक्षित हो रही है।

महोदय, यहां स्पष्ट रूप से निवेदित है कि संयुक्त जांच निरीक्षण आख्या में कार्यवाही अधिनियम के नियम 21 के उपनियम 5 के प्राविधान वर्णित किये गये है जो निम्नानुसार अभिलिखित है:–

"Whenever any person raises, without any lawful authority, any mineral from any land, the State Government may recover from such person the mineral so raised, or when such mineral has already been disposed of, the price there of, and may also recover from such person, rent royalty or tax, as the case may be, for the period during which the land was occupied by such person without any lawful authority.

अधिनियम के नियम 21 के उपनियम 4 के प्राविधान वर्णित है कि "Whenever any person raises, transported or causes to be raised or transported, without any lawful authority, any mineral from any land, and for that per pose, uses any tool, equipment, vehicle or any other thing, such mineral tool, equipment, vehicle or any other thing shall be liable to be seized by an officer or authority specially empowered in this behalf.

प्रश्नगत प्रकरण में जांच दल द्वारा स्वंय ही अधिनियम की धारा 21 के उपनियम 5 एवं उपनियम 4 का अनुपालन नहीं किया गया है। उपनियम 5 के अन्तर्गत संयुक्त जांच दल द्वारा अवैध रूप से किए गये उपखनिज की आंकलित मात्रा 49,727 टन को आरोपित व्यक्ति से अपहत किया जाना था अथवा ऐसे आरोपित व्यक्ति से जिसने अवैध खनिज का

disposed of किया हो उसको ज्ञात कर दण्ड अधिरोपित करना चाहिये था। संयुक्त जांच दल द्वारा अधोहस्ताक्षरी के क्रेशर में सभी कुछ सही पाया अर्थात Clean Chit भी दी है। इसप्रकार न तो मेरे क्रेशर परिसर से उपखनिज बरामद हुआ और न ही मेरे द्वारा उपखनिज के disposed of की जानकारी संयुक्त निरीक्षण आख्या में वर्णित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संयुक्त जांच दल द्वारा अधिनियम की धारा 21 के उपनियम "5" के अन्तर्गत वर्णित प्राविधान के अनुसार कार्यवाही नहीं की है। अतः संयुक्त जांच आख्या स्वीकार करने योग्य नहीं है।

4. दिनांक 04.05.2022 को राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्रतिनिधियों द्वारा मै0 अस्तित्व अनन्त राज एण्टरप्राईजेज स्टोन क्रेशर में संयुक्त निरीक्षण आख्या आपके कार्यालय को प्रेषित की गई है जिसमें कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी महोदय के पत्र सं0 5062/32–एम0बी0 2021–22 दिनांक 13 मई 2022 द्वारा अस्तित्व अनन्तराज एण्टरप्राइजेज स्टोन क्रेशर पर अवैध खनन का कुल 93,33740.00 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया था। महोदय, उपरोक्त संयुक्त औचक निरीक्षण एवं अर्थदण्ड के सम्बन्ध में अनभिज्ञ होने पर प्रार्थी द्वारा जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पत्र लिखकर अपना पक्ष अवगत कराया गया था एवं उपरोक्त सम्बन्ध में प्रार्थी अथवा प्रार्थी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पुनः निरीक्षण कराने हेतु अनुरोध किया गया था।

5. महोदय दिनांक 04.05.2022 को किए गये संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या के बिन्दु 2, 4 ,5 एवं 6 के अनुसार मै0 अस्तित्व अनन्तराज एण्टरप्राइजेज स्टोन क्रेशर के प्रतिनिधियों द्वारा रिवर ट्रेनिंग अनुज्ञा स्थल पर अवैध खनन किया जाना पाया गया एवं चैनेलाइजेशन कार्य को क्षति पहुंचाई गई है दर्शाया गया है।

महोदय, उक्त सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि अस्तित्व अनन्तराज एण्टरप्राइजेज के प्रतिनिधियों द्वारा यमुना नदी तट पर कोई अवैध खनन नहीं किया गया है। महोदय, जैसा कि 04.05.2022 को किए गये संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या में कहा गया है कि रिवर ट्रेनिंग अनुज्ञा स्थल पर अवैध खनन किया गया है तथा चैनेलाइजेशन कार्य को क्षति पहुचाई गई है उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 01.02.2021 से 30.05.2021 तक यमुना नदी तट पर रिवर ट्रेनिंग लॉट स्वीकृत हुआ था व कुल 82500 घनमी0(181500 टन) उपखनिज का निस्तारण किया गया। संयुक्त औचक निरीक्षण में रिवर ट्रेनिंग नीति के अन्तर्गत यमुना नदी के चैनेलाइजेशन हेतु जिस स्थान से उपखनिज निस्तारित किया गया था, राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई जनपद उत्तरकाशी के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त औचक निरीक्षण में उसी स्थान पर अवैध खनन दर्शाकर मै0 अस्तित्व अनन्तराज एण्टरप्राईजेज पर अर्थदण्ड लगाया गया है।

महोदय, दिनांक 01.02.2021 से 30.05.2021 तक यमुना नदी तट पर रिवर ट्रेनिंग लॉट स्वीकृत हुआ था व कुल 82500 घनमी0(181500 टन) उपखनिज यमुना नदी को चैनेलाइज करने हेतु निस्तारित किया गया था, महोदय उपरोक्त चैनेलाइजेशन

कार्य को लगभग 01 ही वर्ष पूर्ण हुआ है। यमुना नदी को चैनेलाइज करने हेतु जो उपखनिज निस्तारित किया गया था उतना उपखनिज इतने कम समय में नदी तट पर एकत्रित होना संभव नही है। जिससे वहाँ पुनः खनन किया जा सके। महोदय, मौके पर नदी के चैनेलाईजेशन कार्य को भी कोई क्षति नहीं पहुँची है। जो मौके पर देखने पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है

महोदय, 04.05.2022 को राजस्व विभाग एवं भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई जनपद उत्तरकाशी के प्रतिनिधियों द्वारा यमुना नदी में संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया तो अस्तित्व अनन्तराज एण्टरप्राइजेज का कोई प्रतिनिधि वहाँ मौजूद नहीं था।

महोदय दिनांक 04.05.2022 को ही राजस्व विभाग एवं भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई जनपद उत्तरकाशी के प्रतिनिधियों द्वारा स्टोन क्रेशर परिसर में भी निरीक्षण किया गया महोदय, निरीक्षण करने पर स्टोन क्रेशर परिसर में अवेध खनन का कोई भी कच्चा एवं पक्का माल नहीं पाया गया। स्टोन क्रेशर परिसर में भण्डारण, पोर्टल के अनुसार पाया गया। महोदय, यदि हमारे द्वारा अवैध खनन किया गया होता तो स्टोन क्रेशर परिसर में अवैध खनन किया गया उपखनिज भण्डारित होना पाया जाता। महोदय हमारे द्वारा कोई भी अवैध खनन नहीं किया गया है यदि हमारे द्वारा अवैध खनन किया जाता तो स्टोन क्रेशर परिसर में भी अवैध खनन का कच्चा माल भण्डारित होता।

6. महोदय, दिनांक 04.05.2022 को किए गये संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या के बिन्दु 3 एवं 7 के अनुसार मौके पर जे0सी0बी0 सं0 UK10CA 1212 व ट्रक सं0 UK10CA0956 एवं UK10CA0911 को कार्य करते हुए पाया गया है।

*महोदय, अवगत कराना है कि ट्रक सं0 **UK10CA0956** प्रार्थी के स्वामित्व में नहीं है। महोदय, आख्या में स्पष्ट नहीं है कि उपरोक्त वाहनों में अवैध खनन का कितना माल था तथा न ही मौके पर अवैध खनन का कोई चालान राजस्व विभाग एवं भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। महोदय, संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या में मशीन चालक एवं ट्रक चालक के हस्ताक्षर भी नहीं है जिससे ज्ञांत हो सके उपरोक्त वाहनों द्वारा अवैध खनन किया गया हो।*

7. महोदय, दिनांक 04.05.2022 की संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या पर राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उपनिरीक्षक के हस्ताक्षर है। *महोदय कार्यालय जिलाधिकारी महोदय का नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक कोटियालगांव से सम्पर्क करने पर सूचना ली गई कि दिनांक 04.05.2022 को आपके द्वारा यमुना नदी तट पर कोई संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया है तो उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हे मै0 अस्तित्व अनन्त राज एण्टरप्राईजेज स्टोन क्रेशर में उक्त संयुक्त औचक निरीक्षण के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है, तथा उनके द्वारा उक्त संयुक्त औचक निरीक्षण में प्रतिभाग नहीं किया गया है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि राजस्व निरीक्षक नौगांव के द्वारा उनको उपरोक्त आख्या में हस्ताक्षर करने हेतु*

निर्देशित किया गया था। महोदय, यह भी अवगत कराना है कि संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या में उपजिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर भी नहीं है। महोदय, दिनांक 04.05.2022 को किए गये संयुक्त औचक निरीक्षण में भू–वैज्ञानिक/उपनिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई जनपद उत्तरकाशी द्वारा स्टोन क्रेशर परिसर में भी भण्डारित उपखनिज की जॉच की गई थी। स्टोन क्रेशर परिसर में अवैध खनन का कोई उपखनिज भण्डारित नहीं पाया गया था।

8. महोदय, दिनांक 11.07.2022 की संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या के बिन्दु 2 के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि प्रार्थी को संयुक्त निरीक्षण की कोई भी लिखित सूचना प्रदान नहीं की गयी न ही प्रार्थी के किसी प्रतिनिधि को संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में लिखित सूचना दी गई। महोदय, प्रार्थी सुबह 9.00 बजे से 10.30 बजे तक स्टोन क्रेशर प्लाण्ट पर ही उपस्थित था तथा लगभग 11.00 बजे स्टोन क्रेशर परिसर से अन्य कार्य हेतु अन्यत्र चला गया। महोदय, तहसीलदार महोदय, बडकोट द्वारा लगभग 11.30 बजे फोन कॉल पर संयुक्त निरीक्षण हेतु मौजुद रहने को कहा गया, प्रार्थी द्वारा अन्य कार्य में व्यस्थता के कारण तहसीलदार महोदय को 4.00 बजे संयुक्त निरीक्षण करने हेतु अनुरोध किया गया। प्रार्थी 4.00 बजे से 7.00 बजे तक स्टोन क्रेशर परिसर में उपस्थित था जाँच कमेटी के सदस्यों से फोन पर सम्पर्क करने पर कोई उत्तर प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ। जाँच कमेटी के सदस्यों द्वारा दिनांक 11.07.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया या नहीं प्रार्थी उससे अनभिज्ञ है।

9. महोदय, दिनांक 04.05.2022 को यमुना नदी तट पर किये गये संयुक्त औचक निरीक्षण आख्या के बिन्दु 6 के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) के खसरा सं0 2820 रकबा 0.372 हे0 तथा उत्तराखण्ड सरकार जलमग्न भूमि वर्ग 10(I) के खसरा सं0 2958 रकबा 0.845 हे0 भूमि पर 19770 घन मी0 (43494 टन) अवैध खनन किया जाना दर्शाया गया है एवं 11.07.2022 को किए गये संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या के बिन्दु 4 के अनुसार ग्राम कोटियालगांव के उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड के खसरा सं0 2820 रकबा 0.372 हे0 तथा उत्तराखण्ड सरकार जलमग्न भूमि वर्ग 10(I) के खसरा सं0 2958 रकबा 0.845 हे0, खसरा सं0 2959म0 रकबा 0.421 एवं खसरा नं0 2960 रकबा 0.095 हे0 भूमि पर 31089 घन मी0 (68397.03 टन) अवैध खनन किया जाना दर्शाया गया है।

महोदय, उपरोक्त के सबन्ध मे आपको अवगत कराना है कि दिनांक 04.05.2022 को किये गये संयुक्त औचक निरीक्षण आख्यानुसार राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्रतिनिधियों द्वारा मौके पर कार्य बन्द करा दिया गया था तो 11.07.2022 को किए गये संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या में खसरा सं0 2959म0 रकबा 0.421 एवं खसरा नं0 2960 रकबा 0.095 हे0 भूमि पर अवैध खनन किया जाना क्यों दर्शाया गया है एवं खनन की गई मात्रा में भी अन्तर क्यों पाया गया है। महोदय, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त दोनो संयुक्त निरीक्षण निजी द्वेष के कारण किए गये हैं।

10. महोदय, दिनांक 11.07.2022 की संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या के बिन्दु 3 के अनुसार स्टोन क्रेशर परिसर के पिछले गेट (उत्तर–पूरब दिशा) से परिसर के अन्दर अवैध खनन स्थल तक वाहन पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाना दर्शाया गया है। महोदय उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको यह अवगत कराना है कि उपरोक्त कच्चे मार्ग का उपयोग कोटियालगांव के ग्रामवासियों द्वारा यमुना नदी तट पर अपने खेतों तक पंहुचने हेतु किया जाता है। ***महोदय यह भी अवगत कराना है कि ग्राम कोटियालगांव के यमुना नदी तट पर खसरा न0 2958म0, 3176म0, 3177म0 कुल रकबा 3.00 हे0 भूमि पर रिवर ट्रेनिंग लॉट के अन्तर्गत नदी के चैनेलाइजेशन कार्य हेतु उपखनिज की निकासी के लिए उपरोक्त मार्ग का निर्माण कराया गया था, जिसकी अनुमति हेतु प्राथी द्वारा शुल्क भी निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया गया है (प्रति संलग्न)।*** प्रार्थी द्वारा उपरोक्त मार्ग से कोई अवैध खनन नहीं किया जाता है।

महोदय यदि प्रार्थी द्वारा उक्त मार्ग से अवैध खनन किया गया होता तो दिनांक 04.05.2022 को संयुक्त औचक निरीक्षण के दौरान स्टोन क्रेशर परिसर में अवैध उपखनिज पाया जाता किन्तु दिनांक 04.05.2022 को संयुक्त औचक निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्रतिनिधियों को स्टोन क्रेशर परिसर में कोई अवैध खनन उपखनिज नहीं पाया गया। स्टोन क्रेशर परिसर में भण्डारित उपखनिज ऑनलाईन पोर्टल के अनुसार ही पाया गया।

महोदय, जो भी तथ्य संयुक्त निरीक्षण आख्या में दिए गये हैं उनमे कहीं यह स्पष्ट नहीं है कि अवैध खनन हमारे द्वारा किया गया है। स्टोन क्रेशर की जांच में संयुक्त जांच दल को अवैध खनन किए गये उपखनिज की बरामदगी अथवा कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिले है। संयुक्त जांच दल द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत नहीं है। संयुक्त जांच आख्या स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण की पुनः बिन्दुवार जाँच करवाने की कृपा करें तथा जिनके द्वारा अवैध खनन किया गया हो उन पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने का कष्ट करें।

संलग्नः

1. दिनांक 15.11.2022 को प्राप्त नोटिस (पत्रांक सं 266/32–एम0बी02021–22 दिनांक 13 अक्टूबर 2022)

प्रतिलिपिः

1. **जिलाधिकारी महोदय, जनपद उत्तरकाशी।**
2. **अपर जिलाधिकारी महोदय जनपद उत्तरकाशी।**
3. **उप जिलाधिकारी महोदय, जनपद उत्तरकाशी।**

प्रार्थी
Vinod Dobhal
विनोद डोभाल
प्रो0 अस्तित्व अनन्त राज एण्टरप्राईजेज
ग्राम कोटियालगांव, नौगांव
जनपद उत्तरकाशी।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग--1
संख्या– /VII-A-1/2022/10(22)/2022
देहरादून, दिनांक 21 दिसम्बर, 2022

प्राप्ति संख्या 311
दिनांक 23-12-22
पत्रावली सं०

श्री विनोद डोभाल,
प्रो0 अस्तित्व अनन्त राज एण्टरप्राईजेज,
ग्राम कोटियालगांव, नौगांव,
जनपद उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड।

जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा पारित आदेश/नोटिस सं0 5062/32–एम0बी0(2021–22), दिनांक 13.05.2022 एवं आदेश सं0–6879/32–एम0बी0 (2021–22), दिनांक 06.08.2022 के विरूद्ध उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम–15 एवं 16 के अंतर्गत आप द्वारा शासन में प्रस्तुत अपील/पुनरीक्षण के अन्तर्गत युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के प्राविधान के दृष्टिगत अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन के सचिवालय परिसर, एस0बी0आई0 ए0टी0एम बिल्डिंग के भू–तल स्थित कार्यालय कक्ष में दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 को अपरान्ह 04.00 बजे सुनवाई निर्धारित की गयी है।

उक्त के संबंध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि उक्तानुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर होने वाली सुनवाई में प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि उक्त सुनवाई में आप उपस्थित नहीं होते है तो यह समझा जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है, ऐसी स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

(दिनेश यादव)
अनु सचिव

संख्या : 1936 (1)/VII-A-1/2022/10(22)2022,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त तिथि एवं समय पर निंधारित सुनवाई में प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त तिथि एवं समय पर निर्धारित सुनवाई में स्वयं/अपने प्रतिनिधि को प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. जिला खान अधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त तिथि एवं समय पर निर्धारित सुनवाई में प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव, अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ ।
5. गार्ड फाईल।

(दिनेश यादव)
अनु सचिव

दिनांक 8-1-(1
रिवर ट्रेनिंग

:: आदेश ::

शासनादेश संख्या 137/vii-A-1/2020/90ख/ दिनांक 31.10.2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के कम में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नदी तल क्षेत्रान्तर्गत ऐसे स्थल जो चुगान हेतु चिन्हित नहीं है तथा बर्षा ऋतु के उपरान्त अत्याधिक मात्रा में आर0बी0एम0 जमा होने से भू-कटाव एवं जान-माल की क्षति होने की सम्भावना है, में से आर0बी0एम0 निस्तारित किये जाने हेतु रिवर ट्रेनिंग नीति के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी, बड़कोट की अध्यक्षता में समिति गठित कर खुली नीलामी (Open Auction) कराये जाने हेतु विज्ञप्ति उप जिलाधिकारी, बड़कोट ने अपने पत्र दिनांक 21.10.2020 के द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायी गई और इच्छुक बोलीदाता को नीलामी में प्रतिभाग किये जाने हेतु दिनांक 07.11.2020 की तिथि नियत की गई।

उप जिलाधिकारी, बड़कोट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तहसील बड़कोट में सम्पादित की गयी। खुली नीलामी (Open Auction) प्रकिया के माध्यम से अपनी संयुक्त आख्या दिनांक 07.11.2020 में निम्नलिखित उच्चतम बोलीकर्ता को सफल घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है:-

क. सं.	रिवर ट्रेनिंग हेतु चिन्हित ग्राम/स्थल का नाम	खसरा संख्या/ क्षेत्रफल	रिवर ट्रेनिंग कार्य हेतु अतिरिक्त आर0बी0एम0 की मात्रा	उच्चतम बोलीकर्ता का नाम व पता	रायल्टी का आधार मूल्य (रूपये में)	उच्चतम बोली मूल्य (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1-	ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट के यमुना नदी तल में।	खाता सं.28 के खसरा सं. 2958म. 3176म. 3177म. कुल रक्वा 3.00 हे0	82,500 घनमीटर अर्थात 1,81,500 टन	श्रीमती बर्षादेवी पत्नी प्रवीन सिंह ग्राम पलेठा तहसील बड़कोट।	63,52,500.00	63,65,000.00

समिति द्वारा अपनी संयुक्त आख्या दिनांक 07.11.2020 में उल्लेख किया गया है कि निर्धारित तिथि तक 05 आवेदन प्राप्त हुये है। दिनांक 27.10.2020 को खुली नीलामी में 5 आवेदकों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा 04 राउण्ड की बोली में श्रीमती बर्षादेवी पत्नी श्री प्रवीन सिंह ग्राम पलेठा तहसील बड़कोट जिला उत्तरकाशी के द्वारा सबसे उच्च बोली 63,65,000.00रू0 (त्रेसठ लाख पैसठ हजार रू0) की बोली लगाई गयी, जिसको समिति द्वारा बतौर उच्च बोलीकर्ता सफल आवेदक घोषित/स्वीकृत किया गया तथा सफल आवेदक श्रीमती बर्षादेवी के पक्ष में तहसील बड़कोट के अन्तर्गत ग्राम कोटियालगांव के नीचे यमुना नदी तल में खाता सं0-28 के खसरा सं0 2958 म., 3176 म., 3177 म. कुल रक्वा 3.00 हे0 पर मात्रा 82,500 घनमीटर अर्थात 1,81,500 टन नदी को चैनलाईजेशन द्वारा हटाने के लिये नियमानुसार अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

आवेदक/उच्च बोलीदाता के द्वारा धरोहर राशि के रूप में रू0 15,88,125.00 (पन्द्रह लाख अठासी हजार एक सौ पच्चीस रू0) का बैक ड्राफ्ट संख्या 939619 दिनांक 05.11.2020 के द्वारा जमा किया गया है। उच्चतम बोलीदाता पर रू0 63,65,000.00 (त्रेसठ लाख पैसठ

हजार रू0) रायल्टी की धनराशि 2 प्रतिशत रू0 1,27,050.00 स्टाम्प शुल्क, 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 9,52,875.00 एवं 25 प्रतिशत रू0 15,88,125.00 जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास अंशदान में कुल रू0 90,33,050.00 (नब्बे लाख तैतीस हजार पच्चास रू0) आंगणित की जाती है, जिसमें से रू0 15,88,125.00 का समायोजन रॉयल्टी की धनराशि में करते हुये बोलीदाता के द्वारा अवशेष धनराशि रू0 74,44,925.00 (चौहत्तर लाख च्वालिस हजार नौ सौ पच्चीस रू0) 15 दिनों के अन्दर निर्धारित लेखाशीर्षक एवं खाते में जमा करना होगा।

अत: उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 में उल्लिखित प्राविधानों तथा उप जिलाधिकारी, बड़कोट की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या/संस्तुति के आधार पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत तहसील बड़कोट के ग्राम कोटियालगांव के हंसेरा नामे तोक के नीचे यमुना नदी तल में खसरा सं0 2958 म0 3176 म0 3177 म0 कुल रक्वा 3.00 हे0 पर मात्रा 82,500 घनमीटर अर्थात 1,81,500 टन को चैनलाईजेशन किये जाने के उद्द्रेश्य से आर0बी0एम0 को निस्तारित किये जाने हेतु उपरोक्त सफल उच्चतम बोलीदाता श्रीमती बर्षा देवी पत्नी प्रवीन सिंह निवासी ग्राम पलेठा तहसील बड़कोट जिला उत्तरकाशी के पक्ष में उपरोक्त अवशेष धनराशि रू0 74,44,925.00 (चौहत्तर लाख च्वालीस हजार नौ सौ पच्चीस रू0) सम्बन्धित लेखाशीर्षक एवं खाता संख्या में जमा करने के पश्चात ई-रवन्ना जारी होने की तिथि से 4 माह की अवधि अथवा उक्त स्थल पर नदी में सफल चैनलाईजेशन तथा निक्षेपित उप खनिज की निर्धारित मात्रा हटाने की अवधि इसमें जो भी पहले हो, हेतु निम्न शर्तो के अधीन अनुज्ञा स्वीकृत की जाती है:-

1- उप खनिज का निस्तारण/परिवहन कार्य भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तरकाशी से प्राप्त ई-रवन्ना से ही किया जायेगा।

2- अनुज्ञाधारक द्वारा आर0बी0एम0/मलवे की सफाई का कार्य किये जाने से पूर्व राजस्व विभाग/खनन विभाग द्वारा क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। अनुमति क्षेत्र से बाहर कार्य नहीं किया जायेगा।

3- अनुज्ञाधारक को टी0सी0एस0 की निर्धारित 02 प्रतिशत धनराशि को 15 दिनों के अन्दर स्वयं के टैन नम्बर के अधीन नियमानुसार जमा कर रसीद जिला कार्यालय/खनन कार्यालय उत्तरकाशी में उपलब्ध करानी होगी।

4- नदी के दोनों किनारों से एक चौथाई भाग को छोड़ते हुये केवल मध्य भाग में आर0बी0एम0/ मलवे का चुगान किया जायेगा।

5- आर0बी0एम0/मलवा की निकासी हेतु मार्ग तथा किसी भी प्रकार के स्थानीय विवाद की स्थिति में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

6- अनुज्ञाधारक को मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) एवं पर्यावरण नियत्रण बोर्ड के मानकों का पालन करना होगा।

7- उप खनिज निकासी के कारण किसी सार्वजनिक तटबन्ध मार्ग, गुल अथवा सिंचाई, पेयजल योजना को पहुंचने वाली क्षति की क्षतिपूति अनुज्ञाधारक द्वारा स्वयं की जायेगी।

8- उप खनिज निकासी करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा, कि सार्वजनिक मार्ग/ सड़क अवरूद्व न हो एवं जनसामान्य को कोई असुविधा न हो।

9- आर0बी0एम0 का निस्तारण रिवर ट्रेनिंग नीति-2020 के बिन्दु सं0-07 के प्राविधान के अनुसार आवश्यकतानुसार मशीनों यथा जे0सी0बी0, पोकलैण्ड आदि का उपयोग अनुमन्य होगा।

क्रमश:-3

10- रिवर ट्रेनिंग नीति-2020 के बिन्दु सं0-07 के प्राविधान के अनुसार पुल के अपस्ट्रीम में 100 मी0 तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मी0 के क्षेत्र को प्रतिबन्धित करते हुये उप खनिज का चुगान गहराई तक किया जायेगा।

11- आर0बी0एम0 के निस्तारण हेतु रिवर ट्रेनिंग नीति-2020 के नियमों एवं प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- अनुज्ञाधारक द्वारा उप खनिज की निकास सूर्योदय के पश्चात एवं सूर्योस्त से पूर्व ही करनी होगी।

13- अनुज्ञाधारक द्वारा नदी चैनलाईजेशन की सूचना फोटोग्राफ्स सहित उप जिलाधिकारी, बड़कोट को प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध करायी जायेगी।

14- खनन कार्य हेतु वाहर से श्रमिकों/मजदूरों को नहीं लाया जायेगा, तथा सीमित मजदूर/ श्रमिकों से ही कार्य संचालित किया जायेगा।

15- कार्य में नियोजित श्रमिकों की अधिकतम आयु 60 बर्ष से अधिक न हो।

16- अनुज्ञाधारक द्वारा प्रत्येक श्रमिकों हेतु मास्क, दस्ताने, हैण्ड सैनिटाईजर आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

17- खनन क्षेत्र/ कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले क्षमिकों/कार्मिकों के प्रवास की व्यवस्था यथा सम्भव कार्य क्षेत्र में अथवा उसके आसपास रखा जाय।

18- खनन संक्रियाओं हेतु कार्मिकों/श्रमिकों को रोस्टर के अनुसार लगाया जाय, जिससे कार्य स्थल पर अनावश्यक भीड़ न हो।

19- खनन कार्य क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य स्थल पर Temperature screening की समुचित व्यवस्था अनुज्ञाधारक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। यदि किसी श्रमिक/कार्मिकों में कोरोना से सम्बन्धित लक्षण पाये जाते है, तो इसकी सूचना तत्काल जनपद के चिकित्सा विभाग तथा जिला प्रशासन को दी जायेगी।

20- श्रमिकों को मानक के अनुसार सामाजिक दूरी (Social Distancing) बनाये रखना होगा।

21- अनुज्ञाधारक कोविड-19 के फैलने को रोकने हेतु जागरूगता एवं समस्त एतिहात उपाय उठाने हेतु उत्तरदायी होगें।

22- अनुज्ञाधारक द्वारा श्रमिकों के खाने का स्थान, पानी पीने वाला स्थान एवं वाहनों के पार्किंग स्थल को प्रतिदिन कीटाणूरहित करने हेतु स्प्रे कराया जायेगा।

23- अनुज्ञाधारक द्वारा Common Points पर सेनिटाईजर/साबुन/मास्क/फेस कवर पर्याप्त संख्या में रखवाया जायेगा।

24- कार्य स्थल पर खनन सक्रियाओं के संचालन के दौरान गृहमंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

25- खनन संक्रियाओं के संचालन एवं परिवहन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपद के जिला खान अधिकारी/उप निदेशक, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के पालन किये जाने के लिये उत्तरदायी होगें।

26- खनिज/उप खनिज के परिवहन के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 12 अप्रैल, 2020 एवं श्रमिकों के परिवहन के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-2/2020-DM-1(A) दिनांक 19 अप्रैल, 2020 तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः-4

तहसीलदार, बड़कोट एवं उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है, कि समय अवधि को दृष्टिगत रखते हुये यथाशीघ्र उक्त क्षेत्र का सीमांकन अनुज्ञाधारक की उपस्थिति में करते हुये सीमाबन्धन करना सुनिश्चित करें।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 2149 /32- (2020-21) दिनांक 07 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय भोपालपानी, देहरादून।
3- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
4- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
5- उप जिलाधिकारी, बड़कोट।
6- तहसीलदार, बड़कोट।
7- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, पुरोला।
8- उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तरकाशी।
9- अनुज्ञाधारक श्रीमती बर्षादेवी पत्नी प्रवीनसिंह ग्राम पलेठा तहसील बड़कोट जिला उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

संलग्न (2)

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
बड़कोट।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

संख्याः— 122 / पी0ए0—खनन पत्रा0 / 2018 दिनॉक 24 मई, 2018

विषयः— **ग्राम कोटियालगॉव पट्टी मुगरसन्ती तहसील बड़कोट मे यमुना नदी तल मे हंसेरा नामे तोक मे एकत्रित आर0बी0एम0 के रिवर ट्रेनिंग हेतु अन्तरिम व्यवस्था अर्न्तगत निस्तारण की खुली बोली के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या— 6053 / बत्तीस—01 (2016—17) दिनॉक 11 मई, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें ग्राम कोटियालगॉव पट्टी मुगरसन्ती तहसील बड़कोट मे यमुना नदी तल मे हंसेरा नामे तोक मे एकत्रित आर0बी0एम0 के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या— 944 / VII—1 / 2018 / 90 ख / 16 औद्योगिक विकास अनुभाग—1 दिनॉक 13.04.2018 मे दी गयी व्यवस्था के तहत नीलामी की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करने के उपरान्त सम्पन्न करते हुए आख्या उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन मे इस कार्यालय के पत्र संख्या— 88 / पी0ए0—खनन पत्रा—2018 दिनॉक 11 मई, 2018 के द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं नोटिस बोर्डो के माध्यम सें सार्वजनिक सूचना जारी की गयी। के कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या— 99 / पी0ए0—पत्रा0विविध / 2018 दिनॉक 18 मई, 2018 के द्वारा समिति गठित करते हुये कार्यालय पत्र संख्याः— 114 / पी0ए0—पत्रा0विविध / 2018 दिनॉक 21 मई, 2018 के द्वारा दिनॉक 24.05.2018 को प्रातः 11.00 बजे नीलामी / खुली बोली की तिथि नियत की गयी। जिसमे गठित समिति के सदस्यों द्वारा कार्यालय मे प्राप्त बन्द लिफाफों को खोला गया एवं बोलीदाताओं से प्रथम, द्वितीय, तृतीय बोली बुलवायी गयी। जिसमें श्री विनोद डोभाल पुत्र श्री नत्थी लाल डोभाल, निवासी ग्राम चकगॉव द्वारा उच्च बोली कुल धनराशि 5150000 / — (इक्यावन लाख पचास हजार रू0 मात्र) बोली गयी, जिसें गठित समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वीकृत किया गया है, समिति की रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः समिति द्वारा चयन किये गये उच्चतम बोलीदाता श्री विनोद डोभाल पुत्र श्री नत्थी लाल डोभाल निवासी चकगॉव को ग्राम कोटियालगॉव पट्टी मुगरसन्ती तहसील बड़कोट मे यमुना नदी तल मे हंसेरा नामे तोक मे एकत्रित आर0बी0एम0 का चुगान किये जाने की अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली मूल मे संलग्न कर महोदय की सेवामें संस्तुति सहित प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नकः— यथोपरि।

24/5/18
उप जिलाधिकारी,
बड़कोट।

Uttarakhand Pollution Control Board
Regional Office Dehradun,
E-115 Nehru Colony, Dehradun, Uttarakhand 248001

Provisional Consent Order (CCA)

Application No-385522 Dated: 02/08/2021

Ref No-1556/UEPPCB/Dehradun RO/Uttarkashi/CTO/385522 Valid upto: 31/03/2023

Besides streamlining and simplifying of regulatory regime,Uttarakhand Pollution Control Board has taken initiative in from of introduction of Consolidated Consent and Authorization (CC&A) which provides for a one shot application and clearance of the consents under Water Act,Air Act and Authorization under Hazardous Wastes Rules for a period of 5 years.Consolidated Consent and Authorisation Board issues consolidated consent and Authorization to an industrial unit for operation of plant carrying out industrial activity specifying following conditions.

Consolidated Consent and Authorisation

In exercise of the power conferred under section-25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act-1974, under section-21 of the Air (Prevention and Control of Pollution)Act-1981

and Authorization under rule 3(c)& 5(5)of the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules,2008 framed under the E(P)Act-1986.

And whereas Board has received consolidated Application No.(CtO:CCA-Renew) 385522 and Dated 02/08/2021 for the consolidated consent and authorization(CC&A) of this Board under the provisions / rules of the aforesaid Acts Consent & Authorization is hereby granted as under.

CONSENT AND AUTHORISATION : (under the provisions / rules of the aforesaid environmental acts)

To

M/s ASTITVA ANANTRAJ ENTERPRISES

Kotiyal Gaon, Naugon, Tehsil Badkot, Distt. Uttarkashi Uttarkashi

Tehsil: Barkot

District: Uttarkashi

Phone No: 9410901080

Consent Order No: 385522 Renew Valid upto: 31/03/2023

All Conditions under the AIR ACT-1981 WATER ACT-1974 HAZARDOUS ACT-2008 shall be Applicable to you as mentioned in the detailed Consent Order ***

GENERAL CONDITIONS :-

a) This order is provisional order and detailed order is considered as final.

b) All the conditions & provisions under the Water Act 1974, the Air Act 1981 and the Environment (Protection) Act ±1986 and the rules made there under shall be complied with

c) All the conditions & provisions under the Hazardous Waste (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules 2008 as amended shall be complied

d) The applicant shall provide portholes, ladder, platform etc at chimney(s) for monitoring the air emissions and the same shall be open for inspection to/and for use of Board's staff. The chimney(s) vents attached to various sources of emission shall be designed by numbers such as S-1, S-2, etc. and these shall be painted displayed to facilitate identification.

e) The industry shall take adequate measures for control of noise levels from its own sources within the premises so as to maintain ambient air quality standards in respect of noise to less than 75dB(A) during day time and 70dB(A) during night time. Daytime is reckoned in between 6 a.m. and 10 p.m. and nighttime is reckoned between 10 p.m. and 6 a.m.

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः805/VII-A-1/2023–10(22)/2022
देहरादून,दिनांकः 18 मई, 2023

कार्यालय ज्ञाप

अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या–5062/32–एम0बी0(2021–22), दिनाक 13.05.2022 दिनांक 06.08.2022 द्वारा मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के स्टोन केशर में दिनांक 04.05.2022 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के आधार पर कुल 19770 घ0मी0 अर्थात 43494 टन उपखनिज अवैध खनन करने पर रॉयल्टी का तीन गुना रू0 91,33,740.00 तथा बिना अनुमति के जे0सी0बी0 मशीन का उपयोग करने पर रू0 2.00 लाख कुल रू0 93,33,740/– जुमाना आरोपित करते हुए उक्त धनराशि को 07 दिन के भीतर जमा किये जाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, जिसके सन्दर्भ में मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र दिनांक 18.05.2022 के कम में पुनः दिनांक 11.07.2022 को किये गये संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या–6879/32–एम0बी0 (2021–22), दिनांक 06.08.2022 एवं पत्र संख्या–266/32 एम0बी0(2021–22), दिनांक 13.10.2022 द्वारा मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज पर उपखनिज नदी तल से उत्सर्जित 22603 घ0मी0 अर्थात 49727 टन (दिनांक 04.05.2022 एवं दिनांक 25.05.2022 को मापी गई अवैध खनन मात्रा एव जे0सी0बी0 मशीन को शामिल करते हुए) पर कुल रू0 1,06,42,748/–जुमाना आरोपित करते हुए उक्त धनराशि को 15 दिन के भीतर जमा किये जाने हेतु नोटिस एवं अन्तिम नोटिस निर्गत किया गया।

2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा निर्गत उक्त नोटिसों के सम्बन्ध में मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 03.12.2022 को शासन स्तर पर अपील/पुनरीक्षण योजित की गई, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 23.01.2023 को सुनवाई निर्धारित की गई। उक्त सुनवाई में निम्न द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री हनुमान प्रसाद तिवारी, उप सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री देवानन्द, उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. श्री जी0डी0 प्रसाद, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद उत्तरकाशी।
4. श्री दीपक जोशी, अनुभाग अधिकारी, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासनं
5. श्री विनोद डोभाल, पुनरीक्षणकर्ता।

3. बैठक में उपस्थित उप निदेशक/भूवैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद उत्तरकाशी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 26.12.2022 के सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार मौके पर जे0सी0बी0 मशीन कार्य करते हुये देखी गयी, संयुक्त औचक निरीक्षण दल को देखकर जे0सी0बी0 मशीन संख्या UK10 CA 1212, ट्रक संख्या UK10 CA 0936 एवं ट्रक संख्या UK10 CA 0911 के ड्राईवरों द्वारा मौके पर कार्य बन्द कर दिया गया है। संयुक्त औचक निरीक्षण दिनांक 04.05.2022 में मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज स्टोन केशर की जांच किया जाना परिलक्षित हुआ है, अन्यत्र किसी स्थान के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है तथा वाहन सीज/चालान किये जाने का भी कोई उल्लेख नहीं है तथा अभिलेखानुसार किसी भी वाहन को सीज किया जाना नहीं पाया गया। उक्त वाहनों का स्वामित्व मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज का होने के कारण अवैध खनन का आरोप उक्त फर्म पर किया गया है।

4. सुनवाई बैठक में पुनरीक्षणकर्ता श्री विनोद डोभाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.12.2022 के सन्दर्भ में अवगत कराया गया है कि संयुक्त जांच दल द्वारा अवैध खनन स्थल पर 02 ट्रक व जे0सी0बी0 के खड़े होने मात्र के आधार पर ही मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के स्टोन क्रेशर पर जुर्माना धनराशि आरोपित की गयी है जबकि उक्त वाहनों पर नियमानुसार कोई भी अर्थ दण्ड अधिरोपित किये जाने का कोई वर्णन जांच रिपोर्ट में नहीं है तथा उक्त स्टोन क्रेशर में अवैध खनन का कोई उपखनिज बरामद नहीं हुआ है तथा स्टोन क्रेशर परिसर में भण्डारित कच्चे एवं पक्के माल में पोर्टल के अनुसार कोई भिन्नता नहीं पायी गयी है। इसके अतिरिक्त जांच दल द्वारा अन्य समीप स्थित सम्भावित स्थलों यथा स्थोन क्रेशर अथवा अन्य प्लान्ट आदि की कोई जांच नहीं की गयी है। जबकि अवैध उपखनिज, जो 49727 टन होना बताया गया है, की मात्रा को कहीं न कहीं तो उपयोग में लाया गया होगा, इसका कोई साक्ष्य व बरामदगी रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा एम0एम0डी0आर एक्ट के नियम 21 के उपनियम 4 व 5 का हवाला देते हुये अवगत कराया गया कि जांच दल द्वारा उक्त अधिनियम के संगत नियमों का पालन नहीं किया गया है, जबकि संयुक्त जांच दल द्वारा अवैध उपखनिज की आंकलित मात्रा 49727 टन को आरोपित व्यक्ति से अपहृत किया जाना था अथवा ऐसे आरोपित व्यक्ति, जिसने अवैध खनिज को Disposed Off किया हो, को ज्ञात कर दण्ड आरोपित करना चाहिये था जोकि जांच दल द्वारा नहीं किया गया। जांच दल द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के क्रेशर में सभी कुछ सही पाया गया तथा क्रेशर परिसर से अवैध उपखनिज की कोई बरामदगी नहीं पायी गयी तथा न ही क्रेशर परिसर में अवैध खनन के कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य ही मिले हैं, जिस कारण संयुक्त जांच रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य न होने के कारण आरोपित जुर्माना धनराशि को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5. सुनवाई में विभागीय अधिकारियों एवं उपलब्ध अभिलेखों की विवेचना करने के दौरान पाया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र के आस-पास कई अन्य स्टोन क्रेशर भी स्थापित हैं तथा मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के स्टोन क्रेशर द्वारा ही अवैध खनन किया गया है, इसके पुष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये है। निरीक्षण के दौरान पायी गयी जे0सी0बी0 मशीन तथा ट्रक पर भी अर्थदण्ड न होने से यह स्पष्ट नहीं है कि अवैध खनन करते पाये गये वाहन उक्त स्टोन क्रेशर से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में सुनवाई बैठक में विभागीय अधिकारियों से चाही गई पुष्ट जानकारी का कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा न ही इसके कोई साक्ष्य व प्रमाण ही उपलब्ध हो सके।

उक्त सुनवाई में विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत तथ्य, अपीलकर्ता के कथन एवं सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन/विवेचना करने के उपरान्त निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:-

आदेश

प्रकरण में अवैध खनन स्थल के निरीक्षण से सम्बन्धित रिपोर्ट व उपलब्ध आख्या तथा संगत अभिलेखों के अवलोकन से यह पाया गया कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान मौके पर पाये गये ट्रक व जे0सी0बी0 पर नियमानुसार कोई अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी जबकि पकड़े गये वाहनों को सीज/चालान किये जाने की कार्यवाही भी मौके पर नियमानुसार की जानी चाहिये थी, मात्र अवैध खनन स्थल पर खड़े वाहनों के स्वामित्व का आधार लेते हुये अवैध खनन किये जाने हेतु पुनरीक्षणकर्ता मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज को ही आरोपी बनाया जाना तर्कसंगत नहीं पाया गया। प्रकरण में संयुक्त जांच दल द्वारा अवैध खनन से सम्बन्धित उपखनिज की बरामदगी मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज के स्टोन क्रेशर अथवा समीपस्थ अन्य किसी स्थान/स्टोन क्रेशर से होने का कोई अभिलेखीय साक्ष्य अपनी रिपोर्ट में उपलब्ध/अंकित नहीं कराया जा सका है। इसके अतिरिक्त मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज के स्टोन क्रेशर से सम्बन्धित पोर्टल पर भी उक्त

अवैध उपखनिज की मात्रा का कोई अपडेट/उपलब्धता नहीं दर्शायी गयी है तथा न ही अवैध खनन स्थल से उपखनिज के सम्बन्धित केशर पर अवैध आवागमप के कोई फोटोग्राफस ही उपलब्ध हैं। प्रकरण में मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज द्वारा ही अवैध खनन किये जाने के कोई स्पष्ट व पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है तथा न ही सुनवाई बैठक में कोई समुचित आधार व साक्ष्य ही उपलब्ध कराये गये। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा ही अवैध खनन किये जाने के कोई पुख्ता साक्ष्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं है, जिस कारण पर्याप्त साक्ष्यों की पुष्टि के अभाव में मात्र काल्पनिक रूप से पुनरीक्षणकर्ता को अवैध खनन का दोषी मान लिया जाना न्याय संगत नहीं पाया गया। अतः पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अवैध खनन किये जाने के पुष्ट साक्ष्यों व अभिलेखों के अभाव में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या–6879/32–एम0बी0(2021–22), दिनांक 06.08.2022 एवं पत्र संख्या–266/32 एम0बी0 (2021–22), दिनांक 13.10.2022 द्वारा निर्गत नोटिसों को एतदद्वारा निरस्त करते हुए तदनुसार पुनरीक्षण/अपील निर्णित एवं निस्तारित की जाती है।

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

संख्याः /VII-A-1/2023–10(22)/2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री विनोद डोभाल, ग्राम कोटियालगांव तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी।
4. गार्ड फॉईल।

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

Annexure-IX

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या /खनन/भू0खनि0नि0/ई0नीला0– 129/2024–25, दिनांक 22 जुलाई, 2024

आशय पत्र (Letter of Intent)

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023– 24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय–4 के नियम–20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4842/ र0ख0ला0/ई0नी0/वि0का0ज्ञा0/भू0खनि0नि0/2023–24, दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 के द्वारा विज्ञप्तिकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 4895/UTR_007/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 19.12.2023 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी की तहसील चिन्यालीसौड के ग्राम गैलाडी क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(1) जलमग्न खसरा नं0 4 मध्य रकवा 0.050 है0, खसरा नं0 251म0 रकवा 0.545 है0, कुल रकवा 0.595 है0 उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 32,130 टन एवं आधार मूल्य रू0 22,49,100.00 निर्धारित करते हुए, उक्त उपखनिज लॉट को नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है0 से कम क्षेत्रफल हेतु राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय–सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 10.01.2024 (बुधवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसमें न्यूनतम 03 अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के आदेश संख्या 5465/उ0ख0/भू0खनि0नि0/ई–निविदा तकनी0नि0/2023–24, दिनांक 12.01.2024 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

निदेशालय के पत्र संख्या 5542/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24 दिनांक 18.01.2024 के द्वारा प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना के क्रम में जनपद उत्तरकाशी के उक्त लॉट गैलाडी की दिनांक 31.01.2024 (बुधवार) समय अपरान्ह 12:00 बजे तकनीकी निविदा खोली जानी निर्धारित थी। महाप्रबन्धक (सी0एण्डआर0 आर0एस0डब्लू), टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल के पत्र दिनांक 06.01.2024 के द्वारा उक्त उपखनिज लॉट में खनन/चुगान हेतु अनापत्ति प्रदान न किये जाने के कारण निदेशालय के कार्यालय आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2024 के द्वारा उक्त लाटों की तकनीकी निविदा को खोले जाने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशो तक स्थगित की गयी। निदेशालय के पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2024 के क्रम में महाप्रबन्धक, (सी0एण्ड आर0आर0एस0डब्लू0) टी0एच0डी0 सी0 इण्डिया लिमिटेड, भागीरथीपुरम, जनपद टिहरी गढ़वाल के पत्र दिनांक 23.03.2024 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी की तहसील चिन्यालीसौड के क्षेत्रान्तर्गत 02 लॉट तुल्याडा (सुनारगांव) एवं गैलाड़ी में खनन/चुगान कार्य हेतु दी गयी अनापत्ति के क्रम में उक्त निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 13.06.2024 को खोली गयी, जिसमें न्यूनतम 03 अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण उक्त लॉट की निविदा को कार्यालय पत्र संख्या 25.06.2024 के द्वारा निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की गयी। निविदा आमंत्रण संख्या 1703/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/ 2023–24 दिनांक 28 जून, 2024 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा का परिणाम दिनांक 15 जुलाई, 2024 एवं वित्तीय निविदा का परिणाम दिनांक 18 जुलाई, 2024 को घोषित किया गया।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज प्रो0 श्री विनोद डोभाल पुत्र श्री नत्थी लाल, ग्राम चक्रगॉव पट्टी बड़कोट, तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी H1 बोलीदाता घोषित होने के फलस्वरूप, उनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 22,60,000.00 (रू0 बाईस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 5,65,000.00 (रू0 पांच लाख पैसठ हजार मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम–25(1) में किये गये प्रावधानानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू0 22,49,100.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रू0 5,62,275.00 के सापेक्ष केनरा बैंक देहरादून, द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या 140127917050/1, दिनांक 09.01.2024, रू0 6,00,000.00 (रू0 छः लाख मात्र) के द्वारा निदेशालय

में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू0 5,65,000.00–6,00,000.00 = +35,000.00) + रू0 35,000.00 (रू0 पैतीस हजार मात्र) अधिक है, उक्त अधिक जमा की गयी धनराशि वापस लिया जाना है तो उच्चतम बोली की धनराशि रू0 22,60,000.00 की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 5,65,000.00 के समतुल्य नवीन एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में बंधक हो, की धनराशि जमा कराये जाने हेतु H1 बोलीदाता को निर्देशित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में H1 बोलीदाता के पत्र दिनांक 19.07.2024 के द्वारा उक्त लॉट में अधिक जमा धनराशि को समायोजित कर उक्त लॉट में आशय पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज प्रो0 श्री विनोद डोभाल पुत्र श्री नत्थी लाल, ग्राम चक्रगॉव पट्टी बड़कोट, तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी द्वारा प्रतिभूति धनराशि उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत जमा कराये जाने के फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज प्रो0 श्री विनोद डोभाल पुत्र श्री नत्थी लाल, ग्राम चक्रगॉव पट्टी बड़कोट, तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी के पक्ष में जनपद उत्तरकाशी की तहसील चिन्यालीसौड के ग्राम गैलाडी क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(1) जलमग्न खसरा नं0 4 मध्य रकवा 0.050 है0, खसरा नं0 251म0 रकवा 0.545 है0, कुल रकवा 0.595 है0 उपखनिज क्षेत्र के चुगान/खनन हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:–

1. सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र का उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्लू0एल0 (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही 06 (छः) माह के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी।
2. नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित आशयपत्रधारक से उच्चतम बोली का 05 प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त वसूल की जायेगी।
3. नियमावली के नियम 25(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance), स्वीकृत क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्क/सेन्चुरी के 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थिति होने की दशा में एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (National Board of Wild Life) की अनुमति एवं वन भूमि होने पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी अनुमति (Forest Clearance) व मानक जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायें, प्राप्त की जायेगी।
4. नियमावली के नियम 25(3) एवं 31(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा विभाग में पंजीकृत आर0क्यू0पी0 से खनन योजना तैयार कराकर 04 प्रतियाँ अनुमोदन हेतु खनन योजना अनुमोदन शुल्क रू0 50,000/– निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त खनन योजना को परीक्षण व सत्यापन के उपरान्त संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा तथा तद्नुसार निदेशक द्वारा सम्यक विचारोपरान्त खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।
5. नियमावली के नियम 25(5) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा शासन, मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
6. नियमावली के नियम 25(6) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।

7. नियमावली के नियम 25(8) के प्राविधानानुसार आशयपत्र में उल्लिखित समस्त अपैचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरान्त आशयपत्रधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यालय में जमा कराया जायेगा तथा महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ऑनलाइन/ऑफलाइन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकेगा।
8. सफल बोलीदाता द्वारा महाप्रबन्धक, (सी0एण्ड आर0आर0एस0डब्लू0) टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लिमिटेड, भागीरथीपुरम, जनपद टिहरी गढ़वाल के पत्र दिनांक 23.03.2024 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(राजपाल लेघा)
निदेशक
कृते महानिदेशक

संख्या 2254 /खनन/भू0खनि0नि0/ई0नीला0–129/2024–25, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद उत्तरकाशी।
4. मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज प्रो0 श्री विनोद डोमाल पुत्र श्री नत्थी लाल, ग्राम चकगॉव पट्टी बड़कोट, तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी।

24/7/24

(राजपाल लेघा)
निदेशक
कृते महानिदेशक

File No: EC-01(139)/2024
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), UTTARAKHAND)

सत्यमेव जयते

***

Dated **19/09/2024**

To,

VINOD DOBHAL
VINOD DOBHAL
Village-Chakargaon, Barkot, Uttarkashi, Uttarakhand, UTTAR KASHI, UTTARAKHAND, 249141
dobhalvinod84@gmail.com

Subject: Grant of EC under the provision of the EIA Notification 2006-regarding.

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Grant of EC under the provision of the EIA Notification 2006-regarding in respect of project Proposed RBM (Sand Bajri Boulder) mining Project on the Yamuna riverbed located in Village-Kotiyalgaon, Tehsil- Barkot, District- Uttarkashi, State-Uttarakhand by M/s Astitva Anantraj Entp. submitted to Ministry vide proposal number SIA/UK/MIN/481098/2024 dated 17/06/2024.

2. The particulars of the proposal are as below :

(i) EC Identification No.	EC24C0107UK5209293N
(ii) File No.	EC-01(139)/2024
(iii) Clearance Type	EC
(iv) Category	B2
(v) Project/Activity Included Schedule No.	1(a) Mining of minerals
(vii) Name of Project	Proposed RBM (Sand Bajri Boulder) mining Project on the Yamuna riverbed located in Village-Kotiyalgaon, Tehsil- Barkot, District- Uttarkashi, State- Uttarakhand by M/s Astitva Anantraj Entp.
(viii) Name of Company/Organization	VINOD DOBHAL
(ix) Location of Project (District, State)	UTTAR KASHI, UTTARAKHAND
(x) Issuing Authority	SEIAA
(xii) Applicability of General Conditions	no
(xiii) Applicability of Specific Conditions	no

3. In view of the particulars given in the Para 1 above, the project proposal interalia including Form-1(Part A and B) were submitted to the Ministry for an appraisal by the State Environment Impact AssessmentAuthority(SEIAA) Appraisal Committee (SEIAA) in the Ministry under the provision of EIA notification 2006 and its subsequent amendments.

4. The above-mentioned proposal has been considered by State Environment Impact AssessmentAuthority(SEIAA) Appraisal Committee of SEIAA in the meeting held on 21/08/2024. The minutes of the meeting and all the Application and documents submitted [(viz. Form-1 Part A, Part B, Part C EIA, EMP)] are available on PARIVESH portal which can be accessed by scanning the QR Code above.

5. The brief about configuration of plant/equipment, products and byproducts and salient features of the project along with environment settings, as submitted by the Project proponent in Form-1 (Part A, B and C)/EIA & EMP Reports/presented during SEIAA are annexed to this EC as Annexure (1).

6. The SEIAA, in its meeting held on 21/08/2024, based on information & clarifications provided by the project proponent and after detailed deliberations recommended the proposal for grant of EC under the provision of EIA Notification, 2006 and as amended thereof subject to stipulation of specific and general conditions as detailed in Annexure (2).

7. The SEIAA has examined the proposal in accordance with the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 & further amendments thereto and after accepting the recommendations of the State Environment Impact AssessmentAuthority(SEIAA) Appraisal Committee hereby decided to grant EC for instant proposal of M/s. VINOD DOBHAL under the provisions of EIA Notification, 2006 and as amended thereof.

8. The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions, if found necessary.

9. The EC to the aforementioned project is under provisions of EIA Notification, 2006. It does not tantamount to approvals/consent/permissions etc. required to be obtained under any other Act/Rule/regulation. The Project Proponent is under obligation to obtain approvals /clearances under any other Acts/ Regulations or Statutes, as applicable, to the project.

10. This issues with the approval of the Competent Authority.

Copy To

N/A

Annexure 1

Standard EC Conditions for (Mining of minerals)

1. Statutory Compliance

S. No	EC Conditions
1.1	The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.

Additional EC Conditions

1- Conditions to be complied before commencing mining operations:-

1) Environment Clearance is granted to final outcome of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court of Uttarakhand and any other court of law, if any, as may be applicable to this project.

2) Project Proponent shall implement the Disaster Management Plan as the mine area is located in Seismic Zone IV. Project Proponent should submit the disaster plan within three months and form a committee to have check over any disaster to warn workers well before for the safety of workers. Emergency helpline number will be displayed at all levels.

3) The project proponent should advertise with basic details at least in two widely circulated local newspapers, within seven (7) days of the receipt of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance

by the State Environment Impact Assessment Authority, Dehradun and a copy of the same be sent to the Regional Office of Ministry of Environment and Forest, Government of India located at 25 Subhash, Road Dehradun.

4) The project area should be demarcated with concrete pillars to show the natural bed level and the depth of mining allows Boundary Pillars at the interval of 50 m each on all four sides of the quarry site with red flag on each pillar and also on site pillars making the level and depth upto 1.5 mts downwards should be erected before Commencement of mining. A bench mark will be established to monitor the depth of mining.

5) A display board shall be erected in Hindi at each of the following place.

· At project site

· In nearest village

· At the entrance of the village road from the main Road (ie)SH/NH etc. The information should be given in bold and visible letters.

6) A copy of the Environmental Clearance letter shall be sent by the proponent to the concerned Panchyat and the local NGO, if any from whom suggestion/representation, if any, were received while processing the proposal.

7) From 2^{II} Year onwards replenishment study shall be done by mining department Uttarakhand and the report will be submitted to State Environment Impact Assessment Authority, Dehradun (SEIAA) and Regional Office of Ministry of Environment and Forest, Government of India located at 25 Subhash Road, Dehradun by 15th October every year other wise this EC will be suspended.

8) The removal of mineral shall not exceed the amount calculated by replenishment study.

2) <u>Conditions for operation phase</u>

6) The Project Proponent shall follow Sustainable Sand Mining Management Guideline, 2016 & Enforcement and Monitoring Guideline for Sand Mining, 2020 and Uttarakhand GO 977 /VII-A-1-2023-24Kh/ 2007 date 16 June 2023.

7) The mine working will be open cast by manual method without involving drilling & blasting. The mining is confined to extraction of Sand/Bajri/Boulder(River Bed Material). No JCB or such machines shall be used for mining.

8) The project proponent shall construct 2 nos of toilets (1 male & 1 female) in nearby school with water tank and solar lights facility and shall maintain the same on regular basis.

9) Main stream will not be a disturbed.

10) The minor mineral collection shall be carried out manually from 50 % of the total area leaving 25 % area on each side of the riverbank. The Quantity of mineral shall not exceed as permitted in the approved DSR/Mining Plan (Whichever is less) as recommended by SEAC. However, district mining officer is directed to ensure that the quantity of material extracted should be in commensurate with the area allowed for mining.

11) Maximum permissible depth in the center of the mining area will be 3.0 meter.

12) The project Proponent shall ensure that where ever deployment of labor attracts mines act, the provision thereof shall be strictly followed.

13) **The quantity of mineral to be extracted should be fixed sustainably based on replenishment study & shall be submitted to SEIAA for approval before 15th Oct every year.**

14) **The quantity of mineral to be extracted should be fixed sustainably based on replenishment study shall be done within 2nd 3rd 4th and 5th year and shall be submitted to SEIAA for approval.**

15) The mining operation would provide local employment and bring economic benefit to local population.

16) The Project Proponent shall obtain prior permission of the competent authorities for drawl of requisite quantity of water (surface water and ground water) if any, required for the project.

17) The proponent should undertake afforestation activities in the buffer zone as well as in the nearby project site. Minimum 2500 plants in 2.50 Ha. will be planted in first two years followed by maintenance in the next three years. **In case of Plantation outside of the buffer zone/project site MoU with local Gram Panchayat/Van Panchayat should be done.**

18) Project Proponent shall provide Rs3.0 lakh for modernizing Chemistry/Biology Lab of nearby Govt. Inter College and submit documentary evidence to SEIAA along with six monthly compliance report.

19) Project Proponent shall carryout impact assessment study for aquatic fauna along with mitigation measures and submit documentary evidence to SEIAA along with six monthly compliance report.

20) **Mining of minerals during submergence period shall not be allowed.**

21) Project Proponent shall inform to SEIAA in case of change of evacuation plan.

22) The Project Proponent shall inform to SEIAA before mining regarding the availability of deposits/submerged area of the river bed from mining department and shall obtain approval from SEIAA every year.

23) The extraction of Sand/Bajri/Boulder**(River Bed Material)** shall be stopped during monsoon season.

24) The quantity of mineral to be extracted should be fixed sustainably based on replenishment study.

25) The Project Proponent shall obtain prior permission of the competent authorities for drawl of requisite quantity of water (surface water and ground water) if any, required for the project.

26) It shall be ensured that there is no leakage of oil and grease in the river from the vehicles use for the transportation.

27) Vehicular emission shall be kept under control and regularly monitored. The vehicles carrying minerals shall not be over loaded.

28) Periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records are to be maintained.

29) Water spraying arrangement on haul roads, loading and unloading and at transfer points should be provided and properly maintained.

30) Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.

31) Consent to Establish shall be obtained from Uttarakhand Pollution Control Board under relevant provisions of Central Air Act and Central Water Act before starting up of any mining activity at the site.

32) Regular health checkup of workers by recognized medical practitioners shall be ensured by the Project proponent and shall submit report to SEIAA along with six monthly compliance report.

33) The project proponent will submit reports pertaining to ambient air quality, report pertaining to ground water quality and noise. These reports should be monitored and generated by a NABL approved laboratory having scope of it.

34) The mining/extraction of mineral and progressive mine closure should be done as per the approved mine plan. The mine plan should have validity till the mining period

35) The project area shall be strictly used for the activities permitted. The workers will be strictly instructed to not to enter in the adjoining forest and not to harm any wildlife and existing vegetation for their various needs. No work shall be carried out after sunset

36) The overall manpower will be restricted to bare minimum. Though mostly local labour will be deployed, but for the essential manpower staying at site, fuel wood will be provide for their cooking purpose

37) Sufficient numbers of dustbins will be provided to labourers for collection of their daily use garbage. Bio-degradable & solid garbage will be collected in separated bins & proper disposal of these garbage will be ascertained.

38) At no stage mining shall be carried out after exhausting extraction of the estimated mineable quantity as stated above.

39) The mining operation would provide local employment and bring economic benefits to local population.

40) The Proponent should provide Eco-friendly toilets for the workforce. The workers shall be directed to use the sanitation facilities provided at project site and instructed not to litter the project site. Sufficient numbers of Bio-Toilets will be provide to workers at safe distance from river flow bed.

41) Wild Animals being sensitive to noise, no project activities shall be carried out at night (sunset to sunrise) time.

42) All workers shall be imparted basic knowledge regarding the Do's and Don'ts of working within Forest Areas.

43) Photography of the proposed mining site (preferably using Drone) should be done and submitted to SEIAA along with half-yearly compliance report.

44) Extraction of minor minerals shall be restricted to middle half of the width of river bed/mining site after leaving intact one-fourth of width of the river bed/mining site along its each bank. Breaking of boulders shall not be permitted in the mining lease area.

45) The collection of minor minerals during a working season shall start from centre of the river/mining site width and shall gradually extend to the boundary of the permissible area so as to ensure maintenance of river geometry. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river/mining site width shall be fixed at **3.0** meter or up to ground water level whichever is less.

46) Extraction of minor mineral is permitted from 1st October of every year to 15th June of the subsequent year. It shall be ensured that no mining activity is carried out during the monsoon season. Workers should be advised and protected against flash flood during 1st June to 15th June and 1st Oct to 31st Oct during which there may be rains in the hills.

47) The project proponent has to regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season. The monitoring shall be ensured by Mines Department/District Administration from time to time as per rules.

48) The collection time of river bed materials (RBM) shall be from sun-rise to sun-set.

49) The project proponent shall strictly adhere to the norms of Transport Department in refraining from use of polluting and less fuel efficient vehicles for transporting extracted minor minerals. There shall be no over loading of vehicles as per standard norms of Central Government/State Government/Hon'ble Courts from time to time.

50) There shall be no labour camp in the mining lease area for the labour engaged in collection of the minor minerals. The labour engaged in collection/extraction work shall be provided free fuel wood/alternate source of energy to avoid any

pressure on adjoining forest land.

51) The project proponent shall ensure that maximum local labour be engaged and hence employment opportunity provided. The project proponent shall follow all safety measures for labour force engaged in accordance with respected Acts/Rules.

52) The proponent shall erect eco friendly mobile toilets for the workforce at site and shall ensure disposal of solid waste as per the existing provisions/rules/guidelines.

53) The project proponent shall prepare the plan of mining in conformity with the mine lease conditions and the Rules prescribed in this regard thereby clearly delineating the 'No Work Zone' in the mine lease area (Non mining area), distance from the bridges etc. It should be minimum 3m or $1/10^{th}$ of the width of the river whichever is more.

54) The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bed material and ensure that due to this activity the hydro-geological regime of the surrounding area are not affected. The proponent should not interfere with the flow of water and amount of water.

55) The project proponent shall ensure refraining from leaving behind clothes, personal belongings of labour engaged, polythene, plastic bottles, carton etc or any other solid waste in work site at the end of working season.

56) The project proponent shall provide protective respiratory devices to workers working in dusty areas and they shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained.

57) Link Road from mining site to main Road shall be maintained by the project-proponent.

58) The topsoil if any shall be stacked at earmarked site only and shall be used for reclamation.

59) Mineral handling, loading and unloading areas including all the transfer points should have efficient dust control arrangements. These should be properly maintained & operated.

60) Effective safeguard measures, such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulate matter such as loading and unloading point and all transfer points. Extensive water sprinkling shall be carried out on haul roads. It should be ensured that the Ambient Air Quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board in this regard.

61) Project proponent will strictly comply with provisions of EMP

62) Project proponent will have to submit EMP/EIA report to Mining Department (Lessee) and Pollution Control Board before getting work order/Consent to Establish or Operate.

63) Regular water sprinkling shall be done on the Haul Road.

64) Failure to comply with of any conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986

65) The project proponent shall submit half yearly compliance report of stipulated conditions of Environment Clearance in soft copy through PARIVESH PORTAL given link: **https://parivesh.nic.in.** The compliance report shall also be e mailed to the Regional Office in Dehradun in moef.ddn@gov.in

3) Conditions for entire life of the project

1) Legal status of the mining lease area shall remain unchanged and the Environmental Clearance shall remain coterminous with the lease period. The mined lease area shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.

2) In case of flash flood and river changing its meandering course, fresh proposal has to be submitted for grant of Environmental Clearance.

3) The project proponent shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for sustainable extraction of the minor minerals from the mining lease area.

4) The project proponent shall use dust suppression equipment for sprinkling near by the mine site, so the PP was directed to leave 25 % area from the river bank sides.

5) The project proponent has to regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season. The monitoring shall be ensured by Department of mines/District Administration from time to time.

6) The project proponent shall strictly adhere to the norms of Transport Department in refraining from use of polluting and less fuel efficient vehicles for transporting extracted minor minerals. There shall be no over loading of vehicles as per standard norms of Central Government/State Government/Hon'ble Courts from time to time.

7) If the ownership is transferred then fresh Environment Clearance will be obtained under EIA notification dated 14.09.2006. However, no activity shall be undertaken till the Environment Clearance is transferred in his name and he is lawfully bound to comply with the conditions of the Environmental Clearance.

8) The Ministry of Environment, Forest and Climate has formulated the ''Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016''. The Proponent shall ensure the implementation of the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016.

9) The project proponent shall set up Environment Management Cell which will also coordinate with general public, regulatory authorities and local administration to appraise environmental performance of the mining activity.
10) If it is found that if conditions laid down by the Authority are violated, the Authority may suspend or cancel this Environmental Clearance.
11) This Environmental Clearance (E.C.) is subject to obtaining clearance under the Wildlife (Protection) Act, 1972 from the competent Authority as may be applicable to this project.
12) The Project Proponent shall follow all relevant directions/orders issued by Hon'ble High Court/NGT/ Supreme Court.
13) Any appeal against this Environment Clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section of the National Green Tribunal Act, 2010.

4) <u>Specific Conditions:- (To be followed by Director Industry, Geology and Mining Unit, Govt. of Uttarakhand).</u>

1) A study shall be carried out in the second year through Department of Geology and Mines relating to replenishment of the mineral so as to ensure that the quantity of mineral to be removed does not exceed the siltation to avoid over exploitation of mineral, which may adversely affect the dynamics of river. A copy of said study report shall be submitted to the regional office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Dehradun and SEIAA, Uttarakhand before the start of work.
2) Mining Department (Lessee) will ensure compliance of the provisions of EMP/EIA, by the project proponent.
3) Project proponent will have to submit EMP/EIA report to Mining Department (Lessee) and Pollution Control Board before getting work order/Consent to Established or Operate.
4) Mining Department will inform the proposed quantity of R.B.M to this Authority.
5) The Geology and Mining unit of Industry Department shall ensure site specific river training works at the work site to ensure bank protection. Mining department should ensure that a Corpus fund for this purpose will be set up and kept at the disposal of District Magistrate.
6) The Geology and Mining unit of Industry Department shall identify an agency for regular/periodical monitoring of quality of ground water of existing hand pumps and tube wells in the vicinity of the mining site.
7) Digital processing of the entire lease area using remote sensing technique should be done by Geology and Mining department regularly once in three years for monitoring the change of river course, if any and report should be submitted to the Ministry of Environment and Forests, Regional office at Dehradun and SEIAA, Uttarakhand.
8) Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 (http://environmentclearance.nic.in/writereaddata/SandMiningManagementGuidelines2020.pdf) issued by MoEF&CC shall be followed

Annexure 2

<u>Details of Products & By-products</u>

Name of the product /By-product	Product / By-product	Quantity	Unit	Mode of Transport / Transmission	Remarks (eg. CAS number)
Sand	Sand	148500	Tons per Annum (TPA)	Road	

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, "गौरादेवी पर्यावरण भवन, तृतीय तल, 46–बी, आई.टी. पार्क,सहस्त्रधारा रोड, देहरादून"
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा गठित)
दूरभाष: 0135–2976159
ईमेल: seiaa.seac.uk@gmail.com

STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY UTTARAKHAND

State Level Environment Impact Assessment Authority, "Gauradevi Paryavaran Bhawan, Third Floor, 46-B I.T. Park, Sahastradhara Road, Dehradun"
(Constituted by Ministry of Environment, Forests and Climate Change Government of India.)
Phone No-0135–2976159
Email- seiaa.seac.uk@gmail.com

E.C.No- 263 01(139)/2024

Dated- 2 -09-2024

To,

M/s Astitva Anantraj Enterprises by Shri Vinod Dobhal(Proprietor) S/o Shri Naththi Lal DobhalR/o-Village- Charkagaon, Tehsil- Barkot, Distt- Uttarkashi.

Sub: Environmental Clearance under EIA notification dated 14.09.2006 for Extraction of Sand/Bajri/Boulder at Khasra no-2958 Ma, 3177 Ma, Village-Kotiyalgaon, Tehsil- Barkot, Distt- Uttarkashi . (Area- 2.750 ha.).

Sir,

Kindly take reference to your online proposal No SIA/UK/MIN/481098/2024 submitted to SEIAA Uttarakhand regarding aforementioned subject. The details about the project site and proposal for EC as per the documents submitted by the project proponent is as under:-

S.No.	Parameters	Description
1.	Name of the Project Proponent	M/s,AstitvaAnantraj Enterprises (Prop. Sh. Vinod Dobhal S/o Naththi Lal Dobhal)
2.	Registered Address	M/s,AstitvaAnantraj Enterprises, Prop. Sh. Vinod Dobhal S/o Naththi Lal Dobhal, Village- Kotiyalgaon, Tehsil- Barkot, District- Uttarkashi, Uttarakhand
3.	Full correspondence address of proponent and mobile no.	M/s, AstitvaAnantraj Enterprises, Prop. Sh. Vinod Dobhal S/o Naththi Lal Dobhal, Village- Kotiyalgaon, Tehsil- Barkot, District- Uttarkashi, Uttarakhand
4.	Name of Project	KOTIYALGAON RBM MINING PROJECT
5.	Project Location (Plot.Khasra/Gata No.)	2958Ma. 3177Ma.
6.	Name of Village	Kotiyalgaon
7.	Tehsil	Barkot
8.	District	Uttarkashi
9.	State	Uttarakhand
10.	Name of Minor Mineral	RBM (sand, bajari& boulders)
11.	Sanctioned Lease Area (in Ha.)	2.750Hectare
12.	Max. & Min mRL within lease area	1081.45m to 1076.85m
13.	Pillar Coordinates (Verified by DMO)	Total 8Number of Pillar Coordinates

Pillar No.	Latitude	Longitude
RP1	30°47'52.76"N	78°8'53.12"E
RP2	30°48'7.97"N	78°8'53.12"E
1	30°47'51.64"N	30°47'51.64"N
2	30°47'53.00"N	78°8'57.23"E
3	30°47'55.53"N	78°9'4.12"E
4	30°47'56.83"N	78°9'2.97"E
5	30°47'59.09"N	78°9'10.35"E
6	30°48'0.40"N	78°9'9.19"E
7	30°48'2.78"N	78°9'13.64"E
8	30°48'4.05"N	78°9'12.38"E

S.No.	Parameters	Description
14.	Letter of Intent	*NO. 6070/Khanna/Bhu.Khni.Ni./E-Neela-98/2023-24, dated 13 February 2024*
15.	Mine Plan approval details	No.893/उ0ख0भू0खनि0नि0ई–निविदाधमा0प्लान/2024-25, dated 27 May 2024
16.	Validity of Mine Plan	For First 5 Years

17.	Total geological Reserves	2,97,000Tonnes
18.	Total Proposed Production/Year	First Year 1,48, 500 Second Year 1,48, 500 Third Year 1,48, 500 Fourth Year 1,48, 500 Fifth Year 1,48, 500
19.	Sanctioned Period of Mine lease	For Five (5) years.
20.	Method of Mining	Opencast manual method
21.	No. of working days	270
22.	Working hours/day	10 hr/day
23.	No. of workers	45
24.	Type of Land	Riverbed revenue land
25.	Ultimate Depth of Mining	3.0m
26.	Water Requirement	3.20 KLD
27.	Any litigation pending against the project or land in any court	None
28.	Ecological Sensitive Map/zone	There is none ecological sensitive zone exists within 10kms radius of proposed project site
29.	Details of 500 m Cluster certificate & Map Verified by Mining Officer	There are no existing minesyet within the 500m buffer zone of the proposed lease area, (Cluster Certificate attached).
30.	Proposed CER cost (Rs.)	2.5Lakhs
31.	Proposed EMP cost (Rs.)	2.5 Lakhs
32.	No. of Trees to be Planted.	500 Trees
33.	Detail of CTE/CTO issued by UKPCB	Yet to be granted

The SEAC during its meeting held on 25th July, 2024 had undertaken appraisal of the above project. It has been found that the proposal is classified under Category B2 of EIA Notification 2006. The proponent has submitted PFR, EMP and other relevant documents as desired. After due examination of the relevant documents/certificates submitted by the project proponent and additional clarification furnished in response to its observations earlier, SEAC has recommended the grant of Environmental Clearance for the above project, subject to compliance of the EMP and other stipulated conditions like "***The minor mineral collection shall be carried out manually from 50 % of the total area leaving 25 % area on each side of the river bank. The Quantity of mineral shall not exceed as permitted in the approved DSR/Mining Plan (Whichever is less)"***. SEIAA during its meeting dated 21st August, 2024 considered the above proposal based on the recommendation of SEAC and agreed with the condition mentioned above by SEAC. After due examination and deliberation, the **SEIAA Uttarakhand hereby accords Environmental Clearance** for the above project under category B-2 of EIA notification 2006 (as amended from time to time) subject to the strict compliance with the General, Specific and other conditions mentioned below:-

1- **Conditions to be complied before commencing mining operations:-**

1) Environment Clearance is granted to final outcome of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court of Uttarakhand and any other court of law, if any, as may be applicable to this project.
2) **Project Proponent shall implement the Disaster Management Plan as the mine area is located in Seismic Zone IV. Project Proponent should submit the disaster plan within three months and form a committee to have check over any disaster to warn workers well before for the safety of workers. Emergency helpline number will be displayed at all levels.**
3) The project proponent should advertise with basic details at least in two widely circulated local newspapers, within seven (7) days of the receipt of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance by the State Environment Impact Assessment Authority, Dehradun and a copy of the same be sent to the Regional Office of Ministry of Environment and Forest, Government of India located at 25 Subhash, Road Dehradun.
4) The project area should be demarcated with concrete pillars to show the natural bed level and the depth of mining allows Boundary Pillars at the interval of 50 m each on all four sides of the quarry site with red flag on each pillar and also on site pillars making the level and depth upto 1.5 mts downwards should be erected before Commencement of mining. A bench mark will be established to monitor the depth of mining.
5) A display board shall be erected in Hindi at each of the following place.
   - At project site
   - In nearest village

- At the entrance of the village road from the main Road (ie)SH/NH etc. The information should be given in bold and visible letters.

6) A copy of the Environmental Clearance letter shall be sent by the proponent to the concerned Panchyat and the local NGO, if any from whom suggestion/representation, if any, were received while processing the proposal.
7) **From 2[ll] Year onwards replenishment study shall be done by mining department Uttarakhand and the report will be submitted to State Environment Impact Assessment Authority, Dehradun (SEIAA) and Regional Office of Ministry of Environment and Forest, Government of India located at 25 Subhash Road, Dehradun by 15th October every year other wise this EC will be suspended.**
8) **The removal of mineral shall not exceed the amount calculated by replenishment study.**

2) <u>**Conditions for operation phase**</u>
   1) The mining will start from lower height to upper height.
   2) **The Project Proponent shall do plantation of saplings in the earmarked 33% green belt area as a part of the tree plantation campaign "Ek Ped Ma Ke Naam" and the details of the same shall be uploaded in the MeriLIFE Portal(https://merilife.nic.in).**
   3) The mining shall be done only during day time.
   4) The SEIAA further directed that mining/extraction/hand picking of minor mineral shall be carried out as per the approved mine plan.
   5) The SEIAA also suggested that mine site should have well demarcated safety zone i.e. mining operation will not be carried out in the vicinity of 100 m from nearby bridges, educational institution or structures of historical importance.
   6) **The Project Proponent shall follow Sustainable Sand Mining Management Guideline, 2016 & Enforcement and Monitoring Guideline for Sand Mining, 2020 and Uttarakhand GO 977 /VII-A-1-2023-24Kh/ 2007 date 16 June 2023.**
   7) **The mine working will be open cast by manual method without involving drilling & blasting. The mining is confined to extraction of Sand/Bajri/Boulder(River Bed Material). No JCB or such machines shall be used for mining.**
   8) The project proponent shall construct 2 nos of toilets (1 male & 1 female) in nearby school with water tank and solar lights facility and shall maintain the same on regular basis.
   9) **Main stream will not be a disturbed.**
   10) **The minor mineral collection shall be carried out manually from 50 % of the total area leaving 25 % area on each side of the riverbank. The Quantity of mineral shall not exceed as permitted in the approved DSR/Mining Plan (Whichever is less) as recommended by SEAC. However, district mining officer is directed to ensure that the quantity of material extracted should be in commensurate with the area allowed for mining.**
   11) Maximum permissible depth in the center of the mining area will be 3.0 meter.
   12) The project Proponent shall ensure that where ever deployment of labor attracts mines act, the provision thereof shall be strictly followed.
   13) **The quantity of mineral to be extracted should be fixed sustainably based on replenishment study & shall be submitted to SEIAA for approval before 15th Oct every year.**
   14) **The quantity of mineral to be extracted should be fixed sustainably based on replenishment study shall be done within 2nd 3rd 4th and 5th year and shall be submitted to SEIAA for approval.**
   15) The mining operation would provide local employment and bring economic benefit to local population.
   16) The Project Proponent shall obtain prior permission of the competent authorities for drawl of requisite quantity of water (surface water and ground water) if any, required for the project.
   17) The proponent should undertake afforestation activities in the buffer zone as well as in the nearby project site. Minimum 2500 plants in 2.50 Ha. will be planted in first two years followed by maintenance in the next three years. **In case of Plantation outside of the buffer zone/project site MoU with local Gram Panchayat/Van Panchayat should be done.**
   18) **Project Proponent shall provide Rs3.0 lakh for modernizing Chemistry/Biology Lab of nearby Govt. Inter College and submit documentary evidence to SEIAA along with six monthly compliance report.**
   19) **Project Proponent shall carryout impact assessment study for aquatic fauna along with mitigation measures and submit documentary evidence to SEIAA along with six monthly compliance report.**
   20) **Mining of minerals during submergence period shall not be allowed.**
   21) **Project Proponent shall inform to SEIAA in case of change of evacuation plan.**
   22) **The Project Proponent shall inform to SEIAA before mining regarding the availability of deposits/submerged area of the river bed from mining department and shall obtain approval from SEIAA every year.**
   23) The extraction of Sand/Bajri/Boulder(**River Bed Material**) shall be stopped during monsoon season.

24) The quantity of mineral to be extracted should be fixed sustainably based on replenishment study.
25) The Project Proponent shall obtain prior permission of the competent authorities for drawl of requisite quantity of water (surface water and ground water) if any, required for the project.
26) It shall be ensured that there is no leakage of oil and grease in the river from the vehicles use for the transportation.
27) Vehicular emission shall be kept under control and regularly monitored. The vehicles carrying minerals shall not be over loaded.
28) Periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records are to be maintained.
29) Water spraying arrangement on haul roads, loading and unloading and at transfer points should be provided and properly maintained.
30) Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.
31) Consent to Establish shall be obtained from Uttarakhand Pollution Control Board under relevant provisions of Central Air Act and Central Water Act before starting up of any mining activity at the site.
32) Regular health checkup of workers by recognized medical practitioners shall be ensured by the Project proponent and shall submit report to SEIAA along with six monthly compliance report.
33) The project proponent will submit reports pertaining to ambient air quality, report pertaining to ground water quality and noise. These reports should be monitored and generated by a NABL approved laboratory having scope of it.
34) The mining/extraction of mineral and progressive mine closure should be done as per the approved mine plan. The mine plan should have validity till the mining period
35) The project area shall be strictly used for the activities permitted. The workers will be strictly instructed to not to enter in the adjoining forest and not to harm any wildlife and existing vegetation for their various needs. No work shall be carried out after sunset
36) The overall manpower will be restricted to bare minimum. Though mostly local labour will be deployed, but for the essential manpower staying at site, fuel wood will be provide for their cooking purpose
37) Sufficient numbers of dustbins will be provided to labourers for collection of their daily use garbage, Bio-degradable & solid garbage will be collected in separated bins & proper disposal of these garbage will be ascertained.
38) At no stage mining shall be carried out after exhausting extraction of the estimated mineable quantity as stated above.
39) The mining operation would provide local employment and bring economic benefits to local population.
40) The Proponent should provide Eco-friendly toilets for the workforce. The workers shall be directed to use the sanitation facilities provided at project site and instructed not to litter the project site. Sufficient numbers of Bio-Toilets will be provide to workers at safe distance from river flow bed.
41) Wild Animals being sensitive to noise, no project activities shall be carried out at night (sunset to sunrise) time.
42) All workers shall be imparted basic knowledge regarding the Do's and Don'ts of working within Forest Areas.
43) Photography of the proposed mining site (preferably using Drone) should be done and submitted to SEIAA along with half-yearly compliance report.
44) Extraction of minor minerals shall be restricted to middle half of the width of river bed/mining site after leaving intact one-fourth of width of the river bed/mining site along its each bank. Breaking of boulders shall not be permitted in the mining lease area.
45) The collection of minor minerals during a working season shall start from centre of the river/mining site width and shall gradually extend to the boundary of the permissible area so as to ensure maintenance of river geometry. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river/mining site width shall be fixed at **3.0** meter or up to ground water level whichever is less.
46) **Extraction of minor mineral is permitted from 1st October of every year to 15th June of the subsequent year. It shall be ensured that no mining activity is carried out during the monsoon season. Workers should be advised and protected against flash flood during 1st June to 15th June and 1st Oct to 31st Oct during which there may be rains in the hills.**
47) The project proponent has to regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season. The monitoring shall be ensured by Mines Department/District Administration from time to time as per rules.
48) The collection time of river bed materials (RBM) shall be from sun-rise to sun-set.

49) The project proponent shall strictly adhere to the norms of Transport Department in refraining from use of polluting and less fuel efficient vehicles for transporting extracted minor minerals. There shall be no over loading of vehicles as per standard norms of Central Government/State Government/Hon'ble Courts from time to time.
50) There shall be no labour camp in the mining lease area for the labour engaged in collection of the minor minerals. The labour engaged in collection/extraction work shall be provided free fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forest land.
51) The project proponent shall ensure that maximum local labour be engaged and hence employment opportunity provided. The project proponent shall follow all safety measures for labour force engaged in accordance with respected Acts/Rules.
52) The proponent shall erect eco friendly mobile toilets for the workforce at site and shall ensure disposal of solid waste as per the existing provisions/rules/guidelines.
53) The project proponent shall prepare the plan of mining in conformity with the mine lease conditions and the Rules prescribed in this regard thereby clearly delineating the 'No Work Zone' in the mine lease area (Non mining area), distance from the bridges etc. It should be minimum 3m or 1/10th of the width of the river whichever is more.
54) The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bed material and ensure that due to this activity the hydro-geological regime of the surrounding area are not affected. The proponent should not interfere with the flow of water and amount of water.
55) The project proponent shall ensure refraining from leaving behind clothes, personal belongings of labour engaged, polythene, plastic bottles, carton etc or any other solid waste in work site at the end of working season.
56) The project proponent shall provide protective respiratory devices to workers working in dusty areas and they shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained.
57) Link Road from mining site to main Road shall be maintained by the project-proponent.
58) The topsoil if any shall be stacked at earmarked site only and shall be used for reclamation.
59) Mineral handling, loading and unloading areas including all the transfer points should have efficient dust control arrangements. These should be properly maintained & operated.
60) Effective safeguard measures, such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulate matter such as loading and unloading point and all transfer points. Extensive water sprinkling shall be carried out on haul roads. It should be ensured that the Ambient Air Quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board in this regard.
61) Project proponent will strictly comply with provisions of EMP
62) Project proponent will have to submit EMP/EIA report to Mining Department (Lessee) and Pollution Control Board before getting work order/Consent to Establish or Operate.
63) Regular water sprinkling shall be done on the Haul Road.
64) Failure to comply with of any conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986
65) The project proponent shall submit half yearly compliance report of stipulated conditions of Environment Clearance in soft copy through PARIVESH PORTAL given link: **https://parivesh.nic.in.** The compliance report shall also be e mailed to the Regional Office in Dehradun in moef.ddn@gov.in

3) Conditions for entire life of the project

1) Legal status of the mining lease area shall remain unchanged and the Environmental Clearance shall remain coterminous with the lease period. The mined lease area shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
2) In case of flash flood and river changing its meandering course, fresh proposal has to be submitted for grant of Environmental Clearance.
3) The project proponent shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for sustainable extraction of the minor minerals from the mining lease area.
4) The project proponent shall use dust suppression equipment for sprinkling near by the mine site, so the PP was directed to leave 25 % area from the river bank sides.
5) The project proponent has to regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season. The monitoring shall be ensured by Department of mines/District Administration from time to time.
6) The project proponent shall strictly adhere to the norms of Transport Department in refraining from use of polluting and less fuel efficient vehicles for transporting extracted minor minerals. There shall be no over loading of vehicles as per standard norms of Central Government/State Government/Hon'ble Courts from time to time.
7) If the ownership is transferred then fresh Environment Clearance will be obtained under EIA notification dated 14.09.2006. However, no activity shall be undertaken till the Environment

Clearance is transferred in his name and he is lawfully bound to comply with the conditions of the Environmental Clearance.

8) The Ministry of Environment, Forest and Climate has formulated the "Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016". The Proponent shall ensure the implementation of the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016.
9) The project proponent shall set up Environment Management Cell which will also coordinate with general public, regulatory authorities and local administration to appraise environmental performance of the mining activity.
10) If it is found that if conditions laid down by the Authority are violated, the Authority may suspend or cancel this Environmental Clearance.
11) This Environmental Clearance (E.C.) is subject to obtaining clearance under the Wildlife (Protection) Act, 1972 from the competent Authority as may be applicable to this project.
12) The Project Proponent shall follow all relevant directions/orders issued by Hon'ble High Court/NGT/ Supreme Court.
13) Any appeal against this Environment Clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section of the National Green Tribunal Act, 2010.

4) **Specific Conditions:- (To be followed by Director Industry, Geology and Mining Unit, Govt. of Uttarakhand).**

1) A study shall be carried out in the second year through Department of Geology and Mines relating to replenishment of the mineral so as to ensure that the quantity of mineral to be removed does not exceed the siltation to avoid over exploitation of mineral, which may adversely affect the dynamics of river. A copy of said study report shall be submitted to the regional office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Dehradun and SEIAA, Uttarakhand before the start of work.
2) Mining Department (Lessee) will ensure compliance of the provisions of EMP/EIA, by the project proponent.
3) Project proponent will have to submit EMP/EIA report to Mining Department (Lessee) and Pollution Control Board before getting work order/Consent to Established or Operate.
4) Mining Department will inform the proposed quantity of R.B.M to this Authority.
5) The Geology and Mining unit of Industry Department shall ensure site specific river training works at the work site to ensure bank protection. Mining department should ensure that a Corpus fund for this purpose will be set up and kept at the disposal of District Magistrate.
6) The Geology and Mining unit of Industry Department shall identify an agency for regular/periodical monitoring of quality of ground water of existing hand pumps and tube wells in the vicinity of the mining site.
7) Digital processing of the entire lease area using remote sensing technique should be done by Geology and Mining department regularly once in three years for monitoring the change of river course, if any and report should be submitted to the Ministry of Environment and Forests, Regional office at Dehradun and SEIAA, Uttarakhand.
8) Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 (http://environmentclearance.nic.in/writereaddata/SandMiningManagementGuidelines2020.pdf) issued by MoEF&CC shall be followed

Your's Faithfully

(Dr. S.P. Subudhi)
Member Secretary,
SEIAA, Uttarakhand

No - 263 01(139)/2024 dated- as above

Copy to-

1. APCCF, Regional office (Central) MoEFCC Govt of India, 25 Subhash Road, Dehradun for information and necessary action.
2. Principal Chief Secretary, Forests & Environment, Government of Uttarakhand, Dehradun for information.
3. Director Industries, Geology & Mining Unit Govt of Uttarakhand Dehradun for information and necessary action.
4. District Magistrate, Uttarkashi for information and necessary action.
5. Member Secretary, UKPCB, IT Park Dehradun.
6. DFO, Uttarkashi.
7. Guard File for uploading in Parivesh Website.

Signature Not Verified
Digitally Signed by : Dr S P Subudhi
Member Secretary, SEIAA
Date: 19/09/2024

(Dr. S.P. Subudhi)
Member Secretary,
SEIAA, Uttarakhand

SIA/UK/MIN/481098/2024

Annexure-XI

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या 1801/VII-A-1/2024–24(ख)/2007टी0सी0–1
देहरादूनः दिनांकः 09 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1733/VII-A-1/2024–24(ख)/2007 टी0सी0–1 दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 द्वारा निर्गत 'उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव–मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी (मा0 विभागीय मंत्री जी) के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. आयुक्त, गढवाल/कुमांऊ मण्डल पौडी/नैनीताल।
4. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नीति को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां ओद्यौगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन का यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या– 1733 /VII-A-1/2024–24 (ख)/2007 टी0सी0–1
देहरादूनः दिनांकः 8 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023 यथासंशोधित 2024 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली,2024 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 7 का संशोधन

2. **मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–2 के नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–**

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

नियम 7– जांच और प्रतिवेदनः–

(1) खनन पट्टे हेतु आवेदित क्षेत्र के स्थलीय जांच, अभिलेखों की जांच, खनिजों के प्रकार एवं मात्रा का आंकलन, सीमांकन आदि हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगाः–

1. उप जिलाधिकारी– अध्यक्ष।
2. सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल खनन क्षेत्रों हेतु) – सदस्य।
3. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि –सदस्य।
4. जिला खान अधिकारी – सदस्य सचिव।

परन्तु उक्तानुसार गठित समिति में उप जिलाधिकारी की उपलब्धता न होने की स्थिति में नियमावली के नियम–66 के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार उक्त समिति की अध्यक्षता करेंगे।

(2) उप जिलाधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर 01 माह के भीतर गठित समिति से स्थलीय जांच/निरीक्षणोपरान्त निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी, तदोपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा संस्तुति

स्तम्भ–2
प्रतिस्थापित नियम

नियम 7– जांच और प्रतिवेदनः–

(1) खनन पट्टे हेतु आवेदित क्षेत्र के स्थलीय जांच, अभिलेखों की जांच, खनिजों के प्रकार एवं मात्रा का आंकलन, नये खनन क्षेत्रों के चिन्हीकरण हेतु समिति निम्नवत होगी:–

1. जिला खान अधिकारी – अध्यक्ष।
2. तहसीलदार – सदस्य।
3. सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग (मात्र नदी तल खनन क्षेत्रों हेतु) – सदस्य।
4. सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी – सदस्य।
5. भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (मात्र स्वस्थानें चट्टानों आधारित खनन क्षेत्रों हेतु) – सदस्य।

(2) स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम, क्वार्टजाईट, पत्थर/बोल्डर्स, स्लेट आदि के खनन पट्टा हेतु जिला खान अधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर 01 माह के भीतर गठित समिति से स्थलीय जांच/निरीक्षणोपरान्त निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी, तदोपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव महानिदेशक/निदेशक को समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित किया जायेगा।

(3) नदीतल उपखनिज क्षेत्रों में जिला खान

सहित प्रस्ताव महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म देहरादून को समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित किया जायेगा।

अधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर 01 माह के भीतर गठित समिति से स्थलीय जांच/निरीक्षणोपरान्त निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित महानिदेशक/निदेशक को समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित किया जायेगा।

नियम 8 के उपनियम (क) का संशोधन

3. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–2 के नियम 08 के उपनियम (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

नियम 8– खनन पट्टे की स्वीकृतिः–

(क) शासन द्वारा इस नियमावली के उपबंधो के अधीन रहते हुये नदी तल/नदी तल से लगी भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर उपलब्ध खनन पट्टे के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है अथवा आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग के लिये, उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) के खनन पट्टे की दशा में 06 माह की अवधि के लिए एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे की दशा में 01 वर्ष की अवधि के लिये, जैसा उचित हो, खनन पट्टा हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियों की प्राप्ति हेतु जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत/स्वीकृत किया जायेगा।

नियम 8 – खनन पट्टे की स्वीकृतिः–

(क) शासन द्वारा इस नियमावली के उपबंधो के अधीन रहते हुये निजी नाप भूमि में स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम, बोल्डर्स/पत्थर/स्लेट/क्वार्टजाईट आदि के खनन पट्टे स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात महानिदेशक/निदेशक की संस्तुति पर उपलब्ध खनन पट्टे के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है अथवा आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग के लिये 01 वर्ष की अवधि के लिये, जैसा उचित हो, खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियों की प्राप्ति हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत/स्वीकृत किया जायेगा।

परन्तु महानिदेशक/निदेशक द्वारा इस नियमावली के उपबंधो के अधीन रहते हुये नदी तल में स्थित निजी नाप भूमि/राजस्व भूमि/वन भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) के खनन पट्टे की स्वीकृति से सम्बन्धित प्रस्ताव जिला खान अधिकारी के द्वारा संस्तुति सहित उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव को परीक्षणोपरान्त अस्वीकार किया जा सकता है अथवा आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग के लिये, 06 माह की अवधि के लिए तथा खनन लॉट के नेशनल पार्क/सेंन्चुरी आदि के 10 कि0मी0 की परिधि में होने की दशा में 01 वर्ष हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियों की प्राप्ति हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत/स्वीकृत किया जायेगा। निर्धारित समयवधि में आशय पत्र की अनुपालना न किये जाने पर आशयपत्र धारक के द्वारा आशय पत्र की अनुपालना में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में संतोषजनक कारण साक्ष्य सहित प्रस्तुत किये जाने पर आशय पत्र का अग्रेत्तर 06 माह की अवधि हेतु नवीनीकरण महानिदेशक/निदेशक

द्वारा किया जायेगा।

परन्तु यदि आशयपत्रधारक के द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित आशयपत्रधारक के द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में आंगणित रायल्टी/अपरिहार्य भाटक (जो लागू हों) की धनराशि का 05 प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त जमा की जायेगी।

नियम 8 में उपनियम (ग) का अंतःस्थापन

4. मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय–2 के नियम 8 के उपनियम (ख) के पश्चात उपनियम (ग) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

नियम 8– खनन पट्टे की स्वीकृतिः–

(ग) निजी नाप भूमि में स्वीकृत खनन पट्टों के नवीनीकरण हेतु पट्टाधनराशि का निर्धारण खनन पट्टे के अन्तिम वर्ष की वार्षिक पट्टाधनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ (राज्य सरकार द्वारा नियमावली के नियम 18 की प्रथम अनुसूची की दरों को यथासमय पुर्ननिर्धारित किये जाने की दशा में पट्टाधनराशि में भी उसी अनुपात में अतिरिक्त रूप से वृद्धि होगी) किया जायेगा। खनन पट्टे का नवीनीकरण हेतु पट्टाधारक के द्वारा पट्टे की अवधि की समाप्ति से अधिकतम 06 माह पूर्व जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–1(क) में आवेदन किये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार एवं खान निरीक्षक/खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक के द्वारा किया जायेगा।

नियम 13 के उपनियम (4) का संशोधन

5. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–2 के नियम 13 के उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
नियम 13 – पट्टाविलेख का निष्पादनः–	नियम 13 – पट्टाविलेख का निष्पादनः–
(4) राजस्व व वन भूमि क्षेत्रों में निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा/नवीनीकरण के उपरान्त एक माह के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के साथ हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य होगा तथा एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उपखनिज का चुगान/खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	(4) राजस्व व वन भूमि क्षेत्रों में निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा/नवीनीकरण के उपरान्त निगमों के द्वारा एक माह के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 महानिदेशक/निदेशक के साथ हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य होगा। एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उपखनिज का चुगान/खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा पट्टे की अवधि की गणना एम0ओ0यू0 की तिथि से की जायेगी।

नियम 15 में उपनियम (4) का अंतःस्थापन

6. मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय–2 के नियम 15 के उपनियम (3) के पश्चात उपनियम (4) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

नियम 15 – पट्टे का संक्रमण (Transfer)

(4) ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से नदीतल में स्वीकृत खनन पट्टों का संक्रमण (Transfer) की अनुमति सम्बन्धित जिला खान अधिकारी की संस्तुति सहित उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव के क्रम में महानिदेशक/निदेशक द्वारा खनन पट्टे की अवशेष अवधि तक प्रदान की जायेगी तथा तत्पश्चात अनुपूरक पट्टाविलेख निष्पादित किया जायेगा, जिसके लिये रू0 2.00 लाख का शुल्क देय होगा।

नियम 18 में उपनियम (4) का अंतःस्थापन

7. मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय–3 के नियम 18 के उपनियम (3) के पश्चात उपनियम (4) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

नियम–18 स्वामित्व

(4) प्रथम अनुसूची में निर्धारित रायल्टी के अतिरिक्त निम्न शुल्क देय होगें:–

2. स्टाम्प शुल्क – रायल्टी का 02 प्रतिशत।
3. जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान– रायल्टी का 15 प्रतिशत
4. क्षतिपूर्ति – रायल्टी का 10 प्रतिशत

नियम 20 के उपनियम (4) का संशोधन

8. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–4 के नियम 20 के उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
नियम–20 ई–नीलामी में पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा– (4) उप नियम (1) के अधीन नदीतल राजस्व/वन भूमि खनन क्षेत्र या क्षेत्रों को घोषित किये जाने से पूर्व उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति यथा राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल क्षेत्रों हेतु), वन विभाग, खनन विभाग या अन्य कोई विभाग आवश्यक हो, के द्वारा उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सीमांकन जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स सहित, निक्षेपित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं पहुंच मार्ग की उपलब्धता आदि का निर्धारण कर आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी एवं जिलाधिकारी के द्वारा उक्तानुसार गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को, ई–नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा। परन्तु राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थानें चट्टान किस्म के उपखनिज सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज क्षेत्रो का चिन्हीकरण संयुक्त निदेशक भूविज्ञान के पर्यवेक्षण में विभागीय गठित भूवैज्ञानिक दल के द्वारा या बाह्य स्रोत से किया जायेगा। उक्त चिन्हित क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन हेतु उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा जिसमें, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा नामित भूवैज्ञानिक/सहायक, भूवैज्ञानिक सदस्य होंगे। उक्त समिति चिन्हित खनिज क्षेत्रों	नियम–20 ई–नीलामी में पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा– (4) उप नियम (1) के अधीन नदीतल राजस्व/वन भूमि खनन क्षेत्र या क्षेत्रों को घोषित किये जाने से पूर्व नियमावली के अध्याय–2 के नियम 07 के अनुसार गठित समिति के द्वारा उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण, जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स सहित, निक्षेपित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं पहुंच मार्ग की उपलब्धता आदि का निर्धारण कर संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को ई–नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी। परन्तु राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थानें चट्टान किस्म के उपखनिज सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज क्षेत्रो का चिन्हीकरण निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पर्यवेक्षण में विभागीय गठित भूवैज्ञानिक दल के द्वारा या बाह्य स्रोत से किया जायेगा। उक्त चिन्हित क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन नियमावली के अध्याय–2 के नियम 07 के अनुसार गठित समिति के द्वारा किया जायेगा तथा गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या मय खसरा खतौनी, मानचित्र आदि अभिलेखो सहित जिला खान अधिकारी के द्वारा महानिदेशक/निदेशक को ई–नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

की स्थलीय निरीक्षण आख्या मय खसरा खतौनी, मानचित्र आदि अभिलेखो सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को ई–नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

नियम 25 में उपनियम 10 एवं 11 का अंतःस्थापन

9. **मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय–4 के नियम 25 के उपनियम 9 के पश्चात उपनियम 10 एवं 11 को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–**

नियम 25– ई–नीलामी द्वारा पट्टा दिया जाना :–

10. यदि राज्य सरकार के द्वारा नियमावली के नियम 18 की प्रथम अनुसूची की दरों को पुर्ननिर्धारित किया जाता है तो पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टों की पट्टाधनराशि में उसी अनुपात में वृद्धि होगी।

11. ई–निविदा सह ई–नीलामी के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टों के नवीनीकरण हेतु पट्टाधनराशि का निर्धारण खनन पट्टे के अन्तिम वर्ष की वार्षिक पट्टाधनराशि में 20 प्रतिशत (राज्य सरकार द्वारा नियमावली के नियम 18 की प्रथम अनुसूची की दरों को यथासमय पुर्ननिर्धारित किये जाने की दशा में पट्टाधनराशि में भी उसी अनुपात में अतिरिक्त रूप से वृद्धि होगी) की वृद्धि के साथ किया जायेगा। खनन पट्टे का नवीनीकरण पट्टाधारक के द्वारा पट्टे की अवधि की समाप्ति से अधिकतम 06 माह पूर्व जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–1(क) में आवेदन किये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार एवं खान निरीक्षक/खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक के द्वारा किया जायेगा।

नियम 31 में उपनियम (9) का अंतःस्थापन

10. **मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय–5 के नियम 31 के उपनियम (8) के पश्चात उपनियम (9) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–**

नियम 31–खनन संक्रियाओं एक माह के भीतर प्रारम्भ होगी:–

(9) आशय पत्र पर स्वीकृत ऐसे उपखनिज क्षेत्र, जिनमें अपेक्षित अनुमतियाँ निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त करने में किन्ही कारणोंवश समय लगने की संभावना हो, की अनुमति प्राप्त होने तक नदियों में मलवे/आर0बी0एम0 की सफाई/ निकासी रिवर ड्रेजिंग नीति के अधीन की जायेगी। सम्बन्धित आशयपत्र धारक के स्वयं रिवर ड्रेजिंग कार्य करने हेतु इच्छुक होने की दशा में रायल्टी का 02 गुना के समतुल्य धनराशि एवं नियमानुसार अन्य कर जमा करने की दशा में महानिदेशक/निदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुमति दी जा सकेगी। आशयपत्र धारक के इच्छुक न होने की दशा में समय–समय पर प्रभावी उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार रिवर ड्रेजिंग की कार्यवाही की जायेगी।

नियम 50 के उपनियम 6 का संशोधन

11. **मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–5 के नियम 50 के उपनियम 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–**

नियम–50 खनन पट्टा हेतु अतिरिक्त शर्ते	**नियम–50 खनन पट्टा हेतु अतिरिक्त शर्ते**
6. नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड, सैक्शन मशीन, लिफटर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नही किया जायेगा। परन्तु विशेष परिस्थितियों में जैसे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, क्षेत्र में	6. नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड, सैक्शन मशीन, लिफटर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नही किया जायेगा। परन्तु विशेष परिस्थितियों में जैसे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, क्षेत्र में बडे आकार के बोल्डर को हटाने, पट्टा क्षेत्र में फंसे वाहनों

बडे आकार के बोल्डर को हटाने, पट्टा क्षेत्र में फंसे वाहनों को निकालने आदि की दशा मे अनुमति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

को निकालने आदि की दशा मे अनुमति सम्बन्धित तहसीलदार, वन क्षेत्राधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर खान अधिकारी के द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

नियम 53 का संशोधन

12. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–6 के नियम 53 के उपनियम 1 को विलोपित करते हुए स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

नियम 53. प्रार्थना पत्र का निस्तारण

1. उपरोक्त नियम–52(2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों हेतु स्थलीय जांच/निरीक्षण उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

2. मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नाप में स्थल विकास करने के उद्देश्य से भूमि को समतल किये जाने, भवनों के बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी आदि का उपयोग उसी निजी नाप भूमि के भूमि सुधार हेतु किये जाने पर अनुज्ञा स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी, परन्तु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों मे उपरोक्तानुसार उल्लिखित क्रिया कलापों हेतु सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। इस हेतु Excavator मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों मे उक्त क्रिया के अन्तर्गत निकलने वाले उपखनिजों को अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृति की जायेगी। उक्त क्रिया कलाप खनन की श्रेणी मे नही आयेंगे तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

3. नियम–51 (2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं यथा ईट निर्माण हेतु मिट्टी के खुदान,

नियम 53. प्रार्थना पत्र का निस्तारण

1. मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नाप भूमि में सडक निर्माण, स्थल विकसित करने के उद्देश्य से भूमि को समतल किये जाने, आवासीय भवनों के बेसमेंट की खुदाई से निकलने वाली साधारण मिट्टी आदि का उपयोग उसी निजी नाप भूमि के भूमि सुधार हेतु किये जाने पर अनुज्ञा स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी, परन्तु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों मे उपरोक्तानुसार उल्लिखित क्रिया कलापों हेतु सम्बन्धित तहसीलदार एवं भूवैज्ञानिक की आख्या के आधार पर सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त दोनों क्षेत्रों हेतु Excavator मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों मे उक्त क्रिया के अन्तर्गत निकलने वाले उपखनिजों को अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित सम्बन्धित तहसीलदार एवं खान निरीक्षक/खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा अल्प अवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृति की जायेगी। उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

उक्त दोनों क्षेत्रों हेतु बिना सक्षम अनुमति/सूचना के कार्य किये जाने पर उक्त कार्य अवैध कार्य की श्रेणी में आयेगा, जिस हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2. ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के खुदान के लिये अल्प अवधि की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति आदि प्राप्ति हेतु सम्बन्धित तहसीलदार एवं जिला खान

साधारण मिट्टी का खुदान एवं जल विद्युत परियोजना के निर्माण की टनल आदि से निकलने वाले उपयोगी उपखनिजों, जिनका व्यवसायिक/ परियोजना निर्माण में उपयोग किया जायेगा, के सम्बन्ध में अध्याय–2 के नियम–7 में गठित समिति के द्वारा स्थलीय जांच/निरीक्षण किया जायेगा। गठित समिति उक्त जांच आख्याओं के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार कर सकता है या ऐसी शर्त और निबन्धनों के अधीन जो आवश्यक समझे, प्रार्थित क्षेत्र के कुल या कुछ भाग के लिये एक नियत अवधि हेतु अनुज्ञा दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे क्षेत्र के लिये, जो पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन पहले से धृत है, अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र समय से पूर्व समझा जायेगा और उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है, तो उसे वापस नही किया जायेगा।

4. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जाने में संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में उपयोग किया जायेगा। यह प्रक्रिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी व अन्य कर देय नहीं होगें। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल का अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा तथा तदोपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा उक्त उपखनिज के अन्यत्र परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, अधिकारी की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया जायेगा तथा उक्तानुसार अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

3. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जोन में संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में उपयोग किया जायेगा। यह प्रक्रिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी व अन्य कर देय नहीं होगें। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल का अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित तहसीलदार एवं जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा तथा तदोपरान्त सम्बन्धित जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त उपखनिज के अन्यत्र परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त क्रियाकलाप खनन की श्रेणी मे नही आयेंगे तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

4. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, जिप्सम आदि के स्वीकृत खदानों से ओवरबर्डन (Over burden) के रूप में निकलने वाले वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) को विभागीय रसायन प्रयोगशाला की विश्लेषण आख्या के आधार पर वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) होने पर अन्यत्र परिवहन हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, जिस हेतु नियमानुसार रायल्टी एवं

बैराइट, डोलोमाईट, स्लेट, जिप्सम आदि के स्वीकृत खदानों से ओवरबर्डन (Over burden) के रूप में निकलने वाले वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) को विभागीय रसायन प्रयोगशाला की विश्लेषण आख्या के आधार पर वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) होने पर अन्यत्र परिवहन हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, जिस हेतु नियमानुसार रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा। 5. सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सिंचाई विभाग, डी0जी0बी0आर(ग्रेफ), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि द्वारा सड़क, पहुंच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि के निर्माण कार्य उपयोग हेतु अग्रिम रॉयल्टी को जमा कराये जाने तथा वांछित प्रपत्रों को निर्गत करने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी अधिकृत होगें।	अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा। 5. सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ) आदि द्वारा सड़क, पहुंच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु आंगणन (Estimate) की जांच/निरीक्षण व मूल्यांकन सम्बन्धित तहसीलदार एवं खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा, तत्पश्चात जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या सम्बन्धित मण्डल के संयुक्त निदेशक द्वारा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। यह प्रक्रिया रोड कटिंग के दौरान अवशेष मलवा, भूस्खलित मलवा, जलाशयों/झील/तालाब/बैराज/डैम/नहर/नाला में जमा मलवा की सफाई/निकासी के लिए भी अपनायी जायेगी, इस हेतु उनके स्वामित्वों वाले विभाग की अनापत्ति आवश्यक होगी। उक्त क्रियाकलाप खनन की श्रेणी मे नही आयेंगे तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

नियम 53 में उपनियम 7, 8, 9 एवं 10 का अंतःस्थापन

13. मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय–6 के नियम 53 के उपनियम 5 के पश्चात उपनियम 6, 7, 8 एवं 9 को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

नियम 53. प्रार्थना पत्र का निस्तारणः–

6. नदीतल से बाहर निजी नाप भूमि में समतलीकरण, रिसाईकलिंग टैंक/वाटर स्टोरेज टैंक एवं मत्स्य पालन हेतु तालाब के निर्माण (मत्स्य तालाब निर्माण हेतु मत्स्य पालन विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त) के दौरान निकलने वाले उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर, मिट्टी, जिसका व्यवसायिक उपयोग किया जाना हो, के लिए अल्प अवधि की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति आदि प्राप्ति हेतु सम्बन्धित तहसीलदार एवं खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक द्वारा 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया जायेगा तथा उक्तानुसार अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा शासन के द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

7. वर्षाकाल के दौरान निजी भूमि में गधेरों से मलवा/पत्थर जमा होने की दशा में सम्बन्धित भूमिधर के द्वारा जमा मलवे/पत्थर को हटाने हेतु आवेदन करने पर निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या सम्बन्धित मण्डल के संयुक्त निदेशक के द्वारा जिला खान अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या के आधार पर अधिकतम 03 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। उक्त क्रियाकलाप खनन की श्रेणी मे नही आयेंगे तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

8. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, डी0जी0वी0आर (ग्रेफ), बी0आर0ओ0, आई0टी0बी0पी0 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य हेतु रिक्त राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों में खनन पट्टा

स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–1 में आवेदन शुल्क सहित आवेदन जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने पर गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी के द्वारा पर्यावरणीय अनुमति हेतु खनन पट्टा का आशय पत्र निर्गत किया जायेगा तथा पर्यावरणीय अनुमति प्राप्ति के उपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा परियोजना की समाप्ति अवधि तक अथवा 05 वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, तक के लिये खनन पट्टा की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि उनके द्वारा खनन पट्टे से निकलने वाले उपखनिजों का उपयोग परियोजना के इतर नहीं किया जायेगा।

9. राजस्व एवं निजी नाप भूमि में साधारण मिट्टी/सिल्ट की खुदाई अधिकतम 2.0 मी0 गहराई तक (भरान हेतु) किये जाने तथा उसका अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित आवेदक के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित तहसीलदार एवं जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रॉयल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा तथा पदोपरान्त सम्बन्धित जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त उपखनिज के अन्यत्र परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त कियाकलाप खनन की श्रेणी में नहीं आयेगें तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

नियम 57 के उपनियम (1) का संशोधन

14. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–7 के नियम 57 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
नियम 57. अनधिकृत खनन के लिये शक्ति	**नियम 57. अनधिकृत खनन के लिये शक्ति**
(1) जो कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्व हो जाने पर प्रथम बार में अवैध उत्खनिज की मात्रा पर रायल्टी का 02 (दो) गुना तथा तत्पश्चात रायल्टी का 03 (तीन) गुना तक के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।	(1) जो कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्व हो जाने पर प्रथम बार में अवैध उत्खनिज की मात्रा पर रायल्टी का 03 (तीन) गुना तथा तत्पश्चात रायल्टी का 04 (चार) गुना के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।

नियम 69 के उपनियम (4) का संशोधन

15. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–8 के नियम 69 के उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
नियम 69. स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार/ निविदाकार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :–	**नियम 69. स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार/निविदाकार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :–**
(4) उपरोक्तानुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों में खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय–2 के अनुसार दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।	(4) उपरोक्तानुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों में खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय–2 के अनुसार आवंटन किये जाने में प्रथम वरीयता दी जायेगी। यदि वह खनन पट्टा चाहने हेतु इच्छुक नहीं है तो ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। किसी कारणवश यदि ठेकेदार का अनुबन्ध स्वीकृत अवधि से पूर्व निरस्त होता है तो खनन पट्टा भी स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

नियम 69 में उपनियम (6) का अंतःस्थापन	16.	मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय–8 के नियम 69 के उपनियम (5) के पश्चात उपनियम (6) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम 69. स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार/निविदाकार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :– (6) रिक्त खनन क्षेत्र से निगमों के वे क्षेत्र, जहां पर कोई आवेदन न किया गया हो अथवा अन्य खनन उपलब्धता वाले क्षेत्र (राजस्व/वन) अभिप्रेत होंगे।
नियम 70 में उपनियम (10) का अंतःस्थापन	17.	मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय–8 के नियम 70 के उपनियम (9) के पश्चात उपनियम (10) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम 70– खनिज के परिवहन पर निर्बन्धनः– (10) खनिजों के परिवहन की व्यवस्था को प्रभावी रूप से विनियमित किये जाने हेतु ई–रवन्ना पोर्टल में समय–समय पर आवश्यकतानुसार अपडेटेशन की कार्यवाही एवं ई–रवन्ना प्रपत्रों के दुरूप्रयोग को रोके जाने के उद्देश्य से ई–रवन्ना प्रपत्रों को डिजिटल किये जाने तथा हाई सिक्योरिटी पेपर पर निर्गत किये जाने की कार्यवाही निदेशक के द्वारा की जायेगी।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

क्रम संख्या–61 (क) पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 16 जून, 2023 ई0
ज्येष्ठ 26, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1

संख्या 977/VII-A-1/2023–24 ख/2007
देहरादून, 16 जून, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0–16

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों एवं आदेशों को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023 को निम्नवत प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023
अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त, शीर्षक्रम, प्रसार, प्रारम्भ और प्रयुक्तिः–

(1) यह नियमावली उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 (Uttarakhand Minor Minerals (Concession) Rules, 2023 कहलायेगी।

(2) इनका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रचलित होगी।

(4) यह राज्य में उपलब्ध समस्त उपखनिजों पर प्रवृत्त होगी।

(5) यह नियमावली राज्य सरकार द्वारा सरकारी विभागों, सरकारी निगमों या कानूनी निगमों से खनन कार्य को कराने के अधिकार को प्रभावित नही करेगी।

2. परिभाषायें :—जब तक की प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य माइन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगूलेशन) एक्ट, 1957 (एक्ट संख्या 67 आफ 1957) समय–समय पर यथा संशोधित से है।

(क) "समिति" का तात्पर्य जिस क्षेत्र में खनिज क्षेत्र स्थित है, उस जनपद के उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खनिज क्षेत्रों के चिन्हीकरण/निरीक्षण हेतु गठित समिति से है।

(ख) "जिला खनन समिति" का तात्पर्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी, जिला खान अधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग सदस्य होंगे, से अभिप्रेत है।

(ग) 'महानिदेशक" का तात्पर्य महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड से है।

(घ) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड से है।

(2) "जिलाधिकारी" से तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है, जिसमें भूमि स्थित हैं।

(क) "जिला खान अधिकारी' से तात्पर्य उस जिले के खान अधिकारी से है, जिसमें भूमि स्थित है।

(3) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र से है।

(क) "स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप" का तात्पर्य चट्टानों के रूप मे पाये जाने वाले खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज से है, जो अपनी उत्पत्ति के स्थान से विस्थापित न हुआ हो।

(4) "खनन और स्वामी" के वही अर्थ होंगे, जो माइन्स एक्ट 1952 (एक्ट सं0 35, 1952) में दिये गये हैं।

(5) "खनन सक्रियाओं" का तात्पर्य किसी उप खनिज को लब्ध करने के प्रयोजन के लिये की गई सक्रियाओं (operation) से है।

(6) "खनन पट्टा" का तात्पर्य उस खनन पट्टे (Mining Lease) से है, जो इन नियमों के अधीन एक नियत अवधि हेतु उप–खनिजों के विदोहन हेतु पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियां प्राप्ति के उपरान्त शासन अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया हो।

(7) "खनन अनुज्ञा–पत्र" का तात्पर्य उस अनुज्ञा–पत्र (परमिट) से है, जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञा–पत्र में नियत अवधि के भीतर उप–खनिजों की निर्दिष्ट मात्रा को निकालने के लिये दिया गया हो।

(8) "उप–खनिज" का तात्पर्य इमारती पत्थर (Buliding stone), बालू (Sand), बजरी (gravel), बोल्डर (Boulder), आर0बी0एम0 (बालू, बजरी, बोल्डर मिश्रित अवस्था में), मामूली मृदा (clay) नियत प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू (Sand) से भिन्न मामूली बालू, खनिज सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, स्लेट अथवा किसी ऐसे खनिज से है, जिसे केन्द्र सरकार ने समय–समय पर घोषित किया है या जिसके उप–खनिज होने के बारे में माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेगूलेशन एण्ड डेवलेपमेन्ट) एक्ट, 1957 (1957 की एक्ट संख्या 67) की धारा–3 के खण्ड (ड़) के अधीन सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे।

(क) "खनिमुख मूल्य" का तात्पर्य खनिमुख पर मूल्य या उत्पादन के बिन्दु पर उपखनिज के विक्रय–मूल्य से है।

(9) "रेलवे" और "रेलवे के प्रशासन" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये इण्डियन रेलवेज एक्ट, 1890 (एक्ट संख्या 9, 1890) में दिये गये हैं।

(10) "River Bed Material (आर0बी0एम0)" नदी/नाला/गधेरा में अवस्थित या लगी हुई भूमि में उपलब्ध रेता, बजरी, बोल्डर, मिश्रित अवस्था में या पृथक–पृथक अवस्था में उपलब्ध हो, से तात्पर्य है।

(11) "नदी तल उपखनिज क्षेत्रों हेतु खनन सत्र" का तात्पर्य वर्षाकाल के उपरान्त 01 अक्टूबर से 30 जून तक की अवधि से है।

(12) "स्वस्थानें (In-Situ) चट्टानों एवं नदी तल से भिन्न उपखनिज क्षेत्रों हेतु खनन सत्र" का तात्पर्य 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि से है।

(13) पर्वतीय क्षेत्रः– पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़, टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोडा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है।

(14) मैदानी क्षेत्रः– मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला टिहरी गढवाल (नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), हरिद्वार एवं उधमसिहनगर के सम्पूर्ण भाग सम्मलित है।

(15) "चुगान" का तात्पर्य नदी के जल प्रवाह को नदी के मध्य में केन्द्रित करने हेतु नदी द्वारा निक्षेपित/जमा उपखनिज बालू, बजरी व बोल्डर का मानव शक्ति से निकासी से है।

(16) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है।

(17) "राज्य और "राज्य सरकार" का तात्पर्य क्रमशः उत्तराखण्ड राज्य और उत्तराखण्ड सरकार से है।

(18) "परिवार" का तात्पर्य माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, भाई, अविवाहित पुत्री व अविवाहित बहन से है।

(19) "शब्द" और "पद" जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये हैं।

3. खनन संक्रियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा–पत्र के अधीन होगीः–

(1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में ऐसे उप–खनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र की शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियायें न कर सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी बात का प्रभाव इस नियमावली में प्रारम्भ होने से पूर्व यथाविधि दिये गये खनन पट्टा या अनुज्ञा–पत्र की शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अनुरूप की गई खनन सक्रियाओं पर न पडेगा।

(2) कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा–पत्र इस नियमावली के उपबन्धों से भिन्न प्रकार न दिया जायेगा।

अध्याय–2

उपखनिज क्षेत्रों को खनन पट्टे पर दिया जाना

4. खनन पट्टे के दिये जाने पर निर्बन्धनः–

खनन पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा, जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक समझा जायेगाः–

(I) कम्पनीज एक्ट, 1956 में यथा परिभाषित "public company" (सार्वजनिक कम्पनी) की दशा में, केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के अधिकांश निदेशक भारत के नागरिक हों और उसी अंशपूजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत ऐसे व्यक्ति धारण करते हों, जो या भारत के नागारिक हो या कम्पनीज एक्ट 1956 में यथा परिभाषित "companies" (कम्पनियां) हों।

(II) कम्पनीज एक्ट 1956 में यथा परिभाषित "Private company" (निजी कम्पनी) की दशा में केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों।

(III) फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ (Other association or individulas) की दशा में केवल उस स्थिति में जब फर्म के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों, और

(IV) किसी व्यक्ति विशेष की दशा में, केवल उस स्थिति में जब वह भारत का नागरिक हो।

5. खनन पट्टा दिए जाने या उसके नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्रः–

(1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0–1 में या उसके नवीनीकरण के लिये प्रपत्र एम0एम0–1 (क) में जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट प्रार्थना पत्र जिला खान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी को छः प्रतियों में दिया जायेगा। ऐसा अधिकारी सभी छः प्रतियों में, प्रार्थना पत्र की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति का स्थान, समय और दिनांक लिखकर पृष्ठांकित करेगा। उसकी एक प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने वाले व्यवित को तुरन्त लौटा दी जायेगी तथा एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।

(3) खनन पट्टा हेतु आवेदनकर्ता की मृत्यु होने पर आवेदनकर्ता की विधिक वारिस द्वारा प्रस्तुत किया गया माना जायेगा, इस हेतु विधिक वारिस द्वारा सक्षम स्तर से निर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा उक्त आवेदन हेतु इच्छुक होने का नोटराईज्ड अनुरोध शपथ पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय में 03 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में मूल आवेदन पत्र स्वतः निरस्त मानते हुए आवेदित क्षेत्र रिक्त माना जायेगा।

(4) उप नियम (1) में अभिदिष्ट प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0–2 में खनन पट्टों के लिये प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

6– खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना–पत्र शुल्क और जमा अभिलेखः–

(1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित होगाः–

(क) नदी तल में अवस्थित निजी/राजस्व/वन भूमि उपखनिज क्षेत्रों के लिये आवेदन शुल्क रू0 1.00 लाख एवं नदीतल से भिन्न निजी नाप भूमि के स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिजों हेतु आवेदन शुल्क 05 है0 क्षेत्रफल तक हेतु रू0 2.00 लाख तथा 5.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल हेतु रू0 5.00 लाख देय होगा, जो निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा किया जायेगा।

(ख) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से खनन किये जाने के लिए आवेदित क्षेत्रफल 4.0 है0 से न्यून नहीं होगा, जो एक संहत खण्ड में होगा।

परन्तु स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के ऐसे उपखनिज जो निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होंगे यथा स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर आदि हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1.0 एकड़ होगा।

(ग) राजस्व खसरा मानचित्र, जिसमें आवेदित क्षेत्र को लाल रंग से दर्शाया गया हो तथा राजस्व विभाग से सत्यापित हो, की प्रतियां एवं गूगल मानचित्र, जिसमें आवेदित क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया हो, की स्वप्रमाणित प्रति।

(2) खसरा खतौनी की राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित प्रति।

(3) खनन अदेयता प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, की प्रति।

(4) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।

(5) चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

(6) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति।

(7) जी0एस0टी0 की प्रति।

(8) निजी नाप भूमि के उपखनिज के सम्बन्ध में सम्बन्धित भूस्वामियों की नोटराईज्ड अनापत्ति।

(9) निजी नाप भूमि होने पर भूमि बन्धक न होने का प्रमाण पत्र की प्रति।

(10) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों के सम्बन्ध में निजी नाप भूमि में आवेदित कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत क्षेत्रफल हेतु भूस्वामियों की नोटराईज्ड सहमति।

(11) यदि प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से पूरा नही है या उसके साथ उपनियम (1) मे उल्लिखित शुल्क जमा या अभिलेख नहीं हैं, तो जिला खान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नोटिस द्वारा प्रार्थी से, ऐसे समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रार्थना पत्र के सभी प्रकार से पूरा करने या शुल्क जमा करने या अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा करेगा और वह दिनांक जब प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से पूरा हो, प्रार्थना पत्र की प्राप्ति का दिनांक समझा जायेगा।

(12) आवेदक व आवेदक के परिवार के विरूद्ध खनन सम्बन्धी देयता होने पर खनन पट्टा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा।

6–खनन पट्टे का नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र शुल्क आदि:–

(क) खनन पटटा के नवीनीकरण के लिये–प्रार्थना पत्र, पट्टे की अवधि की समाप्ति के दिनांक से कम से कम छः माह पूर्व पट्टे द्वारा धृत क्षेत्र के मानचित्र, जिसमें वह क्षेत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, जिसके नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो, की छः प्रतियों सहित दिया जा सकेगा और नियम 6 के उपनियम(1) खण्ड (क) आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(ख) राज्य सरकार उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात खनन पट्टा के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र में हुए विलम्ब की क्षमा कर सकेगी।

7– जांच और प्रतिवेदनः–

(1) खनन पट्टे हेतु आवेदित क्षेत्र के स्थलीय जांच, अभिलेखों की जांच, खनिजों के प्रकार एवं मात्रा का आंकलन, सीमांकन आदि हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगाः–

1.	उप जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष।
2.	सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल खनन क्षेत्रों हेतु)	–	सदस्य।
3.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य।
4.	जिला खान अधिकारी	–	सदस्य सचिव।

परन्तु उक्तानुसार गठित समिति में उप जिलाधिकारी की उपलब्धता न होने की स्थिति में नियमावली के नियम–66 के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार उक्त समिति की अध्यक्षता करेंगे।

(2) जिला खान अधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर 01 माह के भीतर गठित समिति से स्थलीय जांच/निरीक्षणोपरान्त निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी, तदोपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित किया जायेगा।

8– खनन पट्टे की स्वीकृतिः–

(क) शासन द्वारा इस नियमावली के उपबंधो के अधीन रहते हुये नदी तल/नदी तल से लगी भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर उपलब्ध खनन पट्टे के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है अथवा आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग के लिये, उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) के खनन पट्टे की दशा में 06 माह की अवधि के लिए एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे की दशा में 01 वर्ष की अवधि के लिये, जैसा उचित हो, खनन पट्टा हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियों की प्राप्ति हेतु जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत/स्वीकृत किया जायेगा।

(ख) खनन पट्टे हेतु निर्गत आशय पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तो यथा खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियां प्राप्त हो जाने के उपरान्त महानिदेशक की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।

9– कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकारः–

1. जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक ही भूमि के सम्बन्ध में खनन पट्टे के लिए आवेदन किया हो, वहां उस प्रार्थी को जिसका प्रार्थना पत्र अपेक्षाकृत पहले प्राप्त हुआ हो, उस आवेदक से, जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ है, ऊपर पट्टा दिये जाने का अधिमानी अधिकार होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे प्रार्थना पत्र एक ही दिन प्राप्त हुये हों, वहां राज्य सरकार उपनियम–(2) में विर्निदिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात खनन पट्टा प्रार्थियों में से किसी एक ऐसे प्रार्थी को दे सकती है, जो वह उचित समझे।

2. उपनियम (1) में अभिदिष्ट बातेः–

(क) भू–स्वामी या भू–स्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोडकर अन्य आवेदक हेतु खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान अथवा अनुभव।

(ख) भू–स्वामी या भू–स्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोडकर अन्य आवेदन हेतु वित्तीय संशोधन उस खनन पट्टा क्षेत्र पर निर्धारित अपरिहार्य भाटक के दोगुना से कम नहीं होना चाहिए।

(ग) प्रार्थी द्वारा सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) की प्रकृति और गुणवत्ता।

(घ) किसी पूर्व पट्टे या अनुज्ञा पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने में और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा पत्र की शर्तो या उसके सम्बन्ध में किसी विधि के उपबंधों का पालन करने में प्रार्थी का आचरण, और

(ङ) खनिज आधारित उद्योग स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामियों को खनन पट्टा स्वीकृति में प्राथमिकता दी जायेगी, और

(च) नियमावली के नियम–69 के अन्तर्गत चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों मे खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय–2 के अनुसार दिये जाने मे प्राथमिकता दी जायेगी।

(छ) ऐसी अन्य बातें, जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाय।

3. उपनियम (2) में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रखते हुये सरकार किन्ही विशेष कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे प्रार्थी को, जिसका प्रार्थना पत्र पहले प्राप्त हुआ हो, अधिमान में, किसी ऐसे प्रार्थी को, जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ हो, पट्टा दे सकती है।

10– खनन पट्टे की अवधि :–

(1) नदी तल अवस्थित राजस्व/वन भूमि के खनन क्षेत्रों में 05 है0 क्षेत्रफल तक 05 वर्ष की अवधि हेतु, 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल में 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें वर्षा ऋतु के तीन माह (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) सम्मिलित होंगे, परन्तु उक्त अवधि में खनन/चुगान कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

(2) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टे अधिकतम 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे।

(3) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के ऐसे उपखनिज, जो निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होंगे यथा स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर के 5.00 है0 क्षेत्रफल तक के खनन पट्टे अधिकतम 10 वर्ष तक तथा 5.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे अधिकतम 15 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे, परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो

वह ऐसे स्वस्थानें (In-situ) उपखनिजों के सम्बन्ध में उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, 20 (बीस) वर्ष से अधिक किन्तु 25 (पच्चीस) वर्ष से अधिक न हो, की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने की अनुमति दे सकती है।

11– पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण/सीमांकन :–

(1) जब खनन पट्टा दिया जाय तो निदेशक द्वारा पट्टे पर दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का प्रबन्ध किया जायेगा, जिसके लिये पट्टेदार से निम्नलिखित दर से प्रभार लिया जायेगाः–

राज्य के समस्त खनन पट्टा क्षेत्र में:–

(1) 05 है0 क्षेत्र तक के लिये रू0 5000.00

(2) 05 है0 क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के लिए प्रति है0 तक रू0 1000.00 की दर से अतिरिक्त।

(2) पट्टेदार, उसे पट्टा दिये जाने के पश्चात ट्रेजरी चालान या ई–चालान पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से सीमांकन प्रभार देगा और पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित एक मानचित्र सम्बन्धित जिला खान अधिकारी को या प्राधिकृत अधिकारी को, जिसे महानिदेशक/निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, प्रस्तुत करेगा। जिला खान अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी प्रमाणित मानचित्र प्राप्त होने और सन्तुष्ट होने पर कि सीमांकन प्रभार जमा कर दिया गया है, ऐसी प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन कर देगा।

(3) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी, क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनार्थ जिले के राजस्व और वन विभाग के ऐसे अधिकारी की सहायता ले सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।

(4) यदि क्षेत्र के सीमांकन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामला निदेशक को अभिदिष्ट कर दिया जायेगा, जो पक्षकारों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात मामले का विनिश्चिय करेगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

12– प्रतिभूति जमा :–

(1) नियम 13 में अभिदिष्ट विलेख के निष्पादन के पूर्व खनन पट्टे का प्रार्थी पट्टे के निबन्धनों और शर्तों के उचित पालन के लिये उपखनिज रेता, बजरी, बोल्डर आदि पट्टाकृत क्षेत्र की वार्षिक पट्टा धनराशि के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के रूप मे एफ0डी0आर0 जमा करेगा, जोकि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बंधक होगी।

(2) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के पट्टाकृत क्षेत्र के लिए 05 है0 तक क्षेत्रफल के लिये रू0 25,000/– तथा 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के लिये रू0 50,000/– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पक्ष में एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक की जानी होगी।

13— पट्टा विलेख का निष्पादन :—

(1) राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक पट्टा धनराशि का पच्चीस प्रतिशत प्रतिभूति धनराशि एफ0डी0आर0, जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बन्धक हो, जमा किया जायेगा तथा तदोपरान्त जिला उपनिबन्धक द्वारा सूचित स्टाम्प शुल्क के आधार पर पट्टाविलेख निर्धारित प्रारूप प्रपत्र एम0एम0–3 में तैयार कराकर पट्टा विलेख (नदी तल क्षेत्र हेतु) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा स्वीकृति के 01 माह के भीतर निष्पादित किया जायेगा एवं नदी तल से भिन्न क्षेत्र हेतु महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृति के 01 माह के भीतर निष्पादित किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला उपनिबन्धक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख के पंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक–एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक उक्त उप नियम के अधीन विलेख निष्पादित किये जाने के उपरान्त उपनिबन्धक द्वारा पंजीकरण किये जाने का दिनांक होगा।

(3) पट्टा विलेख में निर्धारित वार्षिक पट्टा धनराशि का भुगतान पट्टेदार के द्वारा 09 समान मासिक किश्तों (माह जुलाई से माह सितम्बर तक की अवधि को छोड़कर) में निर्धारित तिथि से पूर्व किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक आगामी माह की किस्त अग्रिम रूप से जमा की जायेगी।

(4) राजस्व व वन भूमि क्षेत्रों में निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा/नवीनीकरण के उपरान्त एक माह के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के साथ हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य होगा तथा एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उपखनिज का चुगान/खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

14—पट्टे का समर्पण :—

कोई भी पट्टेदार राज्य सरकार को खनन पट्टा समर्पण करने हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी कार्यालय में लिखित प्रार्थना पत्र देने की दिनांक से अग्रिम तीन माह की पट्टा धनराशि जमा करने के उपरान्त जिलाधिकारी एवं निदेशक/महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टा समर्पण स्वीकार किया जायेगा।

15—पट्टे का संक्रमण (Transfer):—

(1) पट्टेदार :—

(क) पट्टेदार किसी खनन पट्टे को उसमें किसी अधिकार, स्वत्व या हित को न तो अभ्यर्पित करेगा, न शिकमी पर देगा, न बंधक रखेगा, न किसी अन्य रीति से उसका संक्रमण (Transfer) करेगा।

(ख) न तो कोई प्रबंध, संविदा या समझौता करेगा, जिसके द्वारा पट्टेदार पर्याप्त मात्रा में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा वित पोषित किया जा

सकता है या जिससें खनन संक्रियायें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जैसा राज्य सरकार द्वारा आरोपित की जाए, खनन पट्टे या उसमें किसी अधिकार, स्वत्व या हित को राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी वित्त निगम अथवा भारतीय बैक अधिनियम, 1934 की धारा (2) के खण्ड (क) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों या अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट किसी बैंक को बंधक कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को बिना भूस्वामी की सहमति के, परन्तु यह कि सम्बन्धित भूस्वामी की भूमि में खनन कार्य करने से पूर्व सहमति लिया जाना आवश्यक होगा, अभ्यर्पित या संक्रमण (Transfer) कर सकता है या फर्म के पार्टनर को जोडा या घटाया जा सकता है, जिसके लिए निम्नानुसार शुल्क देय होगाः–

1. खनन पट्टा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के नाम संक्रमण (Transfer) हेतु शुल्क – रू0 2.00 लाख 05 है0 तक तथा 05 है0 से अधिक हेतु रू0 5.00 लाख।
2. फर्म के मामलें में भागीदार का नाम जोडने एवं घटाने हेतु शुल्क – रू0 2.00 लाख।

(2) यदि राज्य सरकार की राय में पट्टेदार ने खनन पट्टे या उसमे किसी अधिकार स्वत्व या हित को अभ्यर्पण, शिकमी, बंधक द्वारा या किसी अन्य रीति से किसी को संक्रमित कर दिया है या फर्म के मामले में भागीदार का नाम जोड एवं घटा दिया गया है या राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई प्रतिबन्ध, संविदा या समझौता करा लिया है या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट किसी शर्त या निबन्धन का उल्लधंन किया है तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय ऐसे पट्टे को समाप्त कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई आदेश, पट्टेदार को अपना मामला बताने के लिये युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

(3) निजी नाप भूमि के पट्टाधारक की मृत्यु होने पर बिना भू–स्वामियों की सहमति के तथा निजी नाप से भिन्न भूमि के खनन पट्टाधारक की मृत्यु होने पर पट्टे की अवशेष अवधि तक पट्टाधारक के विधिक वारिस को पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अनुपूरक पट्टा विलेख के माध्यम से किया जायेगा।

16– निगमों/अन्य ठेकेदार/निविदाकार द्वारा खनन/चुगान कार्यः–

1. नदीतल में अवस्थित वन भूमि उपखनिज क्षेत्रों का आवंटन उत्तराखण्ड वन विकास निगम, राजस्व क्षेत्र में अवस्थित खनन लॉटों को गढवाल मण्डल क्षेत्रान्तर्गत गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 एंव कुमाऊ मण्डल क्षेत्रान्तर्गत कुमाऊ मण्डल विकास निगम लि0 के पक्ष में उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नियमानुसार आवेदन किये जाने पर नियमावली के अध्याय–2 के प्रावधानानुसार स्वीकृत किया जायेगा। निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन लॉटों में खनन/चुगान कार्य निगमों के द्वारा स्वयं किया जायेगा। यदि निगमों के द्वारा स्वयं चुगान/खनन कार्य नही किया जाता है, तो निगमों द्वारा चुगान का कार्य ई–नीलामी द्वारा चयनित व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी के माध्यम से कराया जायेगा।

परन्तु यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता हो कि निगमों के द्वारा किये जा रहे खनन/चुगान कार्य से राजस्व क्षति हो रही है तो ऐसी दशा में राज्य सरकार निगमों को आवंटित समस्त अथवा किसी खनन पट्टे को वापस लेकर नियम–69 के अन्तर्गत सफल निविदाकार/ठेकेदार को नियमावली के अध्याय–2 के अनुसार आवंटित किया जा सकता है।

2. राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी राय हो, तो विकास एवं राष्ट्रहित में लिखित आज्ञा द्वारा निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन लॉटों के किसी भाग/गेट से उपखनिजों की आपूर्ति राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं यथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रेल विकास निगम लि0 (आर0वी0एन0एल0), डी0जी0बी0आर0(ग्रेफ), बी0आर0ओ0, एन0टी0पी0सी0, यू0जे0वी0एन0एल0, एन0एच0पी0सी0 आदि को किये जाने हेतु निर्देश दिये जाने पर निगमों के द्वारा उक्तानुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उपखनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

17– रजिस्टर :– जिला खान अधिकारी के कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टर रखे जायेंगे:–

(क) प्रपत्र एम0एम0 2 में खनन पट्टो के लिये प्रार्थना–पत्रों का रजिस्टर, और

(ख) प्रपत्र एम0एम0 4 में खनन पट्टो का रजिस्टर।

अध्याय –3

स्वामित्व (रायल्टी) और अपरिहार्य भाटक का भुगतान

18– स्वामित्व :–

(1) इस नियमावली के लागू होने के दिनांक को या उसके पश्चात दिये गये खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे खनिज़ के सम्बन्ध में जिसे उक्त पट्टे पर दिये गये क्षेत्र हेतु उपखनिज की मात्रा निर्धारित की गयी हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर उक्त निर्धारित मात्रा के सापेक्ष अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा, परन्तु स्वस्थानें चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के खनन पट्टे का धारक किसी ऐसे प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में जिसे उसने पट्टे पर दिये गये क्षेत्र से निकाला हो, इस नियमावाली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा।

(2) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी खनिज के स्वामित्व (royalty) की दर को ऐसे दिनांक से जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाये, शामिल करने से बहिष्कृत करने अथवा बढाने या घटाने के लिये प्रथम अनुसूची को संशोधित कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी खनिज के सम्बन्ध में स्वामित्व की दर को तीन वर्ष की किसी अवधि में एक बार से अधिक नही बढायेगी और स्वामित्व की दर को खनिमुख मूल्य (Pits mouth value) के 20 प्रतिशत से अधिक पर निश्चित नही करेगा।

(3) यदि खनिज के खनिमुख मूल्य पर स्वामित्व लिया जाने वाला हो तो राज्य सरकार ऐसे मूल्य का निर्धारण पट्टा देते समय कर सकती है और स्वामित्व की दर पट्टा विलेख में उल्लिखित की

जायेगी। राज्य–सरकार वर्ष में अधिक से अधिक एक बार खनिमुख मूल्य का पुनः निर्धारण कर सकेगी, यदि वह इसको बढाया जाना आवश्यक समझे।

19– अपरिहार्य भाटक–

खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि जिसमें अपरिहार्य कारणवश (मा० न्यायालयों/एन०जी०टी० के आदेशों, केन्द्र/राज्य सरकार के शासनादेशों, महानिदेशक/निदेशक के आदेशों/जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में) खनन/चुगान में असमर्थ रहता है, जिसमें पट्टाधारक की कोई गलती न हो, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा किये जाने पर उक्त बाधित अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को प्रदान की जा सकेगी, जिस पर रायल्टी की देयता तत्समय निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी परन्तु यदि पट्टाधारक उक्तानुसार प्रदत्त अवधि लेने से इन्कार करता है तो पट्टाधारक बाधित अवधि हेतु आंगणित अपरिहार्य भाटक के रूप में, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जायें। अपरिहार्य भाटक का आंगणन सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

परन्तु स्वस्थानिक चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के सम्बन्ध में पट्टेदार अपरिहार्य भाटक या पट्टा धनराशि दोनों में से जो भी अधिक हो का देनदार होगा, किन्तु दोनों का नहीं। यदि पट्टा क्षेत्र में एक से अधिक खनिज निकालने की अनुमति है तो ऐसे प्रत्येक खनिज के लिए उक्त अपरिहार्य भाटक का भुगतान पृथक–पृथक रूप से किया जायेगा।

अध्याय –4
नीलामी–पट्टा

20–ई–नीलामी में पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा :–

(1) महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे नदी तल राजस्व/वन क्षेत्रों में अवस्थित उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर, आर०बी०एम० एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थाने (In-Situ) चट्टान किस्म के उपखनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलामी या ई–निविदा/ई–निलामी पट्टे पर दिया जा सकेगा, घोषणा कर सकेगी।

(क) नदी तल एवं नदी तल से भिन्न निजी नाप भूमि में उपलब्ध उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर, आर०बी०एम० एवं स्वस्थाने चट्टान किस्म के उपखनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिजों के खनन/चुगान के पट्टो का आवंटन नियमावली के अध्याय–2 के नियमानुसार किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा नदी तल अवस्थित 05 है० क्षेत्रफल तक के उपखनिजों के चुगान/खनन पट्टा 05 वर्ष की अवधि एवं 05 है० से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिज के खनन पट्टे

अधिकतम 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना पट्टाविलेख निष्पादन के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी। नदीतल स्थित राजस्व भूमि/वन भूमि एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि के 5.0 है0 तक के खनन पट्टे राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों एवं 5.0 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे भारत के नागरिक/नागरिकों की समितियों/फर्म/ कम्पनियों को स्वीकृत किये जायेंगे।

(3) उप नियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की घोषणा किये जाने पर, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, जिसके या जिनके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी हो, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकेगा।

(4) उप नियम (1) के अधीन नदी तल राजस्व/वन भूमि खनन क्षेत्र या क्षेत्रों को घोषित किये जाने से पूर्व उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति यथा राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल क्षेत्रों हेतु), वन विभाग, खनन विभाग या अन्य कोई विभाग आवश्यक हो, के द्वारा उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सीमांकन जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स सहित, निक्षेपित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं पहुंच मार्ग की उपलब्धता आदि का निर्धारण कर आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी एवं जिलाधिकारी के द्वारा उक्तानुसार गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को ई–नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

परन्तु राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थानें चट्टान किस्म के उपखनिज सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज क्षेत्रो का चिन्हीकरण संयुक्त निदेशक, भूविज्ञान के पर्यवेक्षण में विभागीय गठित भूवैज्ञानिक दल के द्वारा या बाह्य स्रोत से किया जायेगा। उक्त चिन्हित क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन हेतु उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा नामित भूवैज्ञानिक/सहायक, भूवैज्ञानिक सदस्य होंगे। उक्त समिति चिन्हित खनिज क्षेत्रों की स्थलीय निरीक्षण आख्या मय खसरा खतौनी, मानचित्र आदि अभिलेखो सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को ई–नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

21–ई–नीलामी में से क्षेत्र का वापिस लिया जाना :–

राज्य सरकार घोषणा द्वारा नियम 20 के उप नियम (1) के अधीन घोषित किसी क्षेत्र या क्षेत्रों या उसके किसी भाग को निर्दिष्ट पट्टे पर देने की किसी प्रथा से वापस ले सकेगी और घोषणा में विनिर्दिष्ट वापसी दिनांक से, जो इस आध्याय के अधीन दिये गये पट्टे की साधारण अवधि के दौरान वापसी का दिनांक न होगा, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू होंगे।

22–ई–नीलामी के लिये घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर :–

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियम 20 के उप नियम (1) के अधीन क्षेत्रों का एक रजिस्टर प्रपत्र एम.एम. 5 में रखवायेगा।

23–पट्टे के देने पर निर्बन्धन :–

1. ऐसे व्यक्ति को नीलामी/निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा/ई–निविदा सह ई–नीलामी की बोली बोलने या पट्टे के लिये निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी:–
   i. जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।
   ii. जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया हो।
   iii. जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त न किया हो।
   iv. जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
   v. जो व्यक्ति/फर्म/कम्पनी किसी भी राज्य में नियत तिथि (जिस तिथि को निविदा प्रकिया में भाग लिया जायेगा) को ब्लैक लिस्टेड/डिबार्ड न हो, का शपथ पत्र निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रस्तुत न किया हो।
   vi. ऐसी फर्म एवं कम्पनी के मामले, जिसने पेन कार्ड, जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण, फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/मेमोरेण्डम आफ आर्टीकल की प्रति प्रस्तुत न की हो।

2. प्रतिभागी बोलीदाताओ द्वारा बोली की धनराशि उतनी ही बोली जायेगी जिसका वह भुगतान करने मे सक्षम हों, निविदा की कार्यवाही को प्रभावित करने के उद्देश्य से बोली गयी उच्चतर धनराशि के अनुसार उक्त धनराशि जमा न कराये जाने पर सम्बन्धित बोलीदाता के द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए सफल बोलीदाता को राज्य में खनन लॉटों की निविदाओं/खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा/भण्डारण अनुज्ञा/स्टोन क्रेशर अनुज्ञा/स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा प्राप्ति हेतु 01 वर्ष की अवधि हेतु प्रतिबन्धित करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।

3. व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी आदि को विभाग द्वारा खनन पट्टे की आंगणित अधिकतम आधार मूल्य के शत–प्रतिशत हैसियत के अनुरूप ही खनन पट्टा/पट्टे आवंटित किये जा सकेंगे यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत हैसियत उसके सफल हुये खनन पट्टों के आधार मूल्य से कम पायी जाती है तो सफल घोषित खनन पट्टे एवं अन्य सफल घोषित खनन पट्टों के लिए उसकी अर्हता समाप्त कर दी जायेगी।

24– ई–नीलामी की प्रक्रिया :–

1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल राजस्व/वन भूमि क्षेत्रो एवं नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में नियम–20(1) के अधीन चिन्हित उप खनिज लाटों को निजी व्यक्तियों/निजी व्यक्तियों की कॉपरेटिव समिति/फर्म/कम्पनी को परिहार पर स्वीकृत करने की प्रकिया ऑनलाईन ई–नीलामी के माध्यम से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानानुसार तकनीकी निविदा (Technical Bid) एवं वित्तीय निविदा (Financial Bid) पर आधारित होगी, जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की कार्यवाही uktenders.gov.in पर की जायेगी।

i. तकनीकी निविदा (Technical Bid) हेतु आवश्यक अभिलेखः–

(एक) आवेदक का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण पत्र की प्रति तथा कॉपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति।

(दो) स्थायी निवास प्रमाण–पत्र।

(तीन) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, समिति के मामलों में समिति के अध्यक्ष/सचिव का चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में सभी भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र एवं कम्पनी के मामले में इस आशय का शपथ पत्र कि कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

(चार) आवेदक के पैनकार्ड की प्रति।

(पांच) आवेदक के जी.एस.टी. नं0 की प्रति।

(छः) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई–नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक व शाखा नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा एक निरस्त चैक की प्रति।

(सात) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन अदेयता प्रमाण पत्र। जहां आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता हो, वहां इस आशय के शपथ पत्र की प्रति।

(आठ) कोपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में कॉपी ऑफ रेज्यूलेशन के समस्त पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति। भागीदारी फर्म के सम्बन्ध में भागीदारी विलेख एवं फर्म के पंजीकरण, कम्पनी के मामले में आर्टिकल आफ एसोशियेशन की प्रति।

(नौ) किसी भी राज्य मे खनन संक्रियाओं की काली सूची में न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।

(दस) आवेदक व उसके परिवार के विरूद्ध खनन देयता होने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(ग्यारह) ई–नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु आवश्यक अन्य अभिलेख, शुल्क एंव धनराशि आदिः–

शुल्कः–ई–नीलामी में इच्छुक प्रतिभागी द्वारा नदी तल राजस्व/वन क्षेत्र खनन लॉट हेतु आवेदन रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) एवं नदी तल से भिन्न राजस्व एवं वन भूमि के स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिजों हेतु आवेदन शुल्क 05 है0 क्षेत्रफल तक हेतु रू0 2.00 लाख तथा 5.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल हेतु रू0 5.00 लाख विभागीय पेमेंट गेटवे अथवा ट्रेजरी चालान जैसा कि महानिदेशक/निदेशक द्वारा तत्समय निर्देशित किया जाये, के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराकर चालान/रसीद की स्कैन प्रति तकनीकी निविदा के साथ तथा मूल प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म

विभाग के जनपद कार्यालय में जमा करायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। निर्धारित शुल्क विज्ञप्ति में प्रकाशित खनन लॉटवार पृथक–पृथक जमा किया जाना होगा।

1. धरोहर राशि (Earnest Money): किसी क्षेत्र के ई–नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने हेतु Earnest Money जमा करना अनिवार्य होगा, जो निविदित क्षेत्र के आधार मूल्य का 25 प्रतिशत होगी। धरोहर राशि (Earnest Money) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करायी जायेगी, जो निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय के नाम एक वर्ष (01 वर्ष) की अवधि हेतु बन्धक की जायेगी तथा उक्त की छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड की जायेगी तथा मूलप्रति तकनीकी निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि से पूर्व मुख्यालय में जमा करायी जानी आवश्यक होगी। धरोहर राशि की मूल प्रति मुख्यालय मे जमा न किये जाने की दशा मे ऐसे आवेदन तकनीकी रूप से ग्राह्य नही होंगे।

आवेदक द्वारा धरोहर राशि के लिये स्वयं के खाते से ही एफ0डी0आर0 बनवायी जानी होगी।

किसी उपखनिज लॉट के लिए विज्ञापन की पुनरावृत्ति होने पर धरोहर राशि के रूप में जमा एफ0डी0आर0 की वैधता की अवधि को अद्यतन किये जाने का दायित्व आवेदक का होगा। पूर्व में जमा एफ0डी0आर0 यदि कालातीत हो जाता है, तो ऐसा प्रतिभागी निविदाकार तत्समय प्रचलित ई–नीलामी प्रक्रिया हेतु वैध नही माने जायेंगे व ऐसे आवेदकों के आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

तकनीकी निविदा मे सफल निविदादाताओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि के रूप मे जमा की गयी एफ0डी0आर0 वापस कर दी जायेगी।

3. हैसियत प्रमाण पत्रः– जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गयी हैसियत प्रमाण पत्र या सम्पत्ति प्रमाण–पत्र या समाशोधन क्षमता प्रमाण–पत्र (Solvency Certificate) जो आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य से कम न हो।

या

यदि हैसियत प्रमाण–पत्र अद्यतन न हो तो इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण–पत्र की तिथि से अद्यतन) नीलामी बोलीदाता के द्वारा संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है।

या

हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य के बराबर की धनराशि का एफ0डी0आर0 (राष्ट्रीयकृत बैंको से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि के) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के नाम बंधक होगे, जमा कराये जा सकेगे।

या

आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य से यदि हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि कम है तो उक्त धनराशि के बराबर की धनराशि का एफ.डी.आर. (राष्ट्रीयकृत बैंको से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि के) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के नाम बंधक होगे, जमा कराये जा सकेंगे।

25— ई—नीलामी द्वारा पट्टा दिया जाना:—

1. वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एंव सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच—1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Monery) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0—1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए उनके विरूद्ध नियम—23(2) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच—2 बोलीदाता को एच—1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया कोटीकम में H3 तक अपनाई जायेगी। एच—3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्तानुसार अनुपालन न किये जाने की दशा में ई—नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई—नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

2. सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं उच्चतम बोली धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि, प्रतिभूति धनराशि (Security Money) जमा कराये जाने पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के द्वारा सम्बन्धित के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु नदी तल उपखनिज क्षेत्रों हेतु 06 (छः) माह की अवधि का एवं नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि के स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिजों हेतु 01 वर्ष की अवधि (जिसमें 06 माह की अवधि आवेदक के द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग कार्य कराये जाने हेतु सम्मिलित है) का "आशय पत्र (Letter of Intent)" निर्गत किया जायेगा। निर्धारित समयवधि में आशयपत्र की अनुपालना न किये जाने पर आशयपत्र धारक के द्वारा आशय पत्र की अनुपालना में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में संतोषजनक कारण साक्ष्य सहित प्रस्तुत किये जाने पर आशय पत्र का अग्रेत्तर 06 माह की अवधि हेतु नवीनीकरण महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा किया जायेगा।

परन्तु आशय पत्र धारक के द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र मे उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा मे सम्बन्धित आशय पत्र धारक से उच्चतम बोली का 05 प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त वसूल की जायेगी।

3. आशयपत्र धारक द्वारा विभाग में पंजीकृत आर0क्यू0पी0 से खनन योजना तैयार कराकर तथा शुल्क रू0 50,000/— निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करते हुए संबंधित जनपद के जिला खान अधिकारी

कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त खनन योजना को परीक्षण व सत्यापन के उपरान्त संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रेषित किया जायेगा तथा तद्नुसार निदेशक द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।

4. आशयपत्र धारक के द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance), स्वीकृत क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्क/सेन्चुरी के 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थित होने की दशा में एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (National Board of Wild Life) की अनुमति एवं वन भूमि होने पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण संबंधी अनुमति (Forest Clearance), नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवस्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में प्रोस्पेक्टिंग रिर्पोट एवं अन्य वांछित अनुमतियां व मानक, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें, प्राप्त की जायेगी।

5. शासन, मा0 न्यायालयों एंव मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।

6. सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।

7. आशयपत्र धारक के अलावा वित्तीय निविदा के अन्य प्रतिभागियों (जब्त सुदा को छोडकर) की प्री-बीड अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जायेगी।

8. आशयपत्र में उल्लिखित समस्त अपैचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरान्त आशयपत्र धारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यालय में जमा कराया जायेगा तथा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ऑनलाइन/ऑफलाइन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।

9. अन्य मानक व शर्ते, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय, लागू होंगी।

26- पट्टा विलेख का निष्पादन :-

1. राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक नीलामी पट्टा धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष पूर्व में प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में जमा एफ0डी0आर0 को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में वार्षिक पट्टा धनराशि के सापेक्ष किया जायेगा। नदी तल अवस्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में महानिदेशक द्वारा जिला उपनिबन्धक द्वारा सूचित स्टाम्प शुल्क के आधार पर पट्टा विलेख निर्धारित प्रपत्र एम0एम0-6 में निष्पादित किया जायेगा एवं नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थानें किस्म के उपखनिजों का पट्टा विलेख महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा निष्पादित किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला उपनिबन्धक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख के पंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक-एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।

2. पट्टे की अवधि की संगणनाः— स्वीकृत खनन/चुगान पट्टों की पट्टावधि की संगणना पट्टा विलेख निष्पादन के उपरान्त पंजीकरण की तिथि से नदीतल स्थित राजस्व/वन भूमि में अवस्थित उपखनिजों के खनन पट्टों हेतु अग्रेत्तर 05 वर्ष की अवधि एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये तथा स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिज के खनन क्षेत्र हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे।

परन्तु पूर्व के ई–निविदा सह ई–नीलामी से स्वीकृत ऐसे खनन पट्टे, जिनकी पट्टावधि की गणना आशय पत्र (Letter of Intent) की तिथि से की गयी है, की पट्टावधि की गणना पट्टा विलेख के निष्पादन के पंजीकरण की तिथि से अग्रेत्तर 05 वर्ष हेतु की जायेगी। उक्त प्राविधान मात्र उन खनन पट्टों पर ही लागू होगा, जिनकी समयावधि दिनांक 31.12.2023 तक अवशेष है।

3. पूर्व में ई–निविदा सह ई–नीलामी से स्वीकृत खनन पट्टों हेतु सफल निविदादाता धनराशि (ई–नीलामी बोली का 10 प्रतिशत) एवं प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि (ई–नीलामी बोली का 10 प्रतिशत) एवं आशयपत्र के अग्रेत्तर वर्ष के नवीनीकरण हेतु जमा 20 प्रतिशत धनराशि को उक्त खनन पट्टों की अग्रेत्तर वर्षों की पट्टा धनराशि के सापेक्ष समायोजित किया जा सकेगा।

4. यदि नदी तल स्थित राजस्व/वन भूमि में बालू या मौरंग या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली–जुली अवस्था में हो, के लिये खनन पट्टा दिये जाने के आदेश दे दिया हो, वहां उच्च बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, आदेश के दिनांक के सात दिन के भीतर या सात दिन से अनधिक ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर जैसी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय अनुमति करें, जमा कर दी जायेगी और प्रपत्र एम0एम0–6 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में, जैसा प्रत्येक मामले के परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, एक पट्टा विलेख उक्त आदेश की संसूचना के दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय तदर्थ अनुमति करें, निष्पादित कर दिया जायेगा।

परन्तु यदि नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिजों सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के लिये खनन पट्टा दिये जाने के आदेश दे दिया हो, वहां उच्च बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, आदेश के दिनांक के सात दिन के भीतर या सात दिन से अनधिक ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी राज्य सरकार/शासन अनुमति करें जमा कर दी जायेगी और प्रपत्र एम0एम0–6 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में, जैसा प्रत्येक मामले के परिस्थितियों द्वारा आपेक्षित हो, एक पट्टा विलेख उक्त आदेश के संसूचना की दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी जैसी राज्य सरकार/शासन तदर्थ अनुमति करें, निष्पादित कर दिया जायेगा।

27. पट्टा का रजिस्टर :

1. खनन पट्टों का एक रजिस्टर जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के कार्यालय में प्रपत्र एम0एम0–7 में रखा जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि जिला खान अधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को भेजी जायेगी।

अध्याय –5
खनन पट्टे की शर्ते

28– इस अध्याय में उल्लिखित शर्ते सभी पट्टो में लागू होगी :

(1) प्रत्येक खनन पट्टा इस अध्याय में उल्लिखित शर्तो के अधीन होगा, जिन्हे इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे में समाविष्ट कर लिया गया समझा जायेगा।

29– अन्य खनिजों की खोज :

(1) पट्टेदार, पटटे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज की सूचना, जो पटटे में निर्दिष्ट न हो, राज्य सरकार को उक्त खोज के दिनांक से तीस दिन के भीतर देगा।

(2) यदि पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज का पता चल जाये, जो पट्टे में निर्दिष्ट न हो, तो पट्टेदार खनिज को तब तक लब्ध (win) और उसका निस्तारण नहीं करेगा, जब तक कि उसके लिये पृथक पट्टा न ले लिया जाये।

30– विदेशी राष्ट्रिक सेवायोजित नही किया जायेगा :–

राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पट्टेदार खनन संक्रियाओं के सम्बन्ध में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायुक्त नही करेगा, जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

31– खनन संक्रियाओं एक माह के भीतर प्रारम्भ होगी :–

(1) सिवाय उस दशा मे जब राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से अन्यथा अनुमति दे, पट्टेदार पट्टा विलेख के निष्पादन व उपनिबन्धक द्वारा विलेख के निबन्धन के दिनांक से एक माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ और तत्पश्चात जानबूझकर आंतरायनिक (इंटरमिशन) किये बिना ऐसी संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से तथा कुशल कारीगर की भांति करेगा।

(2) नदी तल उपखनिज क्षेत्रों एवं स्वस्थानें चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित योजना के अनुसार, जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्यौरा होगा, की जायेगी।

(3) उपनियम (2) में अभिदिष्ट खनन योजना खान और खनिज (विनियन और विकास) अधिनियम, 1957 कें अधीन बनाये गये खनिज रियायत नियमावली 1960 के उपबंधों के अन्तर्गत अर्हता रखने वाले भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में पंजीकृत आर0क्यू0पी0 (Registered Qualified Person) द्वारा तैयार की जायेगी।

(4) पट्टेदार आर0क्यू0पी0 द्वारा तैयार किये गये खनन योजना की 04 प्रतियां अनुमोदन हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा खनन योजना का परीक्षण एवं सत्यापन किये जाने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित की जायेगी। निदेशक के द्वारा खनन योजना की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर उसे अनुमोदित कर सकता है, उपान्तरित कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। नदी तल, नदी तल

से लगे क्षेत्रों में बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) से सम्बन्धित उपखनिज के खनन पट्टों एंव स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे की खनन योजना अनुमोदन हेतु शुल्क रू0 50,000/– देय होगा, जो कि निर्धारित विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(5) Registered Qualified personnel (RQP) के द्वारा खनन योजना में निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा तथा उक्त खनिज का तकनीकी एंव पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खनन संक्रियायें संचालित किये जाने की विधि का वर्णन निहित होगा। खनन योजना में खनन क्षेत्र के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स का वर्णन व जियोरैफरेनस्ड खसरा मानचित्र पर अंकन किया जाना होगा तथा खनन क्षेत्र में समाहित यथा स्थिति राजस्व भूमि व वन भूमि का क्षेत्रफल वार राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित वर्णन संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त खनन योजना में पांच सौ मीटर की परिधि में आने वाले सभी स्वीकृत खनन लॉटों, सार्वजनिक स्थलों, समीपस्थ पुलों को प्रदर्शित करता 1:10,000 का सैटेलाईट मानचित्र संलग्न करना होगा, जिसमें नदी की अद्यतन सीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित हो तथा नदी के दोनों किनारों से निर्धारित दूरी छोड़ते हुए चिन्हित किया गया खनन योग्य क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। किसी भी खनन क्षेत्र के कोनों के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स आवश्यक रूप से अभिलिखित होंगे व बडे खनन क्षेत्रों की दशा में प्रत्येक सौ मीटर की दूरी पर डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेटस अंकित किये जाने होंगे। राजस्व एंव सैटेलाईट मानिचत्र पर यथास्थिति राजस्व, वन भूमि एंव निजी नाप भूमि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना होगा। समस्त मानचित्रों की डिजिटल प्रति भी प्रेषित की जानी होगी।

(6) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे से सम्बन्धित अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग की अवधि समाप्त होने से 03 माह पूर्व तक स्कीम ऑफ माइनिंग निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी तथा यदि अनुमोदित अवधि व्यतीत हो गई हो तो उन खानों को तत्काल बन्द कर दिया जाये। जिला खान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी खदान खनन योजना अनुमोदन के बिना संचालित न हो।

(7) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टाधारकों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बैंक गारन्टी रू0 2.00 लाख (दो लाख) 5.00 है0 क्षेत्रफल तक के खनन पट्टों हेतु तथा 5.00 है0 से अधिक के खनन पट्टों हेतु रू0 5.00 लाख (रूपया पांच लाख) खनन योजना, खनन स्कीम एवं उत्तरोत्तर खान बन्दी योजना की शर्तों की अनुपालना लागू किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में 05 वर्ष की अवधि हेतु तैयार कर प्रस्तुत की जायेगी।

(8) स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत निरन्तर 02 वर्ष तक खनन कार्य बंद रहने की दशा में खनन पट्टा स्वतः समाप्त (Deemed to be lapsed) की श्रेणी में समझा जायेगा तथा ऐसे खनन पट्टाधारकों को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करते हुए जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

32— सीमा चिन्ह खड़ा करना और उसका अनुरक्षण :—

पट्टेदार पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन के पश्चात और पट्टा विलेख निष्पादित करने के पूर्व अपने स्वयं के व्यय पर ऐसा सीमा चिन्ह और खम्भे को लगायेगा, जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक हो और उनका सदैव अनुरक्षण करेगा और अच्छी दशा में रखेगा तथा प्रत्येक वर्षाकाल के उपरान्त क्षतिग्रस्त सीमास्तम्भों को पुनः स्थापित करेगा।

33— खनिजों का ठीक—ठीक लेखा रखना :—

पटटेदार खनिजों का ठीक—ठीक लेखा रखेगा, जिसमे वह खान (Mine) से प्राप्त तथा भेजे गये सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण देगा और साथ ही परिवहन की प्रणाली वाहन का निबन्ध (रजिस्ट्रेशन) संख्या, वाहन या पशु का प्रभारी व्यक्ति तथा ढोये गये खनिज का प्रकार और मात्रा, खनिज की सभी बिक्री के मूल्य तथा समस्त अन्य विवरण, उसमें सेवा युक्त व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रीयता तथा खान के पूरे नक्शे देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी समय उसके (पट्टेदार) द्वारा रखे गये किन्ही लेखों, नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण करने की अनुमति देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार को ऐसी समस्त सूचना तथा विवरणियां देगा, जो केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा उसमें से किसी के द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी अपेक्षा करे।

34— खाइयों, गडढों आदि का अभिलेख रखना :—

पट्टेदार, पट्टे के अधीन अपने द्वारा की गयी खनन संक्रियाओं के दौरान में अपने द्वारा खोदी गयी खाइयों, गडढों और बरमा में वनाये गये सूराखों (Drillings) का ठीक—ठीक अभिलेख रखेगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उनका निरीक्षण करने की अनुमति देगा। ऐसे अभिलेखों में निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्

(क) वह अधोभूमि (Sub soil) और भूगर्भ स्तर (strata), जिसमें होकर किसी ऐसी खाईयां गडढे खोदे जायें या बरमें से सूराख किये जाये।

(ख) कोई खनिज जो प्राप्त हो।

(ग) ऐसे अन्य विवरण, जिसकी केन्द्रीय या राज्य सरकार समय—समय पर अपेक्षा करे।

35— पट्टेदार द्वारा मजबूत करना, टेक आदि लगाना :—

पट्टेदार यथास्थिति संबद्व रेलवे प्रशासन या राज्य सरकार के संतोषानुसार खान के किसी ऐसे भाग को मजबूत करेगा और उसमें टेक लगायेगा (strength & support), जिसे ऐसे प्रशासन या सरकार की राय में किसी रेल, जलाशय (reservoir), नहर (canal), सडक (road) या किसी अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य या भवनों की सुरक्षा के लिये इस प्रकार मजबूत करना या उसमें टेक लगाना आवश्यक हो।

36— अग्रक्रयाधिकार (हकशक) :—

(1) राज्य सरकार को सदा ऐसी भूमि, जिसके सम्बन्ध में पट्टा दिया गया हो, से लब्ध खनिजों या खनिजों के उत्पादन का अग्रक्रयाधिकार (right of pre-emption) होगा, जिस मूल्य का भुगतान किया जायेगा, वह अग्रक्रयाधिकार के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य होगा।

(2) उक्त मूल्य निकालने में सहायता देने के लिये पट्टेदार यदि उस से ऐसी अपेक्षा की जाय तो राज्य सरकार को उसकी गोपनीय सूचना के लिये अन्य ग्राहको को बेचे गये ऐसे खनिजों या उनके उत्पादनों तथा उन्हे ढोने के लिये अधिकतर पत्रों का विवरण और मूल्य प्रस्तुत करेगा।

37–पट्टेदारों की स्वतंत्रता, अधिकार और विशेषाधिकार :–

नियम 38 में उल्लिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन रहते हुये, इस नियमावली के अधीन खनन पट्टा धारण करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित के सम्बन्ध में स्वतंत्रता अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होगा:–

(क) पट्टे में उल्लिखित भूमि पर प्रवेश करना और खनिज की खोज करना, उस खनिज को जिसके लिये पट्टा हो, वेधन करना (bore) उसे खोदना, उनमें बरमें द्वारा सुराग करना (drill) या उसे लब्ध करना, उस पर काम करना, उसका प्रशाधन (Dress) करना, उसकी प्रक्रिया करना, उसे बदलना, उसे ले जाना और उसका निस्तारण करना।

(ख) उक्त भूमि में कोई गडढा खोदना, कूपक (Shafts), ढाल (Inclines), पशुमार्ग (Drifts), समतल, जलमार्ग (Water ways) बनाना या अन्य निर्माण कार्य करना।

(ग) भूमि पर कोई मशीन, संयत्र स्थापित करना, प्रसाधन करना, फर्श बिछाना, भट्िया बनाना, ईट भट्टे लगाना, कर्मशालायें, माल गोदाम और उसी प्रकार के अन्य भवनों का निर्माण करना ।

(घ) उक्त भूमि पर सडक तथा अन्य रास्ते बनाना और उनका उपयोग करना और उन पर आवागमन करना। यदि स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई गूल/नाला/मार्ग के कारण खनन कार्य प्रभावित होता है तो स्वीकृत क्षेत्रांन्तर्गत ही उक्त स्थानों की प्रतिस्थानी व्यवस्था स्वयं के व्यय पर कर सकता है। स्वीकृत खनन क्षेत्र तक पहुंच मार्ग/कच्चा मार्ग का निर्माण राज्य सरकार की भूमि में अपने स्वयं के व्यय पर कर सकता है।

(ड) पत्थर खोदना (to quarry) और पत्थर की बजरी (stone gravel) तथा अन्य भवन और सडक सम्बन्धी सामान्य तथा मृदा तैयार करना और उसका उपयोग करना और ऐसे ईटों या खैपरैल निर्मित करना और ऐसी मृदा से ईटों या खपरैलों का प्रयोग करना, किन्तु ऐसे सामान ईट या खपरैलो (tiles) को बिना अनुमति न बेचना।

(च) उक्त भूमि की सतह पर पर्याप्त भाग का खानों के लिये किसी उत्पादन या किये गये कार्यों और औजारों (tools), सज्जा (equipment) मिट्टी तथा सामानों और खोदे गये या निकाले गये पदार्थो का संग्रहण या जमा करने के प्रयोजन के लिये उपयोग करना और

(छ) अन्य व्यक्तियों के वर्तमान अधिकारों के अधीन रहते हुये और नियम 38 के खण्ड (घ) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये झाड़ियॉ (under growth) और घनी झाडी को साफ करना तथा उक्त भूमि पर खडे या पाये गये वृक्षों या इमारती लकडी वृक्षों का गिराना और उसका उपयोग करना। बशर्ते जिला अधिकारी पट्टेदार को उसके (पट्टेदार) द्वारा गिराये गये और उपयोग में लाये गये किन्ही वृक्षों या इमारती लकडियों का उन दरों पर भुगतान करने के लिए कह सकता है, जो जिला अधिकारी द्वारा उनके बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की जाय।

38– पट्टेदार की स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्बन्धन एवं शर्तें :–

पट्टेदार नियम 37 में उल्लिखित स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुये करेगा :–

(क) निम्नलिखित स्थानों पर न कोई चीज खडी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियाओं की जायेगी।

(1) किसी सार्वजनिक स्थल, शमशान अथवा कब्रिस्तान या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने जाने वाला कोई स्थान या मकान अथवा ग्राम–स्थल, सार्वजनिक सडक या कोई अन्य स्थान, जो जिला अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान घोषित किया जाये

(2) ऐसी रीति से न तो कोई चीज खडी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियाये की जायेगी, जिससे किसी भवन निर्माण कार्य, सम्पत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति पहुचे अथवा उन पर प्रतिकूल प्रभाव पडे।

(ख) पट्टे में असम्मिलित निर्माण कार्यो या प्रयोजनों के निमित कोई ऐसी भूमि, सतह संक्रियाओं के लिये प्रयुक्त न की जायेगी, जो राज्य सरकार से भिन्न व्यक्तियों के दखल से पहले से ही हो।

(ग) किसी भी मार्ग, कुआं या तालाब का उपयोग करने के अधिकार पर हस्तक्षेप न किया जायेगा।

(घ) प्रभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना न तो किसी आरक्षित (reserved) सुरक्षित या निहित वन में प्रवेश किया जायेगा और न ही उक्त अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बिना और न ऐसी शर्तो के विपरीत, जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करे, किसी इमारती लकड़ी या वृक्षो को गिराया, काटा या उनका उपयोग किया जायेगा।

(ड) सम्बद्व रेलवे प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी रेलवे लाइन से या जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी जलाशय (reservoir), नहर या अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे सार्वजनिक सडकों या भवनों या निवासित स्थल (In-habited site) से और ऐसे अनुदेशों तथा शर्तो के विपरीत चाहे वे सामान्य या विशेष हो, जो ऐसी अनुमति में दी जाय, 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान (point) पर या किसी स्थल तक कोई खनन संक्रियायें न की जायेगी। रेलवे, जलाशय, नहर या सडक की दशा में 50 मीटर की उक्त दूरी, यथास्थिति, किनारे (bank) के बाहरी जिहवांग (toe) या कटाई (cutting) के बाहरी कोर (edge) से क्षितिजरूप (horizontally) से और भवन की दशा में उसकी कुर्सी (plinth) से क्षितिजरूप से मानी जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम सड़क की दशा में यह कटाई के बाहरी कोर से 10 मीटर होगी।

स्पष्टीकरण :– इस उप नियम के प्रयोजनो के लिये इस "सार्वजनिक सडक" का तात्पर्य ऐसी सडक से होगा जो कृत्रिम रूप से समतल किये जाने के पश्चात बनाई गई हो और जो निरन्तर प्रयोग के परिणामस्वरूप बने पथ (track) से भिन्न हो और ग्राम–सडक के अन्तर्गत कोई ऐसा पथ होगा, जो राजस्व अभिलेख में ग्राम–सडक के रूप में किया गया हो।

(च) किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो पट्टेदार द्वारा धृत भूमि में समाविष्ट हो या उससे आसन हो या उससे अभिगम्य हो, सरकारी पट्टे या अनुज्ञा–पत्र के वर्तमान या भावी धारकों को वहां आने–जाने की समुचित सुविधायें दी जायेंगी। यदि इस स्वतन्त्रता का प्रयोग करने के कारण ऐसे पट्टाधारियों या अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा कोई हानि या क्षति पहुचाई जाये तो ऐसे पट्टेदारों या अनुज्ञापत्रधारी द्वारा पट्टेदार को उसके लिये उचित प्रतिकर (जो परस्पर सहमति द्वारा तय हो असहमति होने की दशा में, जो सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्णित किया जाये) देय होगा। स्वस्थानें चट्टानों में पट्टाधारक एवं भू–स्वामी की आपसी सहमति से खनन कार्य किया जायेगा। यदि भू–स्वामी द्वारा एक बार किसी निश्चित अवधि के लिए खनन कार्य किये जाने की सहमति हेतु अनुबन्ध किया गया है तो उक्त अवधि में दी गयी सहमति को वापस नही ले सकेगा एवं अनुबन्ध के नवीनीकरण के समय पट्टाधारक एवं भू–स्वामी के मध्य सहमति नहीं बन पाती है तो ऐसी स्थिति में पट्टाधारक द्वारा भूस्वामी की सम्बन्धित भूमि को समतल कर फसली मुआवजा प्रतिवर्ष भूस्वामी को देना होगा ताकि खनन कार्य प्रभावित न हों। पट्टाधारक एवं भू–स्वामियों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी आर्बिटेटर होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा।

(छ) पट्टेदार के द्वारा नदी तल में स्वीकृत खनन क्षेत्रों में खनन/चुगान कार्य सतह से अधिकतम 03 मी0 की गहराई तक अथवा भू–जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

39– सभी दावों के विरूद्व पट्टेदार सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा :–

पट्टेदार सभी हानि या विक्षेप के लिये, जो पट्टे द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करने मे उसके द्वारा की गयी हो, भुगतान करने की प्रत्याभूति (guarantee) देगा और ऐसे समुचित प्रतिकर का भुगतान करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाये और उन सभी दावों, वादों तथा मांगों और उनके प्रति जो किसी ऐसी हानि, क्षति या विक्षोभ के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों द्वारा की जायेगी या लायी जाये और उनके सम्बन्ध में सभी परिव्ययों की राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा पूर्णतया क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

40– पट्टेदार गड्डो, कूपकों आदि को सुरक्षित और अच्छी दशा में रखेगा :–

पट्टेदार पट्टे की अवधि में ऐसे सभी गड्डो, कूपकों (shafts), और कार्यकारणों (workings) को, जो भूमि बनाये जाये या प्रयुक्त किये जाये, इमारती लकडी या अन्य स्थायी उपायों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा और राज्य सरकार के संतोषानुसार प्रत्येक ऐसे गड्डे, कूपक या कार्यकरण के चारों ओर, चाहे वह परित्यक्त कर दिया गया हो या नही, पर्याप्त रूप से बाड़े लगायेगा और उनका अनुरक्षण करेगा और उसी अवधि में भूमि पर के सभी कार्यकरणों को सिवाय उनके, जो परित्यक्त किये जाये, प्रवेश्य और यथासंभव जल एवं दूषित वायु से मुक्त रखेगा।

41–पट्टेदार, कार्यकरणों के निरीक्षण की अनुमति देगा :

पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को भू–गृह दिनांक से, जिसके अन्तर्गत पट्टे में समाविष्ट कोई भवन, उत्खनन या भूमि भी है, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करने और उसके नक्शे (plan) बनाने, न्यादर्शन (sampling) और कोई आधार सामग्री एकत्र करने के प्रयोजन के

लिए प्रवेश करने की अनुमति देगा और पट्टेदार ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के साथ, जो पट्टेदार द्वारा सेवायोजित किया गया हो तथा जो खानों और खनिकर्म से परिचित हो, उक्त अधिकारी, अभिकर्ताओं, सेवकों और कर्मचारी (workman) को प्रत्येक ऐसे निरीक्षण करने में प्रभावपूर्ण रूप से सहायता देगा और उन्हे खानों की कार्यप्रणाली (working) से संबंद्व सभी सुविधायें व सूचना देगा, जिनकी वे उचित रूप में अपेक्षा करें और ऐसी सभी आज्ञाओं तथा विनियमों के अनुसार कार्य भी करेगा और उनका पालन करेगा, जिन्हे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण के फलस्वरूप या अन्य प्रकार से समय–समय पर देना या बनाना उचित समझें।

42– पट्टेदार, दुर्घटना का प्रतिवेदन देगा :–

पट्टेदार अविलम्ब जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को प्रत्येक ऐसी दुर्घटना का प्रतिवेदन भेजेगा, जो पट्टे के अधीन किन्ही संक्रियाओं के दौरान हो जाये और जिसके कारण मृत्यु हो जाये या गंभीर शारीरिक चोट पहुचें या सम्पत्ति को गंभीर क्षति पहुचें या जिससे जीवन या सम्पत्ति पर गंभीर प्रभाव पडे या वह संकट में पड जाये।

43– पट्टेदार आधुनिक तौल मशीन एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा आदि की व्यवस्था करेगा :–

(क) पट्टाधारक के द्वारा चुगान/खनन पट्टा क्षेत्र के गेट पर कम्प्यूट्राईज्ड धर्मकांटा एवं वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वंय के व्यय पर 360 डिग्रीकोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य आधुनिक आई0पी0 बेस्ड सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चैक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चैक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0 आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बारकोड का डाटा पढ़ने व सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख–रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त के अनुपालन के सम्बन्ध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।

(ख) पट्टेदार/अनुज्ञापत्र धारक के द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के प्रवेश/निकासी गेट पर स्वीकृत खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा पट्टाधारक का नाम एवं पता, सम्पर्क/दूरभाष नम्बर, स्वीकृत क्षेत्रफल, स्वीकृति आदेश की संख्या एवं दिनांक, स्वीकृत पट्टावधि, खनिज का प्रकार, प्रतिवर्ष निकासी की स्वीकृत मात्रा एवं खनिमुख पर खनिज के विक्रय मूल्य की दर को प्रदर्शित करेगा।

44– उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमतिः

पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र मे खनन संक्रियाओं हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।

45– पट्टाधारक द्वारा पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance), वन अनापत्ति (यदि लागू हो), एन0बी0डब्लु0एल0 की अनुमति (यदि लागू हो),

खनन योजना में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों, मा0 न्यायालयों, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/दिशा–निर्देशों के अधीन खनन संक्रियायें सम्पादित की जायेंगी।

46– पट्टेदार कोई भी अतिरिक्त आवश्यक धनराशि जमा करेगा :

जब कभी प्रतिभूति जमा या कोई भाग या उसकी पूर्ति में राज्य सरकार के पास जमा की गई कोई अतिरिक्त धनराशि इस नियमावली द्वारा दिये गये अधिकार के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जाये या प्रस्तुत की जाये, तो पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और धनराशि जमा करेगा, जो ऐसी जब्ती या प्रयुक्ति के कारण हुई कमी को पूरा करने के लिये आवश्यक हो।

47–सरकार द्वारा किये गये व्ययों की वसूली :–

यदि कोई निर्माण या विषय, जो इस नियमावली के अनुसार पट्टेदार द्वारा कार्यान्वित या संपादित किये जाने वाले हो, तदर्थ निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यान्वित या संपादित करा सकती है और पट्टेदार के मांगने पर राज्य सरकार को उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किये गये सभी व्ययों का भुगतान करेगा। ऐसे व्ययों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

48– जमा प्रतिभूति को वापस किया जाना :–

खनन पट्टे की समाप्ति के पश्चात राज्य सरकार के पास जमा पडी हुई प्रतिभूति की धनराशि जो इस नियमावली में उल्लिखित किन्ही भी प्रयोजनों में प्रयुक्त किये जाने के लिये अपेक्षित न हो, साधारणतया पट्टे की समाप्ति के दिनाक से छः मास की अवधि के भीतर पट्टेदार को वापस कर दी जायेगी।

49– सार्वजनिक स्थल, नदी पर निर्मित पुल, नदी के किनारे आदि से सुरक्षित दूरी:–

क– राज्य के वन नदी क्षेत्रों में नदी की कुल चौड़ाई का दोनों किनारों से एक चौथाई भाग छोड़कर तथा राजस्व/निजी नाप भूमि के नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में नदी की कुल चौड़ाई का दोनों किनारों से 15–15 प्रतिशत भाग अथवा न्यूनतम 10 मी0 छोड़कर उपखनिज का चुगान कार्य किया जायेगा।

ख– शमशान, सार्वजनिक स्थल आदि से 50 मी0 की दूरी को प्रतिबन्धित करते हुये उपखनिज का चुगान कार्य अनुमत गहराई तक किया जायेगा।

ग– नदी पुल के अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में 100 मी0 की दूरी तक अथवा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित दूरी के अन्तर्गत चुगान कार्य प्रतिबंधित होगा।

50 – खनन पट्टा हेतु अतिरिक्त शर्तें:–

1. चुगान पट्टा क्षेत्रों से निकासी किये गये उपखनिज की मात्रा का आंगणन आयतन (Volume) में न करके भार (Weight) के अनुसार किया जायेगा।
2. चुगान पट्टा क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनो का पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में कराया जाना अनिवार्य होगा, जिस हेतु यदि राज्य सरकार के द्वारा कोई शुल्क

निर्धारित किया जाता है तो वह वाहन स्वामी के द्वारा देय होगा।

3. प्रत्येक पट्टाधारक/अनुज्ञापत्र धारक को चुगान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपद स्तरीय कार्यालयों में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

4. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों से उत्खनित कर विक्रय की गई उपखनिज की मात्रा पर देय रायल्टी धनराशि का आंगणन किया जायेगा। खनन योजना में निर्धारित वार्षिक निकासी की मात्रा से 50 प्रतिशत से कम उत्पादन होने की दशा में पट्टाधारक को इस सम्बन्ध में लिखित रूप से कारणों का उल्लेख कर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।

5. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के आशय पत्र पर स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों में खनिज सम्पदा के भण्डार की मात्रा एवं गुणवत्ता का आंगणन पूर्ववत् की भांति Pitting & Trenching के माध्यम से किया जा सकेगा। खनन पट्टा आशयपत्रधारक को खनन पट्टा क्षेत्रों में खनिज सम्पदा के भण्डार की मात्रा एवं गुणवत्ता का आंगणन आधुनिक ड्रिलिंग मशीनों से कराये जाने की स्वतन्त्रता होगी।

6. नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड, सैक्शन मशीन, लिफटर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नही किया जायेगा।

परन्तु विशेष परिस्थितियों में जैसे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, क्षेत्र में बडे आकार के बोल्डर को हटाने, पट्टा क्षेत्र में फंसे वाहनों को निकालने आदि की दशा मे अनुमति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

7. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों मे Mechanized विधि से खनन संक्रियाऐं संचालन हेतु मशीन/पोकलैण्ड/डोजर/एक्सकेवेटर आदि के उपयोग की अनुमति जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा दी जायेगी।

8. पट्टाधारक राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउन्डेशन (DMF) आदि अन्य शुल्क नियमानुसार जमा किया जायेगा।

9. पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों का विदोहन/परिवहन सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य करेगा।

10. आवेदक के पक्ष में खनन पट्टा का आशय पत्र (Letter of Intent) व खनन पट्टा के शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उक्त खनन पट्टा का आशय पत्र (Letter of Intent) व खनन पट्टा के शासनादेश आवेदनकर्ता के विधिक वारिस को सक्षम स्तर से निर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा उक्त आवेदन हेतु इच्छुक होने का नोटराईज्ड अनुरोध शपथ पत्र निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में 03 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत आशय पत्र/शासनादेश को निरस्त कर आवेदित क्षेत्र को रिक्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

11. पूर्व से स्वीकृत स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टों की अवधि का

विस्तारीकरण पट्टाधारक के अनुरोध पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जायेगा। वर्ष 2015 से पूर्व के स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि का विस्तारीकरण मूल खनन पट्टा विलेख के पंजीकरण की तिथि से 50 वर्ष तक होगी। इस हेतु पट्टाधारक को अनुपूरक पट्टाविलेख रू0 10,000/– के स्टाम्प पेपर पर कराया जायेगा। पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि का विस्तारीकरण इस नियमावली के प्रख्यापन की तिथि से 06 माह के अन्तर्गत पट्टाधारक के द्वारा पूर्ण कराया जाना आवश्यक होगा।

12. स्वस्थानें चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर नहीं डाला जायेगा, यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा डाला जाता है, तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रू0 5.00 लाख का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जायेगा।
13. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि हेतु आवेदित क्षेत्रफल के अन्तर्गत राज्य सरकार की भूमि आती है तो ऐसी भूमि को 25 प्रतिशत की सीमा तक निजी भूमि के साथ सम्मिलित किया जा सकेगा तथा प्रश्नगत क्षेत्र से उत्खनित खनिज पर नियमानुसार रायल्टी देय होगी। पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत राज्य सरकार की भूमि आती है, तो उक्त क्षेत्र से खनिज को उत्खनित किया जा सकता है तथा उत्खनित खनिज पर नियमानुसार रायल्टी देय होगी।
14. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनन पट्टाधारकों को वर्षाकाल में खदान का भूधसाव से बचाव एवं Natural Drainage का प्रबन्ध करते हुए पूर्ण सुरक्षित उपायों के साथ खनन किया जा सकेगा।

अध्याय –6

खनन अनुज्ञा–पत्र

51– खनन अनुज्ञा पत्र के दिये जाने पर निर्बन्धन :–

1. कोई खनन अनुज्ञा पत्र ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो, जिसके विरूद्ध या उसके परिवार के विरूद्ध खनन बकाया हो तथा राज्य का मूल निवासी/स्थायी निवासी न हो।
2. नदी तल/गधेरा/नाला में उपखनिजों का चुगान, नदी तल से भिन्न निजी नाप/राजस्व भूमि में भवनों के निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान, ईट मिटटी के खुदान, साधारण मिट्टी का खुदान आदि तथा कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा मोटर मार्ग निर्माण के कटान से निकलने वाले उपखनिज व जल विद्युत परियोजना के निर्माण की टनल आदि से निकलने वाले उपयोगी उपखनिजों, जिनका व्यवसायिक/परियोजना निर्माण में उपयोग किया जायेगा, हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।
3. खनन अनुज्ञा की अवधि अधिकतम 06 माह (छः माह) होगी तथा स्वीकृत अनुज्ञा की अवधि का विस्तार नहीं किया जांयेगा।

52– खनन अनुज्ञा–पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र :–

खनन अनुज्ञा–पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0 8 में चार प्रतियों मे जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके द्वारा आवेदन पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का

परीक्षण किया जायेगा तथा अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए स्थलीय जांच/निरीक्षण हेतु समिति के सदस्यों को सूचित किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित होंगेः-

(1) आवेदन शुल्क रू0 10,000.00 की जमा रसीद।

(2) भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की चार सत्यापित प्रतियां या ऐसे सर्वेक्षण के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र की स्थिति में धरातल मानचित्र की ऐसे पैमाने पर, जिसमें कम से कम "4 इंच बराबर एक मील" के हो, चार ऐसी प्रतियां, जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो।

(3) खसरा खतौनी की सत्यापित प्रति।

(4) खनन अदेयता प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो।

(5) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।

(6) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

(7) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति।

(8) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति।

(9) हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति।

53- प्रार्थना पत्र का निस्तारण :-

1. उपरोक्त नियम-52 (2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों हेतु स्थलीय जांच/निरीक्षण उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

2. मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नाप में स्थल विकास करने के उद्देश्य से भूमि को समतल किये जाने, भवनों के बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी आदि का उपयोग उसी निजी नाप भूमि के भूमि सुधार हेतु किये जाने पर अनुज्ञा स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी, परन्तु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों मे उपरोक्तानुसार उल्लिखित क्रिया कलापों हेतु सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। इस हेतु Excavator मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों मे उक्त क्रिया के अन्तर्गत निकलने वाले उपखनिजों को अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। उक्त क्रिया कलाप खनन की श्रेणी मे नही आयेंगे तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

3. नियम-51 (2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं यथा ईट निर्माण हेतु मिट्टी के खुदान, साधारण मिट्टी का खुदान एवं जल विद्युत परियोजना के निर्माण की टनल आदि से निकलने वाले उपयोगी उपखनिजों, जिनका व्यवसायिक/परियोजना निर्माण में उपयोग किया जायेगा, के सम्बन्ध में अध्याय-2 के नियम-7 में गठित समिति के द्वारा स्थलीय जांच/निरीक्षण किया जायेगा। गठित समिति की उक्त

जांच आख्याओं के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार कर सकता है या ऐसी शर्त और निर्बन्धनों के अधीन जो आवश्यक समझें, प्रार्थित क्षेत्र के कुल या कुछ भाग के लिये एक नियत अवधि हेतु अनुज्ञा दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे क्षेत्र के लिये, जो पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन पहले से धृत है, अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र समय से पूर्व समझा जायेगा और उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है, तो उसे वापस नही किया जायेगा।

4. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जोन में संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में किया जायेगा। यह प्रक्रिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी व अन्य कर देय नहीं होंगे। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल का अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा तथा तदोपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा उक्त उपखनिज के अन्यत्र परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, जिप्सम आदि के स्वीकृत खदानों से ओवरबर्डन (Over burden) के रूप में निकलने वाले वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) को विभागीय रसायन प्रयोगशाला की विश्लेषण आख्या के आधार पर वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) होने पर अन्यत्र परिवहन हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, जिस हेतु नियमानुसार रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा।

5. सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सिंचाई विभाग, डी0जी0बी0आर(ग्रेफ), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि द्वारा सड़क, पहुंच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि के निर्माण कार्य उपयोग हेतु अग्रिम रॉयल्टी को जमा कराये जाने तथा वांछित प्रपत्रों को निर्गत करने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी अधिकृत होंगे।

54—स्वामित्व का जमा किया जाना :—

(1) जब नियम 53 के अधीन खनन अनुज्ञा पत्र दिये जाने का आदेश दे दिया जाय, तब प्रार्थी आदेश की संसूचना दिये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, उक्त आदेश के अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा के लिये नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्काल विनिर्दिष्ट दर पर एक मुस्त स्वामित्व अग्रिम रूप से जमा करेगा। यदि अनुज्ञापत्र धारक किसी कारण से, जो उसके द्वारा हुआ माना जाय, अनुज्ञात

समय के भीतर खनिज को नहीं हटा लेता है तो स्वामित्व के रूप में जमा कोई धनराशि वापस नही की जायेगी।

(2) यदि प्रार्थी उपनियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर या ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा दी जाये, स्वामित्व जमा करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाला आदेश प्रतिसंहत (रद्द) हो जायेगा और नियम 52 के खण्ड (एक) में उल्लिखित फीस राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी।

55– खनन अनुज्ञा–पत्र का जारी किया जाना :–

प्रार्थी को खनन अनुज्ञा–पत्र प्रपत्र एम0एम0 10 में ऐसी अतिरिक्त निर्बन्धनों और शर्तो के साथ, जिनके अधीन नियम 53 में आदेश दिये जाय, नियम 54 के उपनियम (1) में स्वामित्व जमा करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर जारी कर दिया जायेगा और इस प्रकार जारी अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक, जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाय, इसमें से जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

56– खनन अनुज्ञा–पत्रों का रजिस्टर :–

खनन अनुज्ञा–पत्रों के सभी प्रार्थना–पत्रों का एक रजिस्टर जारी किये गये अनुज्ञा–पत्रों के ब्यौरे के साथ प्रपत्र एम0एम0–9 में खनन अनुज्ञा–पत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी/जिला खान अधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा।

अध्याय–7
उल्लंघन अपराध और शक्तियां

57– अनधिकृत खनन के लिये शक्ति :–

(1) जो कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्व हो जाने पर प्रथम बार में अवैध उत्खनित खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का 02 (दो) गुना तथा तत्पश्चात् रॉयल्टी का 03 (तीन) गुना तक के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।

(2) अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम के लिए निदेशालय स्तर पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की अध्यक्षता में प्रवर्तन दल का गठन किया जायेगा, जिसके द्वारा अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होने पर या समय–समय पर आकस्मिक छापेमारी सुनिश्चित की जायेगी।

(3) अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सम्यक नियम/आदेश जारी किये जायेंगे।

(4) अवैध खनन की रोकथाम हेतु निदेशालय स्तर से माईनिंग सर्विलांस सिस्टम लागू किया जायेगा।

(5) अवैध खनन की पुष्टि के कारणों को उल्लिखित करते हुए निदेशालय को सम्बन्धित पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक/भण्डारणकर्ता आदि का ई–रवन्ना पोर्टल को लिखित सूचना देने के उपरान्त निलम्बित (Suspend) करने एवं नियमानुसार अन्य कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

58– स्वामित्व, भाटक या अन्य देयों को भुगतान न करने के परिणाम :–

(1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रायल्टी) सहित पटटे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक (स्वस्थानें चट्टानों हेतु) का भुगतान करें, यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया हो, तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयों को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

(2) इस नियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपनियम (1) के अधीन सूचना की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय किसी भाटक, स्वामित्व, सीमाकन शुल्क और किन्ही अन्य देयों पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है।

59– कतिपय शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम :–

खनन पट्टाधारण करने वाला कोई पट्टेदार नियमों में व्यवस्थित किन्ही शर्तो को भंग करें, दोष सिद्व हो जाने पर अर्थदण्ड से, जो रू0 2.00 (दो) लाख रूपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

60– सामान्यतः नियमों और पट्टे की शर्तो के उल्लंघन का परिणाम :–

(1) पट्टेदार द्वारा नियमों या पट्टे में दी गई समझी जाने वाली शर्तो और प्रसंविदाओं के सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से सम्बन्धित हो, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम 59 के उपबंधों के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

(2) यदि उप नियम (1) के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का नाम निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा पांच वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए, जैसा उचित समझा जाय, काली सूची में डाल दिया जायेगा और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार पर स्वीकृत नही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यथास्थिति खनन पट्टे के रजिस्टर में या ई–नीलामी रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

अध्याय– 8
विविध

61– प्रत्यक्ष अशुद्धियों को ठीक करने का अधिकार :–

राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा इस नियमावली के अधीन दी गई किसी आज्ञा में कोई लिपिक या अंकीय अशुद्धि यथास्थिति राज्य सरकार, सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा ठीक की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी आज्ञा, जो किसी व्यक्ति के लिये हानिकार हो, तब तक न दी जायेगी जब तक कि उसे अपना मामला बताने के लिये समुचित अवसर न दिया गया है।

62— रजिस्टरों का निरीक्षण करने दिया जायेगा :—

(1) इस नियमावली द्वारा रखे जाने वाले नियुक्त सभी रजिस्टरों को प्रत्येक प्रविष्टि के लिये पांच सौ रूपये का शुल्क भुगतान करने पर निरीक्षण करने दिया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट रजिस्टरों की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करने पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है :

(क) सात दिन के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 1000.00 रूपये और।

(ख) चौबीस घन्टे के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 5000.00 रूपये ।

स्पष्टीकरण :— (1) "प्रविष्टि" का तात्पर्य यथास्थिति एक अनुज्ञा पत्र या एक खनन पट्टा या एक ई—नीलामी पट्टा के सम्बन्ध में समस्त प्रविष्टियों से है।

स्पष्टीकरण :—(2) शुल्क का भुगतान नियमों में निहित रीति से किया जायेगा और यथास्थिति निरीक्षण के लिये प्रार्थना पत्र या प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये प्रार्थना पत्र के साथ ट्रेजरी चालान लगाना होगा।

63— नाम, राष्ट्रिकता आदि में परिवर्तन की सूचना दी जायेगी :—

खनन पट्टे का प्रार्थी या उसका धारक राज्य सरकार के साठ दिन के भीतर प्रत्येक ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा जो उसके नाम, राष्ट्रिकता या संगत प्रपत्रों में उल्लिखित अन्य विवरणों में किया जायेगा।

64— शुल्कों और जमा का भुगतान कैसे किया जायेगा :—

इस नियमावली के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करें।

65— छात्रों के प्रशिक्षण के लिये सुविधायें :—

(1) खनन का प्रत्येक स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनिकर्म एवं भूतत्व सम्बन्धी संस्थाओं के छात्रों को उनके द्वारा चलायी जाने वाली खानों और संयंत्रों का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति देगा और ऐसे छात्रों से प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित सभी आवश्यक सुविधायें देगा।

(2) खनिकर्म या भूतत्व शास्त्र की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के छात्रों के प्रशिक्षण के लिये प्रार्थना पत्र खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक को उक्त संस्थाओं के आचार्य या प्रधान के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। खान के किसी स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने से इनकार करने के मामले महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को अभिविष्ट किये जाने चाहिये।

66— निर्धारण करने, प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार :—

(1) किसी खान का परित्यक्त खान की रायल्टी का निर्धारण करने और उसकी वास्तविक या भावी कार्य की स्थिति की जांच करने के लिये या इस नियमावली के सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिये जिलाधिकारी या भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के ऐसे अधिकारी, जो निदेशक द्वारा इस योजना के लिये नियुक्त खान निरीक्षक के पद से नीचे के पद के न हों या राज्य सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारीः—

(क) किसी खान में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है।

(ख) किसी ऐसी खान का सर्वेक्षण कर सकता है और माप सकता है।

(ग) किसी खान में पडे हुये खनिज स्टाक को तौल सकता है, उसे माप सकता है या उसकी नाप ले सकता है।

(घ) किसी ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे या अधिकार में हो, जिसका किसी खान पर नियन्त्रण हो या जो उससे सम्बद्व हो और उस पर पहचान के चिन्ह लगा सकता है और ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्वरण ले सकता है या उसकी प्रतियां तैयार कर सकता है।

(ङ) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख को समन कर सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है।

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका किसी खान पर नियंत्रण हो या जो उससे संबद्व हो, समन कर सकता है या उसका निरीक्षण कर सकता है, और

(छ) ऐसी सूचना का विवरण मांग सकता है, जो आवश्यक समझी जाये।

परन्तु राज्य सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत राजस्व विभाग का अधिकारी, जो नायब तहसीलदार के पद से नीचे के पद का न हो (जिनके द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से खनन से सम्बन्धित कार्यों का कम से कम 01 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर निदेशक से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो), भी इस निमित्त अधिकृत होंगे। सम्बन्धित द्वारा अवैध खनन की मात्र जांच कर अपनी रिपोर्ट सक्षम अधिकृत स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति से जो उक्त उपनियम के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) द्वारा प्रदत अधिकारों के आधार पर कोई आज्ञा या समन जारी किया जाय, यथास्थिति, ऐसी आज्ञा या समन का अनुपालन करने के लिये विधितः बाध्य होगा।

67— भूमि के स्वामी द्वारा खनन संक्रियाये पर कोई निर्बन्धन आदि आरोपित नही किया जायेगाः —

(1) कोई भी व्यक्ति, जिसे खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि से किसी भी रूप में अधिकार प्राप्त हो, ऐसी भूमि के पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र धारक खनन संक्रियाओं पर कोई

प्रतिशोध या निर्बन्धन आरोपित करने या उपखनिज पट्टा हटाने के लिये अधिमूल्य (प्रीमियम) या स्वामित्व के रूप में कोई धनराशि मांगने पर हकदार न होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति भूमि के धरातल की खनन संक्रियाओं के लिए उपयोग करने हेतु खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र के उक्त धारक से ऐसा वार्षिक प्रतिकर पाने का हकदार होगा, जो उनके बीच तय हों।

(2) जहां खनन पट्टा अनुज्ञा–पत्रधारक और भूमि की सतह के स्वामी वार्षिक प्रतिकर की धनराशि पर सहमत न हो और उसके सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो जिला अधिकारी द्वारा उसका अवधारण निम्नलिखित रूप से किया जायेगाः–

(क) कृषि योग्य भूमि की दशा में प्रतिकर की धनराशि उसी प्रकार की भूमि में विगत तीन वर्षो में की गई खेती से प्राप्त वार्षिक औसत शुद्ध आय के आधार पर निकाली जायेगी। प्रतिकर की धनराशि वार्षिक औसत शुद्ध आय के पांच गुना से अधिक नहीं होगी।

(ख) गैर कृषि योग्य भूमि की दशा में वार्षिक प्रतिकर की धनराशि उसी प्रकार की भूमि के विगत तीन वर्षो के वार्षिक भाटक मूल्य के आधार पर निकाली जायेगी। प्रतिकर की धनराशि वार्षिक भाटक मूल्य के पांच गुना से अधिक नहीं होगी।

(ग) यदि खनन कार्य से कोई आवासीय भवन/गौशाला/दुकान आदि क्षतिग्रस्त होते हैं, तो राजस्व विभाग के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता से आंकलन कराते हुए तैयार किये गये वास्तविक आंकलित मूल्य के अनुसार प्रतिकर की धनराशि पट्टाधारक के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों/संस्थाओं को दी जायेगी।

68– विशेष मामलों में नियमों का शिथिल किया जाना :–

राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी यह राय हो कि खनिज विकास के हित में लिखित आज्ञा द्वारा और उन कारणो से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसा करना आवश्यक है, इस नियमावली में निर्धारित शर्तो और प्रतिबन्धों से भिन्न शर्तो और प्रतिबन्धों पर किसी खनिज को लब्ध करने के लिये खनन पट्टे/खनन अनुज्ञा को देने या किसी खान का कार्य करने का प्राधिकार दे सकती है।

69–स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार/निविदाकार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :–

(1) सरकार, खनन पट्टे के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा वसूल किये जाने का प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे धारक, जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाये, स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक का भुगतान अपने पट्टे में निर्दिष्ट दरों पर उक्त ठेकेदारों/निविदाकारों को ऐसी अवधि के भीतर करेंगे, जो निदेशित की जाये।

(2) खनन पट्टे के धारक द्वारा चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार या यथास्थिति स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक भुगतान न करने के वही परिणाम होंगे, जो राज्य सरकार को भुगतान करने के होते हैं और उस दशा में राज्य सरकार को पट्टेदार से बकाया की वसूली करने तथा पट्टे को समाप्त करने के सम्बन्ध में ऐसे सभी अधिकार होंगे, जो इस नियमावली में व्यवस्थित हैं।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति के साथ, जो उपयुक्त समझा जाये, पॉच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये निर्दिष्ट क्षेत्र में खनन पट्टो के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक वसूल करने के लिये नीलाम करके या टेण्डर आमंत्रित करके या ई–टेन्डर/ई–निलामी या किसी अन्य रीति से ऐसी शर्तें और प्रतिबन्धों पर अनुबन्ध कर सकती है, जो उपयुक्त समझी जाये। ठेकेदार/निविदाकार के चयन के लिए अर्हता एवं नीलामी प्रक्रिया के मापदण्डों का निर्धारण हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा पृथक से निविदा प्रपत्र तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

(4) उपरोक्तानुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों मे खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय–2 के अनुसार दिये जाने मे प्राथमिकता दी जायेगी।

(5) चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को अनुबन्ध के अन्तर्गत दिये गये दायित्वों के निर्वहन एवं अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम हेतु विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल का अवलोकन किये जाने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से अनुरोध करने पर अनुमति प्रदान की जा सकती है।

70– खनिज के परिवहन पर निर्बन्धन :–

(1) खनिजों के परिवहन हेतु पट्टाधारक/अनुज्ञाधारकों को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(2) खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र धारक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति, किसी गाडी, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा उपखनिज का परिषण (कन्साइनमेंट) कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0 11 में पास जारी करेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर रेल को छोडकर, पशु, गाडी या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा कोई उपखनिज उपनियम (1) के अधीन ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0 11 में तथा राज्य के बाहर ई–रवन्ना प्रपत्र–11 "ओ एस" में जारी पास के बिना नही ले जायेगा, परन्तु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को विशेष परिस्थितियों में ई–ट्रांजिट पास (ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0–11 एवं ई–रवन्ना प्रपत्र–11 "ओ एस") के ऑनलाईन जनरेशन (Online generation) के उपयोग हेतु छूट प्रदान करने का अधिकार होगा। ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों हेतु जिनमें ऑनलाईन ई–ट्रांजिट पास (ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0–11 एवं ई–रवन्ना प्रपत्र–11 "ओ एस") के उपयोग को छूट प्रदान किया जायें, खनिजों के परिवहन हेतु मैनुअल ट्रांजिट पास (रवन्ना प्रपत्र एम0एम0–11 एवं रवन्ना प्रपत्र–11 "ओ एस") का उपयोग किया जा सकेगा।

(4) किसी उपखनिज को ले जाने वाला व्यक्ति, नियम 66 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगने पर उक्त "पास" को ऐसे अधिकारी को दिखायेगा और उसे उप खनिज की मात्रा के संदर्भ में "पास" के विवरणों की शुद्धता को सत्यापित करने देगा।

(5) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु खनन पट्टा या अनुज्ञा पत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के लिये जांच चौकी (चेक पोस्ट)/मोबाईल चैक पोस्ट स्थापित कर सकता है और जब ऐसी जांच चौकी स्थापित कर दी जाय तो इस तथ्य की सार्वजनिक सूचना

गजट में प्रकाशित करके और ऐसी अन्य रीति से दी जायेगी, जैसा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उपयुक्त समझें।

(6) कोई व्यक्ति, ऐसे उपखनिज का, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, परिवहन ऐसे क्षेत्र से उस क्षेत्र के लिये स्थापित जांच चौकी पर खनिज के प्रकार या माप के सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये बिना नही करेगा।

(7) खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(8) कोई व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में यह पाया जाय कि उसने इस नियम का उल्लंघन किया है, दोष सिद्ध हो जाने पर अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रू0 2.00 (दो) लाख रूपये तक हो सकता है।

(9) अवैध परिवहन या ई–रवन्ना प्रपत्रों का दुरूपयोग पाये जाने पर निदेशालय को सम्बन्धित पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक/भण्डारणकर्ता आदि का ई–रवन्ना पोर्टल बिना पूर्व सूचना के अस्थाई रूप से निलम्बित (Suspend) करने एवं नियमानुसार अन्य कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

71–प्रतिनिधान :

जब राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य कोई भी अधिकार किन्ही ऐसे विषयों के सम्बन्ध और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किये जा सकते हैं, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायें।

72– पुनः स्वीकृति के लिए क्षेत्र की उपलब्धता का अधिसूचित किया जाना:–

(1) निजी नाप भूमि को छोडकर यदि कोई क्षेत्र जो अध्याय–2 के अन्तर्गत खनन पट्टा के अधीन धृत था या अधिनियम की धारा 17–क के अधीन आरक्षित था, पुनः खनन पट्टे पर दिये जाने के लिए उपलब्ध हो जाता है, तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म नोटिस के माध्यंम से उस क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित करेगा, जिसमें दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जो नोटिस के दिनांक से तीस दिन पहले का न होगा और ऐसे क्षेत्र का ब्यौरा होगा। खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित करेगा और ऐसी नोटिस की प्रति उसके कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और एक–एक प्रति उस क्षेत्र के उप जिलाधिकारी व खान अधिकारी को भी भेजी जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन खनन पट्टा दिये जाने के लिए प्रार्थना पत्र उक्त उप नियम में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक से सात कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त किये जायेंगे। यदि फिर भी किसी क्षेत्र के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तीन से कम हो तो निदेशक अवधि को अग्रेत्तर सात कार्य दिवसों के लिये और बढा सकता है और यदि उसके पश्चात भी प्रार्थना पत्र की संख्या तीन से कम रहती है तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उक्त उप नियम के अनुसार नये सिरे से क्षेत्र की उपलब्धता को अधिसूचित करेगा।

(3) ऐसे क्षेत्र का, जो पहले से किसी पट्टा के अधीन धृत है या नियम–20 के उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित है या अधिनियम की धारा 17–क के अधीन आरक्षित है और जिसकी उपलब्धता उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित नहीं की गयी है, खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र समय पूर्व

समझा जायेगा और उस पर विचार नहीं किया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है तो उसे वापस कर दिया जायेगा।

73— विवरणियां (रिटन्सी):

(1) इस नियमावली के अधीन खनिज परिहार धारक प्रत्येक माह के आगामी 07 तारीख तक प्रपत्र एम0एम0—12 में जिलाधिकारी और जिला खान अधिकारी को मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) जब कभी भी खनिज परिहार धारक उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है तो यह रू0 5000.00 की शास्ति का भागी होगा।

74— अपराधों का संज्ञानः—

(1) कोई न्यायालय, जिला अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद जिसमें ऐसे अपराध के गठन करने वाले तथ्यों का उल्लेख होगा, के सिवाय इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नही लेगा।

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय इस नियमावली के अधीन अपराध का विचार नहीं करेगा।

75— अपराधों का शमन :—

(1) इस नियमावली के अधीन—दण्डनीय किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय या जिलाधिकारी द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करें, राज्य सरकार को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, जैसी ऐसा अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, किया जा सकेगा :—

प्रतिबंध यह है कि केवल अर्थ दण्ड से दण्डन विभागीय किसी अपराध की दशा में, ऐसी धनराशि उस अपराध के लिये आरोपित की जा सकने वाली अधिकतम धनराशि से अधिक नही होगी।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन किसी अपराध को शमन किया जाता है, वहां इस प्रकार शमन किये गये अपराध के सम्बन्ध में अपराधी के विरूद्ध यथास्थिति कोई कार्यवाही या अग्रेत्तर कार्यवाही नही की जायेगी और अपराधों को, यदि अभिरक्षा में हो, तत्काल उन्योचित कर दिया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन अपराध का शमन करने वाला अधिकारी एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निम्नलिखित ब्यारों को दर्शाया जायेगा :—

(क) क्रम संख्या (वित्तीय वर्ष)

(ख) अपराधी का नाम और पता।

(ग) दिनांक और अपराध के ब्यौरे।

(घ) शमन धनराशि और उसके भुगतान का दिनांक।

(ड) दिनांक और मोहर सहित अधिकारी के हस्ताक्षर ।

76– पुलिस की सहायता:–

नियम 66 के अभिदिष्ट अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों के विधि सहम्मत प्रयोग के लिये स्थानीय पुलिस, की सहायता के लिये प्रार्थना पत्र कर सकता है और स्थानीय पुलिस, उस अधिकारी को इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सभी सम्भव सहायता देगी।

77– अपील :–

इस नियमावली के अधीन जिला अधिकारी या जिला खान अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध, ऐसा आदेश क्षुब्ध पक्षकार को संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर मण्डलायुक्त के यहां अपील की जायेगी।

78– पुनरीक्षण :–

राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वयं या आदेश की संसूचना के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर जिलाधिकारी, निदेशक या मण्डल आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

79– शुल्क :–

नियम 77 के अधीन अपील या नियम 78 के अधीन कोई प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0 13 में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ एक ट्रेजरी रसीद होगी, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि नियम 64 में विनिर्दिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सरकार के मद्दे बीस हजार रूपये का शुल्क विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जा चुका है।

आज्ञा से,
डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

प्रथम अनुसूची (देखें नियम–18)

खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दरें (रू0 में)
1– चूना पत्थर	200.00 प्रति टन
2– मार्बल या मार्बलचिप्स (संगमरमर)	500.00 प्रति टन
3– ईट बनाने की मिट्‌टी	100.00 प्रति हजार ईट
4– शीरा (साल्ट पीटर)	6.00 प्रति कि0ग्रा0 या 600.00 प्रति कुन्तल
5– इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन):– 1. सभी प्रकार के उप खनिजों से निर्मित (ग्रेनाइट को छोडकर) स्लैब्स अशलर सहित साईज्ड डायमेंशनल स्टोन (जिसकी कोई भी एक साईज 25 सेमी0 से अधिक हो) 2. मिल स्टोन व हथचक्की (सैण्डस्टोन क्वार्टजाईड)	 350.00 प्रति टन 500.00 प्रति टन
6– नदी तल से भिन्न खनन पट्‌टो से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी एक साईज 25 सेमी0 से अधिक न हो), बजरी/मिट्‌टी बैलास्ट सिंगल/पहाडों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू	88.50 प्रति टन
7– ग्रेनाईट (साइज्ड) डायमेंशनल स्टोन	1000.00 प्रति घ0मी0
8– नदी तल में राजस्व/वन भूमि में खनन पट्‌टा हेतु उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो (निजी भूमि को छोडकर)	1. 8.50 प्रति कुन्टल (गौला नदी) 2. 8.00 प्रति कुन्टल (कोसी, दाबका नदी) 3. 7.00 प्रति कुन्टल (हरिद्वार एवं अन्य स्थान हेतु)
9– नदी तल/नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में खनन पट्‌टा हेतु उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	7.00 प्रति कुन्टल तथा रू0 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त रूप से
10– कार्यदायी संस्थाओं सहित समस्त प्रकार की खनन अनुज्ञाओं हेतु (साधारण मिट्‌टी की अनुज्ञा को छोडकर)	7.00 प्रति कुन्टल तथा रू0 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त रूप से
11– कंकड	200.00 प्रति टन
12– साधारण मिट्‌टी	50.00 प्रति टन
13– सिलिका सैण्ड	100.00 प्रति टन
14– डोलोमाईट	500.00 प्रति टन
15– बैराईट	250.00 प्रति टन
16– क्वार्टजाईट	100.00 प्रति टन
17– सोपस्टोन	1. निम्न श्रेणी – रू0 350.00 प्रति टन (Brightness 85 प्रतिशत से कम) 2. उच्च श्रेणी – रू0 450.00 प्रति टन (Brightness 85 प्रतिशत व उससे अधिक)
18– अन्य कोई खनिज जो ऊपर सूचित नहीं है	खनिमुख मूल्य का 20 प्रतिशत

द्वितीय अनुसूची (देखें नियम–19)

खनिज	अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की वार्षिक दर (रू0 में)
1– मार्बल या मार्बलचिप्स	40000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
2– चूना पत्थर लाईम स्टोन	40000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
3– नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी एक साईट 25 सेमी0 से अधिक हो), बजरी /मिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाडों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू	40000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
4– नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	80000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष
5– साधारण मिट्टी (आर्डिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आर्डिनरी अर्थ)	25,000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष
6– खनिज सिलिका सैण्ड हेतु	6000.00 प्रति हैक्टे0 प्रति वर्ष व तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
7– खनिज डोलोमाईट हेतु	20000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
8– खनिज क्वार्टजाईट हेतु	20000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
9– खनिज बैराईट	20000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
10– खनिज सोपस्टोन हेतु	5000.00 प्रति हैक्टे0 प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)

तृतीय अनुसूची

THIRD SCHEDULE

प्रपत्र एम. एम.–1

खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र (देखें नियम–5)

(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

दिनांक.................................. 20............

(समय).. बजे

(स्थान)..

(दिनांक).. को प्राप्त हुआ। सभी प्रकार से पूर्ण/अपूर्ण

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से दिनांक.. को पूर्ण किया गया ।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद.................................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अधीन खनन पट्टा दिया जाय।

2. उक्त नियमावली में नियम 6 के उपनियम (1)(क) के अधीन इस प्रार्थना पत्र के संबंध में देय आवेदन शुल्क .... रुपया जमा कर दिया गया है।

3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है :–

(एक) प्रार्थी का नाम और पूरा पता..

(दो) क्या प्रार्थी गैर–सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या निकाय या संस्था है:........

(तीन) यदि प्रार्थी :–

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता ....

(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता और उसके निबंधन (रजिस्ट्रेशन) का स्थान

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंशपूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान..

(घ) फर्म या निकाय या संस्था है तो फर्म के सभी भागीदारों या निकाय या संस्था के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता..

(चार) प्रार्थी का व्यवसाय या कारोबार...

(पांच) खनिज जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता है...

(छः) अवधि, जिसके लिये खनन पट्टा अपेक्षित है...

(सात) उस क्षेत्र का ब्योरा, जिसके संबंध में खनन पट्टा अपेक्षित है:—

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	क्या रिक्त है/किसी के द्वारा धृत है और यदि धृत हैं तो उसका ब्यौरा।
1	2	3	4	5	6	7

(आठ) निम्नलिखित के संबंध में विशेष उल्लेख के साथ क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण :—

(क) प्राकृतिक आकृतियां, ऐसे स्रोत आदि के उल्लेख के साथ क्षेत्र की स्थिति।...

(ख) वन क्षेत्रों की दशा में, कार्यवृत्त (वर्किंग सर्किल) का नाम, धन (रजि) और पातन श्रेणी (फेलिंग सीरीज); यदि कोई हो, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्र का विवरण तथा विस्तार (लगभग)।...

(ग) भू–कर सर्वेक्षण (कैडेस्ट्रल सर्वे) के अन्तर्गत न आने वाली क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र (टोपो मैप) में निश्चित स्थानों के अभिदेश में क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थान (Starting Point) विवरण और सीमा रेखा की रेखीय दूरियां और उनकी 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के धरातल मानचित्र में दिये गये क्षेत्र के तद्नुरूप यथासम्भव ठीक–ठीक दिकस्थिति (बियरिंग)।.....................

(घ) मानचित्र पर कम से कम दो स्थायी अभिदेश बिन्दु अवश्य दर्शाया जाना चाहिये...

(नौ) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर, खनिजवार ऐसे क्षेत्रों के विवरण :—

(क) जिन्हें प्रार्थी या कोई व्यक्ति, जो उसके साथ स्वत्व में संयुक्त (ज्वाइन्ट इन्टरेस्ट) हो, पट्टे के अधीन पहले से धारण किये हो;...

(ख) जिसके लिये उसने पहले से ही प्रार्थना पत्र दिया हो किन्तु स्वीकार न किया गया हो;..............

(ग) जिसके लिये एक साथ ही प्रार्थना पत्र दिया जा रहा हो;...

(दस) संयुक्त स्वत्व का प्रकार, यदि कोई हो ....

(ग्यारह) रीति, जिसके अनुसार संग्रह किये गये खनिज का उपयोग किया जायेगा, यदि प्रार्थी आवेदित खनिज का उद्योग स्थापित करना चाहता हो, या उसने पहले से ही स्थापित किया हो उसका पूर्ण विवरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिये।...

(बारह) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन...

(तेरह) अन्य वांछित अभिलेख जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जायेंगे:—

(क) उपयुक्त बिन्दु–2 पर उल्लिखित धनराशि के लिए संलग्न रसीद वाले ऑनलाइन पेमेंट गेट–वे रसीद/कोषगार चालान आदि के विवरण।...

(ख) भू–कर सर्वेक्षण मानचित्र की राजस्व विभाग से चार सत्यापित प्रतियां।..

(ग) खसरा खतौनी की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रतियां।..

(घ) खनन देय बकाया न होने का जिला खान अधिकारी द्वारा जारी किया गया अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये। यदि प्रार्थी द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था तो इस कथन का शपथ पत्र उक्त प्रमाण पत्र के स्थान पर दिया जाना चाहिये।..

(ड.) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।..

(च) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।..

(छ) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण की छायाप्रति।..

(ज) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति।..

(झ) हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति। ....

(ञ) यदि आवेदक को आवेदित क्षेत्र का सतही अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसने खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी की लिखित सहमति की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रति..

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सहीं हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण जिसके अन्तग्रझ यथार्थ नक्शें और प्रतिभूति जमा आदि हैं; देने को तैयार हूं/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों।

भवदीय

प्रार्थी/प्रार्थियों के हस्ताक्षर

स्थान ....

दिनांक..............................

अवधेय :– (1) यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाय तो अभिकरण–पत्र (पावर ऑफ एटार्नी) संलग्न किया जाना चाहिये।

(2) प्रार्थना पत्र केवल एक सहत खण्ड (ब्लाक) के लिये होना चाहिये।

प्रपत्र एम0एम0–1 (क)
(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)
खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र (देखें नियम 5)

स्थान .... दिनांक .... को प्राप्त हुआ।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से दिनांक.. को पूर्ण किया गया ।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

सेवा में

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
जनपद.............................

महोदय,

मैं/हम उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियामवली, 2023 के अधीन अपने खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये निवेदन करता हूँ/करते है। उक्त नियमावली के नियम–6(क) के अधीन देय रू0 .... (रूपया ....) का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा कर दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में आपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है:–

1. प्रार्थी का नाम और पूरा पता..
2. क्या प्रार्थी कोई गैर–सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या निकाय या संस्था है।.......................................
3. यदि प्रार्थी :–
   (क) व्यक्ति विशेष है, तो उसकी राष्ट्रिकता..
   (ख) निजी कम्पनी है, तो कम्पनी के सभी सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण के स्थान के साथ उसकी राष्ट्रिकता...
   (ग) सार्वजनिक कम्पनी है, तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अशूपूंजी का प्रतिशत तथा उसे निगमन के स्थान..
   (घ) फर्म या निकाय या संस्था है तो सभी भागीदारों या संगत के सदस्यों की राष्ट्रिकता.........................
4. प्रार्थी/प्रार्थियों के व्यवसाय या कारोबार की प्रकृति
5. खनन देय बकाया न होने का जिला खान अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन अदेयता प्रमाण पत्र।
6. (क) खनन पट्टे का विवरण, जिसका नवीनीकरण वांछित है,..
   (ख) पूर्व में स्वीकृत नवीनीकरण के ब्योरे, यदि कोई हों,..
7. अवधि जिसके लिये खनन पट्टे का नवीनीकरण अपेक्षित है..
8. क्या नवीनीकरण का आवेदन धृत पट्टे के सम्पूर्ण या उसके भाग के लिये किया गया है

(क) क्षेत्रफल जिसके नवीनीकरण के लिये आवेदन किया गया..
(ख) उस क्षेत्र का विवरण, जिसके नवीनीकरण के लिये आवेदन किया गया है (विवरण भूखण्ड के सीमांकन के लिये पर्याप्त होना चाहिये)...
(ग) धृत पट्टा क्षेत्र के मानचित्र का विवरण, जिसमें नवीनीकरण के लिये आपेक्षित क्षेत्र का स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया हो (संलग्न)...
(घ) विद्यमान या सृजि मलवे के विवरण यदि कोई हो.......................................

9. क्या प्रार्थी का उस भूमि के धरातल, जिसके खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये उसने अपेक्षा की है, अधिकार है ?..

10. यदि उसको सतही अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसने खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी की लिखित सहमति प्रस्तुत की जायेगी।...... ....

11. शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्रत्येक राज्य में खनिजवार क्षेत्र का विवरण जिस पर आवेदक या उसके साथ संयुक्त स्वत्व रखने वाला व्यक्ति :–...................................

(क) खनन पट्टे के अधीन पहले से धारित करता है,...
(ख) पहले ही आवेदन किया हो, किन्तु यह स्वीकार न किया गया हो, या..
(ग) साथ–साथ आवेदन कर रहा हो...

12. खनन योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगें :–
(क) क्षेत्र का मानचित्र जिसमें खनिज निकाय तथा खनिज स्थल या स्थलों का प्रकार और उनका विस्तार दर्शाया गया हो, जिसमें प्रथम वर्ष में उत्खनन किया जाना हो और उसका विस्तार, प्रार्थी द्वारा एकत्र किये गये पूर्वेक्षण आंकडों पर आधारित उत्खनन स्थल का विस्तृत ब्यौरा पट्टे की अवधि के लिये अनन्तिम खनन योजना..
(ख) क्षेत्र के भू–विज्ञान एवं अश्म–विज्ञान (Lithology) का ब्यौरा, शारीरिक श्रम और मशीन द्वारा खनन का विस्तार..
(ग) वार्षिक कार्यक्रम और वर्षानुवर्ष उत्खनन योजना..
(घ) क्षेत्र का नक्शा, जिसमें प्राकृति जल स्त्रोत, आरक्षित वन तथा अन्य वनों की सीमा और वृक्षों की संघनता, खनन क्रिया–कलाप का वन, भूमि और पर्यावरण, जिसमें वायु प्रदूषण भी सम्मिलित है, पर प्रभाव का आंकलन और वन रोपण भूमि–पुनरूधार, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के प्रयोग की योजना के ब्योरे दर्शाये गये हों।..

13. साधन, जिससे खनिज निकाला जाना है अर्थात शारीरिक श्रम द्वारा या यान्त्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा.. ....

14. रीति जिसके अनुसार संग्रह किया गया खनिज उपयोग में लाया जायेगा:–

(क) भारत के विनियोग के लिये,...
(ख) विदेशों को निर्यात करने के लिये...
(ग) पूर्ववर्ती दशा में उन उद्योगों को, जिसके सम्बन्ध में यह अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट किया जायेगा पश्चातवर्ती दशा में, उन देशों का उल्लेख किया जाना चाहिये, जिनकी खनिज का निर्यात किया जायेगा का उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या खनिज प्रक्रमण्ड के पश्चात निर्माण किया जायेगा या कच्चे रूप में...

15. विगत तीन वर्षों में उत्पादन का ब्योरा और आगामी तीन वर्षों के दौरान विकास के लिये अभिन्यास योजना सहित उत्पादन के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाना चाहिये।......
....

16. विद्यमान उपलब्ध रेलवे परिवहन सुविधा और अतिरिक्त परिवहन सुविधा, यदि कोई अपेक्षित हों।............
....

17. कोई अन्य विवरण जो प्रार्थी देना चाहते हों,..

मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूँ/करते है कि ऊपर दिये गये विवरण सही है और मैं/हम पट्टा दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के पूर्व आपके द्वारा अपेक्षित कोई अन्य ब्यौरा, जिसमें नक्शे भी है, देने का तत्पर हूँ/है।

भवदीय

प्रार्थी का हस्ताक्षर और पदनाम

स्थान ....

दिनांक.............................

अवधेय :– यदि प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है तो अभिकरण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

प्रपत्र एम०एम०–2

खनन पट्टों के लिये प्रार्थना पत्र का रजिस्टर देखें नियम 05(4) एवं नियम–17

1. क्रम संख्या..
2. खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र का दिनांक..
3. दिनांक जब पाने वाले अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ..
4. यदि प्रार्थना पत्र पहले बार प्राप्त होने पर सभी प्रकार से पूर्ण न रहा तो वह दिनांक जब वह पूरा किया गया..
5. प्रार्थी का नाम और पूरा पता..
6. उक्त व्यक्ति का ब्यौरा जिसके लिये प्रार्थना पत्र दिया गया हो :–
   (क) तहसील..
   (ख) परगना..
   (ग) ग्राम..
   (घ) प्लाट नं०..
   (ङ) क्षेत्रफल..
7. भूमि का कुल क्षेत्रफल..
8. उन खनिजों का विवरण जिन्हें प्रार्थी खनन करने का इच्छुक है..
9. चालान संख्या और दिनांक सहित भुगतान किया प्रार्थना पत्र शुल्क और जमा किया गया प्रारम्भिक व्यय..
10. उस अन्तिम आज्ञा की संख्या और दिनांक जब प्रार्थना पत्र निस्तारित किया गया..
11. दी गई आज्ञा का संक्षिप्त विवरण..
12. अभ्युक्तियां :..
13. जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर..

प्रपत्र एम0एम0–3

खनन पट्टे का आदर्श (Model) प्रपत्र (देखें नियम–13)

यह अनुबन्ध आज .... दिनांक .... को ....उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पदावलि में यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी सम्मिलित समझे जायेगें) एक पक्ष और

यदि पट्टेदार एक विशेष व्यक्ति हो : .... (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार") कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेगें) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार एक से अधिक यक्ति हो : .... (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेगें) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म हो : .... (भागीदार का नाम) आत्मज .... निवासी .... जो सभी भारतीय भागीदारी अधिनियम, (1932 एक्ट संख्या 09) के अधीन निबन्धित फर्म (फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... नगर में . ... पर है। (जिन्हें आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उक्त समस्त भागीदार, उनके अपने–अपने दायाद, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझें जायेगें) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार रजिस्ट्रीकृत कम्पनी हो : (कम्पनी का नाम) .... (अधिनियम जिसके अधीन निगमित है, के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... में है (पता) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेगें) दूसरा पक्ष

चूंकि पट्टेदार/पट्टेदारों ने उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली 2023 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार राज्य सरकार की निम्नलिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि .... एकड के निमित्त खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र दिया है और उसने/उन्होनें राज्य सरकार के पास .... रूपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में तथा .... रू0 की धनराशि खनन पट्टे हेतु आरम्भिक व्ययों की पूर्ति के लिये जमा कर दी है।

यह इस बात का साक्ष्य है कि उपस्थापन पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उनमें दिये गये और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से भुगतान किये जाने वाले पालन और सम्पादन किये जाने वाले, किरायों स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करती है .... (यहां खनिज या खनिजों का

उल्लेख कीजिये) (जिन्हें आगे अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त खनिज" कहा गया है) की समस्त खानें, तल्प (Beds) संदरसीम्स (Viens) जो अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थिति हो, पडी हो या हों, उन स्वतंत्रताओं या अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ जिनको इसके सम्बन्ध में, उन निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जायेगा, जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हो .... सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रतायें, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेगें। दिनांक.................... .... से .... वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों का एतद्द्वारा दिये गये और पट्टान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिसमें खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग–2 में उल्लिखित कई किरायों और स्वामित्वों का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग में उपबन्धों के अधीन हो और पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते हैं और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है और एतद्द्वारा इसके साथ दिये गये पक्षों के बीच में परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–3 में अभिव्यक्त है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग–1

इस पट्टे का क्षेत्रफल

पट्टे का स्थान और क्षेत्र : वह समस्त भू–खण्ड, जो जिला .... की तहसील .... ग्राम........................ के अन्तर्गत खसरा संख्या................................ कुल क्षेत्रफल.................है0 है, जो कि. ....नदीतल/नदीतल से भिन्न स्थानों में स्थित है, जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शे में किया गया और उसे रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैः–

उत्तर में – ....

दक्षिण में – ....

पूर्व में – ....

तथा

पश्चिम में – ....

और जिसे एतद्द्वारा "उक्त भू–खण्ड" कहा गया है तथा जिसके जी0पी0एस0/डी0जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स निम्नवत हैः–

1–

2–

3–

4–

भाग–2

इस पट्टे द्वारा आरक्षित अपरिहार्य भाटक या पट्टा धनराशि का भुगतान करना– (1) पट्टेदार पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रत्येक खनिज के संबंध में, इस भाग के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट स्वस्थानें (In-Situ) चट्टान किस्म के खनिजों यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र के लिए अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व की धनराशि, जो भी अधिक हो परन्तु दोनो का नही, का वार्षिक भुगतान करेगा तथा स्वस्थाने चट्टानो से भिन्न खनन क्षेत्रों यथा नदी तल एवं नदी तल से लगी भूमि में उपलब्ध उपखनिजों यथा बालू, बजरी, बोल्डर एवं आर०बी०एम० युक्त खनन पट्टा क्षेत्रों के लिए वार्षिक पट्टा धनराशि का भुगतान करेगा।

खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि, जिसमें अपरिहार्य कारणवश (मा० न्यायालयों/एन०जी०टी० के आदेशों, केन्द्र/राज्य सरकार के शासनादेशों, महानिदेशक/निदेशक के आदेशों, जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में खनन/चुगान में असमर्थ रहता है, जिसमें पट्टाधारक की कोई गलती न हो, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा किये जाने पर उक्त बाधित अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को प्रदान की जा सकेगी जिस पर रायल्टी की देयता तत्समय निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी परन्तु यदि पट्टाधारक उक्तानुसार प्रदत्त अवधि लेने से इन्कार करता है तो पट्टाधारक बाधित अवधि हेतु आगणित अपरिहार्य भाटक के रूप में, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जायें। अपरिहार्य भाटक का आंगणन सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(2) स्वस्थानें चट्टान किस्म के खनिजों यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र के लिए अपरिहार्य भाटक भुगतान करने की रीति : इस भाग के खंड (1) के उपबंध के अधीन रहते हुये पट्टे की अवधि में पट्टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग–1 में वर्णित और पट्टान्तरित (demised) भूमि के प्रति खनिज प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक निम्नलिखित दर/दरों पर या ऐसी संशोधित दर/दरों पर भुगतान करेगा/करेंगे जो पट्टेदार/पट्टेदारों को राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से संसूचित किया जायेगा/किये जायेंगे:–

खनिज का नाम	प्रति एकड़ निश्चित किया गया अपरिहार्य भाटक	पट्टान्तरित भूमि का क्षेत्रफल	देय अपरिहार्य भाटक	एक वर्ष में देय कुल अपरिहार्य भाटक
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

- अपरिहार्य भाटक का राज्य सरकार के प्रति भुगतान पट्टा वर्ष के पूरा होने के एक माह के भीतर उस जिले के मुख्यालय के राजकीय कोषागार में, जिसमें धृत पट्टा स्थित हो, ऐसे लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा करके, जैसा कि समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रति वर्ष किया जायेगा।

(क) नदीतल एवं नदीतल से लगी भूमि में उपलब्ध उपखनिजों यथा बालू, बजरी, बोल्डर एवं आर०बी०एम० युक्त खनन पट्टा क्षेत्रों के लिए पट्टा धनराशि भुगतान करने की रीति : इस भाग के खंड (1) के उपबंध के अधीन रहते हुये पट्टे की अवधि में पट्टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग–1 में वर्णित और पट्टान्तरित (leased) भूमि में प्रतिवर्ष निकासी हेतु निर्धारित उपखनिज की मात्रा पर तत्समय निर्दिष्ट

स्वामित्वों की दर एवं अन्य देयकों के अनुसार आगणित पट्टा धनराशि को निम्नानुसार संसूचित किया जायेगा:—

• खनिज का नाम	उपखनिज की मात्रा टन में	स्वामित्व/रायल्टी की दर (रू0 प्रति टन)	अन्य देयकों की धनराशि (रू0 प्रति टन)	पट्टाधनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5 {2 x (3 + 4)}
1 2 3				

- पट्टाधनराशि का राज्य सरकार के प्रति भुगतान 09 मासिक समान किस्तों में (अक्टूबर से जून तक) अग्रिम रूप से विभागीय आनलाईन पेमेंट–गेटवे या राजकीय कोषागार में, जिसमें धृत पट्टा स्थित हो, ऐसे लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा करेगा, जैसा कि समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रति वर्ष किया जायेगा।

(3) अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व कटौती आदि मुक्त होंगे :— इस भाग में उल्लिखित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व का भुगतान बिना किसी कटौती के राज्य सरकार को ऐसी रीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार विहित करें।

(4) स्वामित्व के संगणन की रीति :— उक्त स्वामित्वों के संगणन करने के प्रयोजनों के लिये पट्टेदार खान से संग्रह किये गये खनिज/खनिजों का और उसको/उनको भेजने की रीति का सही–सही लेखा रखेगा, जिसमें वह/वे परिवहन की प्रणाली, वाहन की निबंधन संख्या, वाहन के प्रभारी व्यक्ति, वाहन द्वारा परिवहन किये गये खनिज/खनिजों का विवरण और परिमाप का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो ई–रवन्ना प्रपत्र एम.एम. 11 में पास जारी करेगा और ऐसे अन्य विवरणों का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो राज्य सरकार का सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। नियम 68 के अधीन अधिकृत अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियमावली के अधीन समय–समय पर प्राधिकृत करें, स्टाक में रखे गये और निर्यात किये जाने वाले या ई–रवन्ना प्रपत्र एम.एम. 11 में उल्लिखित खनिज/खनिजों के लेखा उसके/उनके परिमाप की जांच कर सकता है। पट्टेदार प्रति वर्ष जिला अधिकारी और जिला खान अधिकारी कार्यालय को मासिक रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा और यदि विवरणी नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो पट्टेदार चूक के प्रत्येक अवसर पर रूपये 5000.00 (रू0 पांच हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान करेगा।

(5) ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0 11 निर्गत किया जाना :— पट्टेदार, जिला खान अधिकारी के कार्यालय में स्वीकृत पट्टे हेतु पंजीकरण कराकर ई–रवन्ना प्रपत्र एम.एम. 11, जैसा नियमावली के नियम 70(1) में अपेक्षित है, अग्रिम भुगतान करने पर प्राप्त करेगा/करेंगे।

(6) नियत समय पर भाटक, स्वामित्व आदि का भुगतान न करने पर कार्यवाही :— यदि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस उपस्थापन पत्र के निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन किसी भाटक, स्वामित्व या राज्य सरकार को देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान विहित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो नियमावली के नियम–58 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भाग—3

सामान्य उपबन्ध

(1) नियमों, प्रसंविदाओं और शर्तों के भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है : यदि पट्टेदार उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा और शर्त को भंग करे/करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उक्त शर्त भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिये युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। यदि पट्टेदार यथास्थिति, इस नियमावली या इस पट्टे के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से क्षुब्ध है तो वह/वे इस नियमावली के नियम 77 और 78 के अधीन अपील/पुनरीक्षण दायर कर सकता है।

(2) पट्टेदार, पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेंगे :— पट्टेदार इस उपस्थापन पत्र (प्रजेन्ट्रेशन) के आधार पर देय किराये और स्वामित्वों का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर, उक्त अवधि की समाप्ति पर या उसके शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक पट्टा इस भाग के खण्ड (1) के अधीन समाप्त न कर दिया जाय और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में) अपने लाभ के लिए ऐसी सभी या किसी इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण (एरेक्शन्स) और अस्थायी आवास—स्थानों को उखाड़ सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा खनन किया गया हो, खड़े किये गये हों, स्थापित किये गये हों या रखे गये हों और जिन्हें पट्टेदार, राज्य सरकार को देने के लिये बाध्य नहीं है/हैं और जिन्हें राज्य सरकार खरीदने के लिये इच्छुक न हो।

(3) पट्टे की समाप्ति के पश्चात एक मास के अधिक समय तक छोड़ी गई सम्पत्ति की जब्ती :— यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के पश्चात, तीन कलेण्डर मास के अन्त में, उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण और अस्थायी आवास—स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके संबंध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिला अधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो, एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न हटाये जायं, यह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना या उसके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिये बिना, उनकी बिक्री करके निस्तारण ऐसे रीति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझे।

(4) ठेकेदार के माध्यम से स्वामित्व और अपरिहार्य भाटक की वसूली करना : यदि राज्य सरकार इस प्रकार निदेश दे, तो पट्टेदार इस उपस्थापन—पत्र द्वारा संरक्षित स्वामित्वों/पट्टा धनराशि/अपरिहार्य भाटक का भुगतान की वसूली करने वाले ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से ऐसी अवधियों में करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जायें।

(5) नोटिसें :— इस उपस्थान पत्र द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में दिया जाएगा, जिसे पट्टेदार ऐसी नोटिस प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे/करें और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो ऐसी प्रत्येक नोटिस पट्टेदार/पट्टेदारों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पट्टे में उसके/उनके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे अन्य पते पर भेजी जाएगी, जिसे पट्टेदार समय—समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों को

प्राप्त करने के लिए दे/दें और प्रत्येक ऐसी तामील पट्टेदार/पट्टेदारों पर उचित और वैध तामील समझी जाएगी और उसके सम्बन्ध में उसके/उनके द्वारा न तो आपत्ति की जाएगी और न उसे चुनौती दी जाएगी।

(6) शर्तें:–

1– पट्टेदार मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण/मा0 उच्च न्यायालय एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगा।

2– अन्य ऐसी शर्तें, जो जिला खान अधिकारी आवश्यक समझे उल्लिखित की जायेगी।

(7) स्टाम्प शुल्क :– स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित भूमि से पूर्वानुमानित स्वामित्व प्रतिवर्ष .... रूपये हैं। इसके साक्ष्य के रूप में उपस्थापन–पत्र एतद्धीन आयी हुई रीति के ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के लिए ओर उनकी ओर से–

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1–

2–

पट्टेदार/पट्टाधारक के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1–

2–

प्रपत्र एम. एम. 4

खनन पट्टों का रजिस्टर– (देखें नियम 17)

1– क्रम संख्या ....

2– पट्टेदार का नाम ....

3– पट्टेदार का निवास स्थान और पूरा पता ....

4– प्रार्थना–पत्र का दिनांक ....

5– (क) पट्टा देने की आज्ञा की संख्या और दिनांक ....
(ख) खनन पट्टे के निष्पादन का दिनांक ....

6– भूमि का ब्यौरा ....
(क) तहसील ....
(ख) परगना ....
(ग) ग्राम ....
(घ) प्लाट नं. ....
(ड़) क्षेत्रफल ....

7– कुल क्षेत्र, जिसके लिए पट्टा दिया गया हो ....

8– खनिज जिसके/जिनके लिए पट्टा दिया गया हो ....

9– निश्चित अपरिहार्य भाटक ....
(क) खनिज ....
(ख) प्रति एकड़, अपरिहार्य भाटक ....
(ग) कुल अपरिहार्य भाटक ....
(घ) वार्षिक पट्टाधनराशि ....

10– पट्टा प्रारम्भ होने का दिनांक ....
11– अवधि, जिसके लिए पट्टा दिया गया हो ....

12– जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

13– ऐसे परिवर्तन के ब्यौरो के साथ परिवर्तन का दिनांक, जो खनन पट्टे धारक के नाम, राष्ट्रिकता या अन्य विवरण के सम्बन्ध में हो ....

14– पट्टे का परित्याग (relinquishment) या समाप्ति का दिनांक ....

15– अभ्युक्तियाँ ....

16– जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

प्रपत्र एम. एम. 5

नीलाम पट्टों के लिए विज्ञाप्ति क्षेत्रों का रजिस्टर–(देखें नियम 22)

नीलाम एवं निविदा पट्टे के लिए घोषित क्षेत्रों का रजिस्टर:

1– क्रम संख्या ....

2– क्षेत्र या क्षेत्रों की घोषणा का आदेश संख्या ....

3– घोषणा का दिनांक ....

.

4– तहसील ....

5– परगना (प्लांट) संख्या ....

6– ग्राम ....

7– गाटा (प्लांट) संख्या ....

.

8– क्षेत्रफल ....

.

9– जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

10– नीलामी एवं निविदा द्वारा पट्टा पर देने से वापस लेना ....

(क) आदेश संख्या ....

(ख) आदेश का दिनांक ....

(ग) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

प्रपत्र एम.एम. 06

खनन के लिए नीलाम पट्टे का आदर्श प्रपत्र (देखें नियम 26)

यह अनुबन्ध आज .... दिनांक.............................. को उत्तराखण्ड के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पर पदावधि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी समझें जायेगें), एक पक्ष और ....

. यदि पट्टेदार व्यक्ति विशेष हो : (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेगें) दूसरा पक्ष ....

यदि पट्टेदार एक से अधिक हो :– (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) तथा .... (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेगें)

....

यदि पट्टेदार निबद्ध फर्म हो : (भागीदार का नाम और पता) आत्मज .... निवासी .... आत्मज .... निवासी ....जो सभी इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 (एक्ट संख्या 9, 1932) के अधीन निबन्धित फर्म ....(फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी के कारोबार कर रहे हैं और जिसका निबद्ध कार्यालय ....नगर में .... पर है, (जिन्हें आगे "लाईसेन्सधारी" कहा गया है), (जिस पर पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने–अपने दायाद, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझें जायेगें)

यदि पट्टेदार निबद्ध कम्पनी हो :
(कम्पनी का नाम) जो .... (एक्ट, जिसके अधीन निगमित है) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका कार्यालय .... में है (पता) निबद्ध जिसको आगे "पटटेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ में ऐसा ग्राहय हों, उत्तराधिकारी भी समझें जायेगें) दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार किये गये नीलाम के पट्टेदार/पट्टेदारों को बोली का .... रू0 (उच्चतम बोली की धनराशि) राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के लिए .... वर्ष/वर्षों को निमित्त एतद्धीन लिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में .... हैक्टेयर (स्वीकृत कुल क्षेत्रफल) के लिए स्वीकार कर लिया गया है और उसने/उन्होनें प्रतिभूति स्वरूप .... रूपये (उच्चतम बोली का पच्चीय प्रतिशत धनराशि) की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा कर दी है।

यह इसका साक्ष्य है कि इस उपस्थापन–पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उसमें दिए गये और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से भुगतान किए जाने वाले, पालन तथा सम्पादन किए जाने वाले

पट्टाधनराशि/स्वामित्वों प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करता है:–

.... (यहां खनिज/खनिजों का उल्लेख किया जाये) जिन्हें आगे और अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त" "खनिज" कहा गया है, की समस्त खनन तल्प (beds) संदर सीम्स (veins seams) जो उक्त अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, के साथ, जिसके सम्बन्ध में उन प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जाएगा जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हों .... सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेगें। दिनांक .... 20............. से .... वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों की एतद्दारा दिए गए और पदान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिनसे खनिज निकलने लगें और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग–2 में उल्लिखित स्वामित्वों का भुगतान उसमें निर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग के उपबन्धों के अधीन हो और पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते है और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्ति है और एतद्द्वारा इसके साथ दिए गए पक्षों के बीच परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–3 में अभिव्यक्ति है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग–1

इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र : वह समस्त भू–खण्ड, जो जिला .... की तहसील .... ग्राम...................... के अन्तर्गत खसरा संख्या.............................. कुल क्षेत्रफल................ है0 है, जो कि.............................नदीतल में स्थित है, जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शे में किया गया और उसे रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित है:–

उत्तर में – ....

दक्षिण में – ....

पूर्व में – ....

तथा

पश्चिम में – ....

और जिसे एतद्द्वारा "उक्त भू–खण्ड" कहा गया है तथा जिसके जी0पी0एस0/डी0जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स निम्नवत है:–

1–

2–

3–

4–

भाग–2

इस पट्टे द्वारा संरक्षित पट्टाधनराशि

पट्टाधनराशि : (1) पट्टेदार, इस पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को पट्टे पर दिए गये क्षेत्र के लिए निर्धारित वार्षिक निकासी की मात्रा ....टन के सम्बन्ध में निम्नलिखित पट्टाधनराशि का भुगतान करेगा/करेगें ....

किश्तों की संख्या	धनराशि	दिनांक – जब किश्त दिया जायेगा
1	2	3

पट्टाधनराशि कटौती आदि से मुक्त होगा : (2) इस भाग में उल्लिखित पट्टाधनराशि की किश्तों का अग्रिम भुगतान बिना किसी कटौतियों के राज्य सरकार को ....किश्तों में विभागीय पे–मेंट गेटवे/कोषागार में जमा करके किया जायेगा तथा जमा रसीद/चालान .... की एक प्रति जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को भेजी जायेगी।

पट्टाधनराशि का समय पर भुगतान न किया जाये तो कार्यवाही की प्रक्रिया : (3) यदि इस उपस्थापन– पत्र (presents) की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय पट्टाधनराशि की किसी किश्त का भुगतान पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा निर्धारित समय के भीतर न किया जाये तो उसे ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट करें, प्रमाण पत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकती है जैसा मालगुजारी का बकाया।

भाग—3

सामान्य उपबन्ध

नियमों प्रसंविदाओं और शर्तों को भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है : (1) यदि पट्टेदार उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा तथा किसी शर्त कां भंग करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा की पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उन्हें भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिए यथोचित अवसर दिया जायेगा।

पट्टेदार पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेंगें : (2) पट्टेदार इस उपस्थापन पत्र के आधार पर देय पट्टाधनराशि का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर उक्त अवधि की समाप्ति पर उसकी शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात् तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक कि पट्टा इस भाग के खण्ड–1 के अधीन समाप्त न कर दिया जाए और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात कम से कम एक कलेण्डर मास में) और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में अपने लाभ के लिए ऐसी सभी या किसी मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें और अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थानों (converiences) को उखाड सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा रखे गये हों।

पट्टे की समाप्ति के पश्चात् एक मास से अधिक समय से छोडी गयी सम्पत्ति की जब्ती :– (3) यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के प्रभावी होने के पश्चात एक कलेण्डर मास के अन्त में उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें तथा अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके सम्बन्ध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिला खान अधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न उठायें जायें, तो यह समझा जायेगा कि वह/वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिकर का भुगतान किए बिना या उसके सम्बन्ध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिए बिना उसकी बिक्री या निस्तारण ऐसी स्थिति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझें।

शर्तें:–

1– पट्टेदार मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण/मा0 उच्च न्यायालय एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

2– अन्य ऐसी शर्तें, जो जिला खान अधिकारी आवश्यक समझे, उल्लिखित की जायेगी।

स्टाम्प शुल्क : (5) स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित भूमि से प्रत्याशित स्वामित्व प्रतिवर्ष रू0 .... है।

इसके साक्ष्य के रूप में यह उपस्थापन पत्र एतद्धीन आई हुई रीति से ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तराखण्ड के राज्य के लिए और उनकी ओर से

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1–

2–

पट्टेदार/पट्टाधारक के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1–

2–

प्रपत्र–एम. एम. 7

नीलाम एवं निविदा पट्टा का रजिस्टर– (देखें नियम–27)

1– क्रम संख्या ....

2– भूमि का विवरण ....

(क) तहसील ....

(ख) परगना ....

(ग) ग्राम ....

(घ) गाटा (प्लांट) संख्या ....

(ङ) क्षेत्रफल ....

3– भूमि का कुल क्षेत्रफल ....

4– खनिज या खनिजों का नाम ....

5– पट्टेदार का नाम ....

6– पट्टेदार का पूरा पता ....

7– पट्टा प्रारम्भ होने का दिनांक ....

8– पट्टा अवसान होने का दिनांक ....

9– पट्टाधनराशि ....

10– अभ्युक्ति ....

11– जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

प्रपत्र–एम.एम. 8

खनन अनुज्ञा–पत्र के लिए प्रार्थना–पत्र (देखें नियम–52)

(तीन प्रतियों में देना है)

स्थान .... दिनांक ....20...................................

समय .... बजे

दिनांक .... को प्राप्त हुआ

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद.................................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली 2023 के अध्याय–6 के अधीन खनन अनुज्ञा–पत्र दिया जाये।

(2) इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क .... रु. जमा कर दिया गया है।

(3) अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :–

(1) प्रार्थी का नाम और पूरा पता ....

(2)क्या प्रार्थी अशासकीय व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है.......................

(3) यदि प्रार्थी:–

(क) व्यक्ति विशेष है, तो उसकी राष्ट्रीयता ....

(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रियता और उसके निबंधन का स्थान

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रीयता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंश पूंजी का का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान ....

(घ) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रियता...........

(4) प्रार्थी का व्यवसाय या उसके कारोबार का प्रकार ....

(5) खनिज, जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता हो :

(क) खनिज का नाम ....

(ख) जितना खनन किया जाना हो उसकी कुल मात्रा ....

(6) अवधि जिसके लिए खनन अनुज्ञा– पत्र अपेक्षित है..................................

(7) उस क्षेत्र का ब्यौरा, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञा–पत्र अपेक्षित है

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	क्या रिक्त है या किसी द्वारा धृत है और यदि धृत है तो उसके ब्यौरे
					ग्राम : क्षेत्रों की दशा में ग्राम का नाम और यदि ग्राम के केवल एक भाग के लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो, तो खसरा (ग्राम) संख्या, प्रत्येक ऐसे खेत या उसके भाग का, जिसके लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो, हेक्टर में क्षेत्रफल ....

(8) वन क्षेत्रों की दशा, में कार्यवृत्ति (वर्किंग सर्किल) का नाम, वनराजि (range) और पातन श्रेणियों (felling serise) यदि कोई हों, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्र का विवरण तथा एकड़ों में विस्तार (लगभग)।

(9) भू–कर सर्वेक्षण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र में निश्चित स्थानों के हवाले से क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थल का विवरण और सीमा–रेखा की रेखीय दूरियां और उसके धरातल मानचित्र में दिए गये क्षेत्र के तद्नुरूप यथासम्भव ठीक–ठीक दिक्स्थिति (4" = 1 मील पैमाना)।

(10) रीति जिसके अनुसार संग्रह किय गए खनिज का उपयोग किया जाएगा।

(11) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन।

(12) वांछित अभिलेख जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जायेंगे:–

(क) ऊपर 2 पर उल्लिखित धनराशि के लिए संलग्न रसीद वाले ऑनलाइन पेमेंट गेट–वे रसीद/कोषगार चालान आदि के विवरण।

(ख) भू–कर सर्वेक्षण मानचित्र की चार सत्यापित प्रतियां।

(ग) खसरा खतौनी की सत्यापित प्रतियां।

(घ) अद्यतन खनन आदेयता प्रमात्र पत्र जो सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो की प्रति।

(ड.) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।

(च) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

(छ) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण की छायाप्रति।

(ज) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति।

(झ) हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिए गये विवरण ठीक हैं और मैं/हम कोई अन्य ब्यौरे देने को तैयार हूं/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हैं।

स्थान ....

दिनांक ....

भवदीय,
प्रार्थी के हस्ताक्षर

अवधेय :– यदि प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जायें तो अभिकरण पत्र (power of Attorney) संलग्न किया जाना चाहिये।

प्रपत्र– एम.एम. 9

खनन अनुज्ञा–पत्रों के लिए प्रार्थना –पत्र का रजिस्टर –(देखें नियम–56)

(1) क्रम संख्या ....

(2) खनन अनुज्ञा–पत्र के लिए प्रार्थना–पत्र का दिनांक ....

(3) खनिज का नाम ....

(4) जिस क्षेत्र के लिए प्रार्थना–पत्र दिया गया हो:

(क) तहसील ....

(ख) परगना ....

(ग) ग्राम ....

(घ) प्लाट संख्या ....

(ड़) क्षेत्रफल ....

(5) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

(6) अनुज्ञा–पत्र न देने या देने की आज्ञा का दिनांक
और जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

(7) यदि अनुज्ञा–पत्र दिया जाये तो उसके ब्यौरे :

(क) दिया गया कुल क्षेत्र :

(ख) अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा :

(ग) अवधि जिसके लिए दिया गया हो

(घ) कुल स्वामित्व की धनराशि

(ड़) चालान संख्या सहित स्वामित्व जमा करने का दिनांक

(च) अनुज्ञा–पत्र जारी करने का दिनांक

(छ) अनुज्ञा–पत्र की समाप्ति का दिनांक

(ज) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रपत्र – एम.एम. 10

खनन अनुज्ञा पत्र का आदर्श प्रपत्र (देखें नियम 55)

श्री/सर्वश्री .... को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 52 के अधीन ग्राम .... में .... (खनिज) का खनन करने के लिये अनुज्ञा–पत्र देने के निमित प्रार्थना–पत्र दिया है और रू0.............................. (रूपया ....) रुपये का प्रार्थना–पत्र शुल्क तथा .... रुपये प्रतिटन/घन मी0 की दर से स्वामित्व का भी रुपया .... अग्रिम भुगतान कर दिया है। एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित भूमि से .... टन/घन मी0 खनिज को, आज से ....मास अर्थात दिनांक................ से दिनांक .... की अवधि के भीतर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये हटाने की अनुज्ञा दी जाती है।

भूमि के ब्यौरे

तहसील	परगना	ग्राम	गाटा (प्लाट) संख्या	एकड़ में क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

स्थान :

दिनांक :

अनुज्ञा–पत्र देने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

शर्तें :

(1) अनुज्ञा–पत्र धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।

(2) अनुज्ञा–पत्र धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े या उसे क्षति न पहुंचे।

(3) अनुज्ञा–पत्र धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और तदर्थ नियुक्त प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

दिनांक :

अनुज्ञा–पत्र देने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

Geology & Mining Department

Uttarakhand

Uttarakhand minor mineral (concession) rules, 2023

e-Transit pass form for transportation of minor mineral from mining lease/permit see rule 70(2 & 3)

Form MM-11

Owner Name:
Lease Address:

Form MM-11 No.
Date and Time:

1. Type of Vehicle
2. Registration No. of Vehicle
3. Name of Driver
4. Mobile No. of Driver.
5. Name of Mineral
6. Weight of Mineral (In Tons)
7. Sale value/Approximate value (Before Tax)
8. Payable CGST...
9. Payable SGST.................................
10. Payable Royalty ....
11. Name of Purchaser
12. GSTIN of Purchaser
13. Registration No. of Purchaser
14. Address of Destination
15. Total Travel Distance

This form is valid up to : Date & Time (Manual)

Geology & Mining Department

Uttarakhand

Uttarakhand minor mineral (concession) rules, 2023

e-Transit pass form for transportation of minor mineral from mining lease/permit see rule 70(3)

Form MM-11 O/S

Owner Name:
Lease Address:

Form MM-11 No.
Date and Time:

1. Type of Movement:
2. Type of Vehicle
3. Registration No. of Vehicle
4. Name of Driver
5. Mobile No. of Driver.
6. Name of Mineral
7. Weight of Mineral (In Tons)
8. Sale value/Approximate value (Before Tax)
9. Payable IGST...
10. Payble Royalty ....
11. Name of Purchaser
12. GSTIN of Purchaser
13. Registration No. of Purchaser
14. Address of Destination
15. Total Travel Distance

This form is valid upto- Date & Time (Auto generated)

प्रपत्र– एम.एम. 12

मासिक विवरणी

(नियम 73 देखिये)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद.................................

माह/वर्ष .... की विवरणी :–

(1) पट्टेदार/पट्टेदारों का/के नाम/पते ....

(2) पट्टे का विवरण .... खनिज का नाम ....

(3) पट्टे की अवधि .... क्षेत्रफल .... एकड़ में, ग्राम .... तहसील.......................................

जिला ....

(4) नियोजित श्रमिकों की संख्या .... कुशल .... अकुशल ....

माह का नाम	खनिज का नाम	माह में उत्पादन	माह में भेजा गया परिमाण	स्टाक में अवशेष
1	2	3	4	5

देय स्वामित्व /पट्टाधनराशि की नियत दर	माह में भुगतान किया गया स्वामित्व	स्वामित्व का अवशेष यदि कोई हो	अभ्युक्ति
6	7	8	9

(5) खनन योजना के अनुसार कार्य करने की रीति का संक्षिप्त उल्लेख किया जाना चाहिये और कार्य–प्रणाली की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिये।

स्थान .... पट्टेदार/पट्टेदारों या उसके/उनके अभिकर्ता

दिनांक .... के हस्ताक्षर और मोहर

प्रतिलिपिः–

(1) महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।

(2) सम्बन्धित क्षेत्र के जिलाधिकारी।

प्रपत्र–एम०एम० 13
अपील या पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना–पत्र
का आदर्श प्रपत्र (नियम 77, 78 और 79)

सेवा में,

....

....

महोदय,

(1) आवेदन करने वाले व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी या संस्था का नाम,पता.........

(2) व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी या संस्था का व्यवसाय.. ....

(3) अधिकारी के आदेश की संख्या और दिनांक, जिसके विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण दायर किया, जाए, (प्रतिलिपि संलग्न की जाय) ....

(4) खनिज/खनिजों का नाम, जिसके/जिनके लिए अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाए............

(5) क्षेत्र का विवरण जिसके लिए अपील/पुनरीक्षण आवेदन पत्र दायर किया जा रहा है:–

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	दावाकृत क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

(क्षेत्र/क्षेत्रों का मानचित्र संलग्न किया जाएगा)

(6) क्या उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम–79 में निहित रीति के अनुसार रूपये ... . का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा किया गया हैं?..

(7) क्या अधिकारी द्वारा दिये गए आदेश को संसूचित किया जाने के दिनांक के 60 दिन या 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिया गया है।..

(8) पक्ष/पक्षकारों, जो बनाये गये हों, यदि कोई हो, का/के नाम और पूरा पता.........................
....

(9) याचिका की प्रतियों की संख्या, जो संलग्न की गयी हों (प्रत्येक बनाये गये पक्षकारों के लिए अतिरिक्त संख्या में प्रतियों के संलग्न किया जाना चाहिये) :–

(10) अपील/पुनरीक्षण के आधार :–

(क) संक्षिप्त तथ्य
(ख) आधार
(ग) प्रार्थना

(11) यदि अपील/पुनरीक्षण का प्रार्थना पत्र अभिकरण पत्र धारक (The holder of power of Attorney) द्वारा दिया गया है तो अभिकरण पत्र संलग्न किया जाएगा।.....................................

स्थान .... भवदीय
दिनांक .... प्रार्थी के हस्ताक्षर

यदि कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो प्रार्थना पत्र तीन प्रतियों में दिया जाएगा।
यदि इनके अतिरिक्त कोई हो, तो बनाये गये प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अतिरिक्त प्रति संलग्न की जाएगी।

आज्ञा से,
डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 औ0वि0/257–2023–200+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।